खण्ड-380, अंक-1
गुरूवार, 28 ज्येष्ठ, शक संवत् 1909
(18 जून, 1987 ई0)

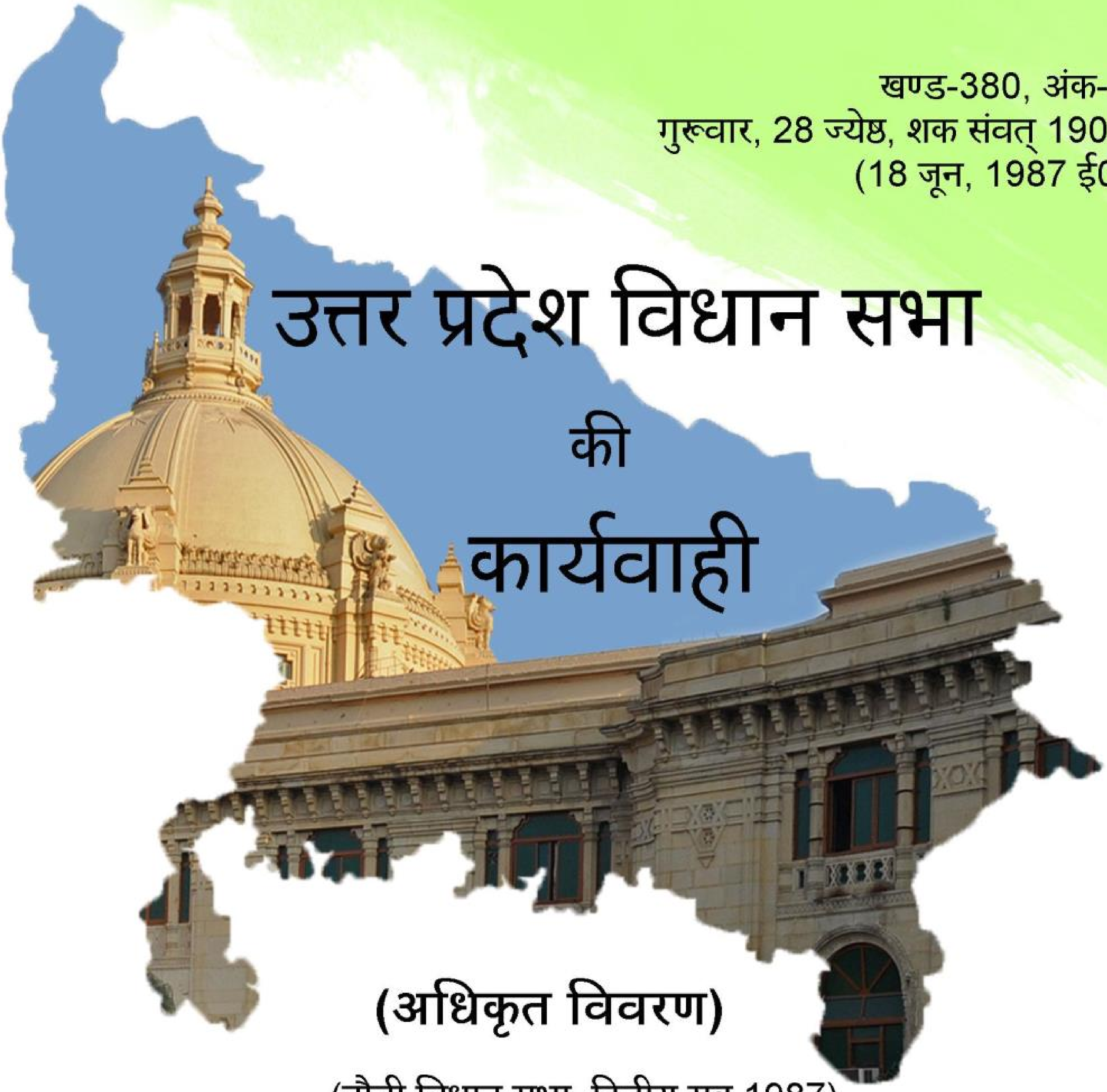

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, द्वितीय सत्र 1987)

खण्ड 380 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 25 पैसे , उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

मूल्य : बिना महसूल 31 पैसे, महसूल सहित १० रुपये |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १२ रुपये, महसूल सहित Mudrak City is Not Mentio

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
सदस्यों की उपस्थिति	क
प्रश्नोत्तर	1–76
भूतपूर्व प्रधान मन्त्री चौधरी चरण सिंह के निधन पर शोकोद्गार ..	76–90
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्रीमती कैलाशवती, श्री गंगाधर मैठाणी, श्री राज नारायण सिंह, श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', श्री बंशीदास धनगर, श्री झारखण्डे राय, श्री गोपीकृष्ण आजाद के निधन पर शोकोद्गार ..	90–99
नत्थियां	100–106

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 18-6-1987

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अजीत सिंह सेठी, श्री .. मेरठ
अफसर यू0 अहमद, श्री .. बस्ती
अमिताभ लवानियां, श्री .. आगरा
काशी सिंह ऐरी, श्री .. पिथौरागढ़
किरन पाल सिंह, श्री .. बुलन्दशहर
किशन लाल दिलेर, श्री .. अलीगढ़
खान गुफरान जाहिदी, श्री .. फतेहपुर
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री .. सीतापुर
चारू शीला, श्रीमती .. मुजफ्फरनगर
जयदीप सिंह बरार, श्री .. बरेली
दूधनाथ, श्री .. जौनपुर
निर्भय पाल शर्मा, श्री .. सहारनपुर
पूरन सिंह माहरा, श्री .. अल्मोड़ा
बल्देव सिंह आर्य, श्री .. उत्तरकाशी
बाबू सिंह, श्री .. मुजफ्फरनगर
बुधपाल सिंह 'खुर्जावाले', श्री .. बुलन्दशहर
बैजनाथ, श्री .. देवरिया
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री .. एटा
राजेन्द्र सिंह, श्री .. अलीगढ़
राम नरेश शुक्ल, श्री .. प्रतापगढ़
राम पाल वर्मा, श्री .. हरदोई
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री .. बरेली
रीना कुमारी, श्रीमती .. मुरादाबाद
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री .. बलिया
विजय लक्ष्मी, श्रीमती .. बलिया
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री .. गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री .. मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सोन, श्री .. आगरा
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री .. गोरखपुर
श्याम लाल, चौधरी .. जालौन
संजय सिंह, डा0 .. सुल्तानपुर
सन्तन बड़थ्वाल, श्री .. चमोली
समरपाल सिंह, श्री .. मुरादाबाद
सरदार सिंह, श्री .. मथुरा
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री .. खीरी
सुग्रीव सिंह, श्री .. देवरिया
सुरेन्द्र कपिल, श्री .. सहारनपुर
सैयद अली अशरफी, श्री .. पीलीभीत
हरेन्द्र सिंह, श्री .. मुजफ्फरनगर
हीरा सिंह विष्ट, श्री .. देहरादून

उद्यान सुधार दर्दुरा

प्रश्नोत्तर†

बृहस्पतिवार, दिनांक 18 जून, 1987

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में गाइनिक्स में हाउस जाब का कोई स्थान न होने का औचित्य

**1—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में हाउस जाब के लिये सर्जरी में 5, मेडिसिन, आर्थोपेडिक तथा पीडियाट्रिक में क्रमशः तीन-तीन स्थान रखे गये हैं परन्तु गाइनिक में एक भी स्थान नहीं रखा गया है जबकि आर्थोपेडिक सर्जरी तथा पीडियाट्रिक मेडिसिन के अन्तर्गत आते हैं और गाइनिक एक पृथक तथा विस्तृत विषय है? क्या मंत्री जी गाइनिक में कम से कम पांच स्थान स्वीकार करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

बलरामपुर अस्पताल में हाउस जाब के लिए सर्जरी में 5 तथा मेडिसिन आर्थोपेडिक एवं पीडियाट्रिक्स में क्रमशः 3-3 स्थान रखे गये हैं।

बलरामपुर अस्पताल में गाइनिक विभाग नहीं है। इस कार्य के लिए लखनऊ में महिला चिकित्सालय अलग से है अतः बलरामपुर अस्पताल में गाइनिक्स में हाउस जाब का कोई स्थान नहीं रखा गया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 द्वारा चयनित न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों के वेतनमानों में असमानता

**2—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1981 में चयनित पी0 सी0 एस0 (जे0) के अभ्यर्थियों को नियुक्त करते समय परीक्षा के अंकों को ध्यान में न रखकर कनिष्ठ लोगों को अप्रैल, 1981 में और शेष लोगों को अक्टूबर, 1981 में नियुक्ति दी गयी थी? यदि हां, तो क्या यह सच है कि मात्र 5 माह बाद नियुक्ति पाने वाले और परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले मुंसिफों का वेतन अप्रैल, 1981 में नियुक्त हुए लोगों की तुलना में बहुत कम है ? यदि हां, तो इनकी नियुक्ति वरीयता सूची के आधार पर क्यों नहीं की गई? क्या सरकार मुंसिफों में व्याप्त असन्तोष को दूर करने के लिए वर्ष 81 में नियुक्त सभी मुंसिफों के वेतनमान समान करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार उत्तरित माने गये ।

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा चयनित उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों को नियुक्त करने के पूर्व उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन तथा स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है और इस परीक्षण में जो अभ्यर्थी उपयुक्त पाये जाते हैं उन्हीं को नियुक्त किया जाता है। वर्ष 1981 में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में जिन अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गई थीं उनका परीक्षाफल लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से नवम्बर, 1980 में प्राप्त हुआ था। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश ने वर्ष 1980 में चयनित अभ्यर्थियों की जो मूल सूची भेजी थी उसमें 96 नाम थे। उक्त 96 अभ्यर्थियों में से 7 का अभ्यर्थन औपबन्धिक था और 1 अभ्यर्थी वर्ष 1977 की परीक्षा के आधार पर सेवा में लिया जा चुका था। शेष 88 अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन तथा स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही एक साथ आरम्भ की गई थी। दिनांक 27-3-81 तक केवल 54 अभ्यर्थियों का ही चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण पूरा हो पाया था। चूंकि प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल ने 50 अभ्यर्थियों के लिए सेवा कालीन प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिनांक 6-4-81 से निर्धारित किया था इसलिए जिन अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन तथा स्वास्थ्य परीक्षण की औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी थीं उनमें से वरिष्ठतम 50 अभ्यर्थियों को नियुक्त करके प्रशिक्षण पर भेज दिया गया। शेष अभ्यर्थियों के चरित्र तथा पूर्ववृत्त सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही बाद में पूरी हुई और उन्हें अक्टूबर, 81 एवं उसके पश्चात नियुक्त किया गया।

वित्त विभाग के शासनादेश सं0–वे0 आ0 2191/दस-39(एम)-1981, दिनांक 20 नवम्बर, 81 में यह प्राविधान है कि दिनांक 1 जुलाई, 79 से लागू नये वेतनमानों में प्रत्येक कर्मचारी का जो 1 जुलाई, 1979 तथा 29 सितम्बर, 1981 के मध्य राज्य सरकार की पूर्णकालिक सेवा में था, प्रारम्भिक वेतन उसके मूल पद पर उसकी वर्तमान परिलब्धियों के अगले उच्च स्तर के ऊपर एक प्रकल्पित वेतनवृद्धि का पूरा-पूरा लाभ देकर निर्धारित किया जायेगा। इस कारण अप्रैल, 81 में नियुक्त मुंसिफों को उक्त शासनादेश के अन्तर्गत नये वेतनमान में वेतन पुनर्निर्धारित कराने का लाभ प्राप्त हो गया जबकि अक्टूबर, 81 में या 29-9-81 के पश्चात नियुक्त मुंसिफों को यह सुविधा अनुमन्य नहीं हुई। इस कारण अप्रैल, 81 में नियुक्त हुए मुंसिफों की तुलना में अक्टूबर, 81 में नियुक्त हुए मुंसिफों का वेतन कम हो गया।

वरीयता सूची के आधार पर प्रश्नगत अभ्यर्थियों की नियुक्ति न किये जाने की परिस्थितियों का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है।

चूंकि वर्ष 81 में नियुक्त मुंसिफों के वेतन का निर्धारण वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सामान्य प्रक्रिया के अनुसार हुआ है इसलिए अप्रैल, 81 और अक्टूबर, 81 में नियुक्त हुए मुंसिफों का वेतन बराबर करने का प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

पूरनपुर, बरेली मण्डल तथा मुरादाबाद मण्डल के एग्रो विभाग में बरती गई अनियमितता एवं गबन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

*1—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एग्रो के वर्ष 1982 में पूरनपुर में लगभग 12 लाख के गबन, वर्ष 1982-83 में बरेली मण्डल में लगभग 25 लाख की उधारी तथा वर्ष 1985 में मुरादाबाद मण्डल में लगभग 35 लाख की उधारी जो कि मुख्यालय के आदेशों के विपरीत थी का सम्बन्ध किसी एक ही क्षेत्रीय प्रबन्धक से है? क्या सम्प्रेक्षण/लेखा ने उपरोक्त मामलों में अलग-अलग क्षेत्रीय प्रबन्धक का दायित्व निर्धारित किया है? यदि हां, तो क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरुद्ध क्या कार्यवाही अलग-अलग मामलों में की गई या प्रस्तावित है?

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

जी हां। श्री एस0 बी0 एस0 सिरोही बरेली मण्डल में क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद पर दिनांक 5-8-1981 से 10-4-84 तक, तदुपरान्त मुरादाबाद मण्डल में दिनांक 14-1-86 के अपराह्न तक रहे। इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरणों में केवल एक ही क्षेत्रीय प्रबन्धक सम्बन्धित है।

श्री एस0 बी0 एस0 सिरोही को दिनांक 14-1-86 की अपराह्न से उनके द्वारा त्यागपत्र प्रस्तुत करने पर सेवा से अलग किया जा चुका है।

पूरनपुर के बिक्री केन्द्र इन्चार्ज श्री निकेन्द्र प्रताप गौतम को दिनांक 6-11-82 से, उनके द्वारा रु0 9,31,222.05 पैसे के गबन तथा हानि के मामले के फलस्वरूप निलम्बित किया हुआ है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है। इसके अतिरिक्त श्री गौतम के विरुद्ध थाना पीलीभीत में दिनांक 28-10-82 को अपराधिक कार्यवाही के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जा चुकी है। पुलिस ने अपनी कार्यवाही पूरी करके मामले को अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट, पीलीभीत के न्यायालय में भारतीय दण्ड विधान की धारा 409/420/467/468 के तहत चालान करके भेज दिया है। मुकदमा न्यायालय में लम्बित है। जैसे ही विभागीय कार्यवाही की रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी उसके परिणाम के फलस्वरूप यदि अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों को भी दोषी पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध भी कार्यवाही वरीयता के आधार पर की जायेगी।

उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम के मुख्यालय को पन्तनगर से लखनऊ स्थानान्तरण करने की मांग

*2—श्री धनराज यादव—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम के मुख्यालय को पन्तनगर (नैनीताल) से लखनऊ करने के लिए शासन ने चार वर्ष पहले निर्णय लिया था जिसके अनुपालन न होने से प्रदेश के किसानों को निगम की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो उपरोक्त निगम का मुख्यालय लखनऊ में कब तक स्थापित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं । शासन द्वारा दिनांक 29-1-1981 को केवल अपना मत व्यक्त किया था कि निगम के प्रबन्ध निदेशक का मुख्यालय पन्तनगर से लखनऊ कर दिया जाये। निगम के अंशधारियों की 11वीं बैठक 4 अप्रैल, 1981 में निगम के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा आश्वासन दिया गया था कि निगम के मुख्यालय परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

निगम द्वारा बीज उत्पादन का अधिकतम क्षेत्र पन्तनगर क्षेत्र में एवं उसके अधिकांश अंशधारी भी इसी क्षेत्र में है । वर्तमान में कुल उत्पादन का 80 प्रतिशत संसाधन इसी क्षेत्र में होता है। प्रदेश के किसानों को निगम की सुविधा का लाभ बराबर मिल रहा है और इस हेतु निगम के प्रबंध निदेशक का कैम्प आफिस लखनऊ में स्थापित है जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया या कम किया जा सकता है । निगम के कानपुर/फैजाबाद परियोजना क्षेत्र में कृषकों की समस्याओं के निराकरण के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में उप-मुख्य बीज उत्पादन अधिकारी के अतिरिक्त लेखाधिकारी सहित अन्य स्टाफ तैनात है । ऐसी स्थिति में किसान निगम की सुविधा के लाभ से वंचित नहीं है ।

अतः वर्तमान व्यवस्था के अनुसार निगम का मुख्यालय पन्तनगर से लखनऊ किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के क्रिया कलापों की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही का आश्वासन

*3–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1985 के द्वितीय सत्र के दौरान उन्होंने सदन में यह आश्वासन दिया था कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के क्रिया कलापों की जांच सी0 आई0डी0 द्वारा कराई जा रही है ? यदि हां, तो सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट क्या है तथा उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां । अभी सी0 आई0 डी0 की पूर्ण जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न

महानगर आवास योजना के अन्तर्गत वहां के स्थानीय निवासियों के प्रति शासन का निर्णय

*1–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1987 के प्रथम मंगलवार के तारांकित प्रश्न सं0 1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यहां के स्थानीय निवासियों के पक्ष में उच्च न्यायालय का निर्णय किस दिनांक को हुआ तथा याचिका संख्या क्या है और नोटिसें किन-किन की रद्द की गईं उनके बल्दियत सहित नाम क्या हैं? क्या प्रश्नगत प्लाट जिस पर 12 फुट चौड़ी सड़क बनाई गई और जो आगे अवरुद्ध हो गई है की शेष भूमि पर रह रहे स्व0 श्री सुबराती पुत्र हुसैनी के परिवार जनों को हटाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

स्थानीय निवासियों के पक्ष में मा0 उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 18-1-60 को हुआ । इस याचिका का नं0 129/1958 है । मा0 उच्च न्यायालय द्वारा 11 व्यक्तियों की नोटिस रद्द की गयी जिनके नाम तथा बल्दियत निम्नवत् है :–

1–श्री गुरुदयाल पुत्र श्री मंगल ।
2–श्री नन्द किशोर पुत्र पं0 शिवदत्त ।
3–श्रीमती अन्जना पत्नी श्री राम चरन ।
4–श्री मेवा राम पुत्र श्री मंगल ।
5–श्री श्रीराम पुत्र मंगल ।
6–श्री उत्तम पुत्र कल्लू ।
7–श्रीमती मुन्नी विधवा श्री गुल्लू ।
8–श्रीमती पियारा विधवा श्री हुसैनी ।
9–श्री सिद्दीक पुत्र श्री नबाब ।
10–श्री सुबराती पुत्र श्री हुसैनी ।
11–श्री छोट्टन पुत्र श्री भगौती ।

जी नहीं ।

उक्त सड़क को आबादी से बाहर घुमाकर फातिमा अस्पताल के निकट स्थित सड़क में मिला दिया गया है, फिलहाल यातायात की वैकल्पिक व्यवस्था हो जाने के कारण स्व0 श्री सुबराती पुत्र हुसैनी के परिवार को फिलहाल हटाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नही है ।

आलोक हाउसिंग सोसाइटी लखनऊ नामक रजिस्टर्ड संस्था के विवरण एवं आडिट आदेश

*2–श्री गोपाल दास यादव–

क्या सरकार को ज्ञात है कि आलोक हाउसिंग सोसाइटी लखनऊ नामक रजिस्टर्ड संस्था नगरपालिका सीमा के अन्दर स्थित है ? यदि हां, तो उक्त सोसाइटी के कुल कितने मान्य सदस्य हैं और क्या उन सबको समिति द्वारा भूखण्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उन भू-खण्डों की कीमत तथा सदस्यता शुल्क के रूप में नवम्बर, 1986 तक कुल कितनी रकम प्राप्त हुई है तथा सम्पूर्ण रकम किस बैंक में जमा की गई ? क्या सरकार उक्त समिति के लेखे-जोखे का सूक्ष्म आडिट कराने का आदेश देगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

उक्त सोसाइटी के कुल 51 मान्य सदस्य हैं, जिनमें से 50 सदस्यों को भूखण्ड आवंटित कर दिये गये हैं किन्तु केवल 32 सदस्यों ने भूखण्डों का मूल्य जमा करके रजिस्ट्री करा ली है । उन भूखण्डों की कीमत तथा सदस्यता शुल्क के रूप में नवम्बर, 1986 तक रू0 56,115.25 रु0 (रुपये छप्पन हजार एक सौ पन्द्रह तथा पच्चीस पैसे) प्राप्त हुए हैं तथा यह धनराशि यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक की हजरतगंज लखनऊ स्थित मुख्य शाखा में जमा की गई है । आडिट कराने के लिए जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, लखनऊ से अनुरोध किया जा चुका है ।

*3—श्री मंयकर सिंह—

[2रे मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बरेली के पात्र कृषकों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत मुआवजा

*4—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जिला बरेली की सदर तहसील तथा विकास खण्ड मीरगंज के उन पात्र कृषकों को, जिनकी खरीफ 86 की फसल सूखे से लगभग पूरी तरह नष्ट हो गई क्रमशः कुल कितनी-कितनी बीमा राशि कब भुगतान की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

खरीफ 1986-87 की फसलों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान बनाए जाने का कार्य प्रगति पर है। इसके उपरान्त ही साधारण बीमा निगम द्वारा उन तहसीलों का निर्धारण किया जाएगा जिसमें कृषकों को फसल बीमा के अन्तर्गत मुआवजा देय होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर महापालिका द्वारा गांवों के अधिग्रहण करने सम्बन्धी मापदण्ड की जानकारी की मांगें

*5—श्री भगौती सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि लखनऊ नगर के आस-पास के 75 गांवों को फरवरी, 1987 में बजट करके नगर महापालिका की सीमा के अन्तर्गत ले लिया गया है जबकि इनके बीच में बनी कालोनियां इन्द्रा नगर, अलीगंज स्कीम एवं कुर्सी रोड योजना आदि को साधनों के अभाव एवं पालिका के निश्चित मापदण्डों के अनुसार विकसित न होने के कारण नहीं लिया जा रहा है? यदि हां, तो पालिका के निश्चित मापदण्ड क्या हैं? क्या तद्नुसार उपरोक्त 75 गांवों के विकास एवं रख-रखाव के लिए नगर महापालिका ने आवश्यक साधन प्राप्त कर लिए हैं तथा कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो उनका पूरा विवरण एवं विस्तृत रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो इस दोहरी नीति का क्या औचित्य है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय अस्पतालों के शुल्क आदि की व्यवस्था का विवरण

*6—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय अस्पतालों में भर्ती किये जाने वाले सभी रोगियों से पलंग, दवाओं, खून, पेशाब आदि की जांच, भोजन, एक्सरे आदि शुल्क लिया जाने लगा है ? यदि हां, तो कल्याणकारी राज्य वाले प्रदेश में गरीबों से चिकित्सा व्यय वसूलने का क्या औचित्य है ? क्या जनहित में शासन इसको वापस लेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

राजकीय अस्पतालों में भर्ती होने वाले सभी रोगियों से पलंग, दवायें, खून, पेशाब की जांच भोजन आदि का शुल्क नहीं लिया जाता है ।

अति निर्धन तथा निराश्रित रोगियों से शुल्क व अन्य धनराशि नहीं ली जाती है। यह सीमा कुल शैय्याओं की 20 प्रतिशत तक सीमित रखी गयी है।

प्रदेश में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग

*7–श्री काशी सिंह एरी–

उत्तर प्रदेश विधान सभा के 6 अक्टूबर, 77 के तत्कालीन विधायक आचार्य धर्मदत्त वैद्य के ता0 प्र0 सं0 24 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब तक की जायेगी? क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर जनपद पिथौरागढ़ की स्वास्थ्य वर्धक जलवायु एवं वहां पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की प्रचुर उपलब्धता की पृष्ठिभूमि में उपरोक्त विश्वविद्यालय पिथौरागढ़ में स्थापित करेंगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रदेश में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना का शासन का विचार नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर पालिका भदोही, वाराणसी के सम्बन्ध में कथित शिकायती-पत्र

*8–श्री राज किशोर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका भदोही, वाराणसी में व्याप्त भ्रष्टाचार व धांधली के सम्बन्ध में वाराणसी जनपद के विपक्षी दलों द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी वाराणसी को दिए गये ज्ञापन दिनांक 4-6-86 की प्रति-लिपि शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में शासन की ओर से कोई जांच हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सी श्रेणी के वाटर वक्सों को बी श्रेणी में उच्चीकृत करने की नीति

*9–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सी0 श्रेणी के वाटरवक्सों को बी0 श्रेणी में उच्चीकृत किये जाने का आधार क्या है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पीलीभीत बाराबंकी तथा बहराइच जलकलों की तुलना में सीतापुर तथा लखीमपुर में कनेक्शन संख्या, राजस्व प्राप्ति नलकूपों तथा जलकलों के उप प्रतिष्ठानों की संख्या अधिक होने के बाद भी इन्हें (सीतापुर तथा लखीमपुर को) अभी तक उच्चीकृत न किये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*10–श्री किरन पाल सिंह–

[2रे शुक्रवार में ता0 प्र0 सं0 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

डा0 बी0 के खन्ना प्रिंसिपल, किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ के विरुद्ध शिकायतों की पुष्टि न होना

*11–डा0 शिवानन्द नौटियाल –

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के प्रिंसिपल डा0 बी0 के0 खन्ना ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है? यदि हां, तो उसका कारण क्या था ? क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि श्री खन्ना के विरुद्ध अनियमितता तथा धन संबंधी गड़बड़ियों की शिकायतें थीं ? यदि हां, तो उसकी जांच करायी गयी और जांच के परिणाम क्या निकले ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी –

जी नहीं, डा0 बी0 के0 खन्ना किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं । त्यागपत्र के कारण का प्रश्न नहीं उठता । प्रश्नगत गड़बड़ियों आदि की शिकायतें प्राप्त हुई थीं । उनकी जांच कराई गई थी । जांच में अभी शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई और न ही दोष निर्धारण हुआ है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*12–श्री कौशिक रमाशंकर–

[करण सं0 26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित]

*13–श्री रमेश यादव –

[2रे मंगलवार में ता0 प्र0 सं0–15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विद्युत/यांत्रिक अवर अभियन्ताओं के पालिका केन्द्रीयित सेवा में सम्मिलित करने का प्रस्ताव विचाराधीन

*14–श्री हर्ष वर्धन–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 पालिका केन्द्रीय सेवा नियमावली, 1966 के नियम 6 (1) के अन्तर्गत समस्त अवर अभियन्ता सिविल की पदोन्नति हेतु सहायक अभियन्ता के पदों पर 50 प्रतिशत का कोटा निर्धारित है परन्तु यह लाभ नगर महापालिका इलाहाबाद, कानपुर एवं लखनऊ के अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक के पद पर कार्यरत अभियन्ताओं को 10 वर्षों की सेवा के उपरान्त भी नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या नगर विकास मंत्री अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ताओं के पद पर प्रोन्नति के आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस सम्बन्ध में श्री बाबूलाल तिवारी, सदस्य, विधान सभा का 17 अगस्त, 84 का कोई पत्र नगर विकास सचिव को भी प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती पद्मा सेठ –

जी हां ।

अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पालिका केन्द्रीयित सेवा के पद हैं किन्तु नगर महापालिका इलाहाबाद, कानपुर तथा लखनऊ में अवर अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) के पदों पर कार्यरत अवर अभियंता अकेन्द्रीयित सेवा के हैं । पालिका केन्द्रीयित सेवा के पद न होने के कारण विद्युत/यांत्रिक अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नति सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) के पद पर नहीं की जा सकी है ।

विद्युत/यांत्रिक अवर अभियंताओं के पदों को पालिका केन्द्रीयित सेवा में सम्मिलित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । इसके लिए नियमावली में संशोधन प्रस्तावित है । इन पदों को केन्द्रीयित सेवा में सम्मिलित किये जाने के पश्चात् इन पर कार्यरत अवर अभियंताओं को सहायक अभियंता (वि0/यां0) के पदों पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जायेगा ।

जी हां ।

इन पदों को पालिका केन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत लाने हेतु नियमों में संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है ।

जनपद मथुरा की पेयजल आपूर्ति सुधारने की योजना

*15–श्री सरदार सिंह –

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा नगर एवं जिले की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुधारने हेतु क्या-क्या योजनायें प्रस्तावित हैं और उनके क्रियान्वयन हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ –

मथुरा नगर की पेयजलापूर्ति सुधारने हेतु चालू वर्ष 1987–88 में 27 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगाने का प्रस्ताव है जिसमें से 15 हैण्डपम्प अब तक अधिष्ठापित किये जा चुके हैं । नगर में 1350 कि0 ली0 क्षमता का एक नया स्टोरेज टैंक इसी माह चालू किया जा रहा है । गोकुल बैराज का निर्माण भी कराया जा रहा है ।

जिले में 1972 में पेयजल की दृष्टि से 444 समस्या ग्रस्त गांव थे इनमें से 435 गांवों में पेयजलापूर्ति की व्यवस्था की जा चुकी है शेष 8 गांवों में चालू वित्तीय वर्ष में व्यवस्था पूरी कराने का प्रस्ताव है । वर्ष 1985 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार जनपद मथुरा में 357 ग्राम पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त घोषित किये गये हैं । इनमें से 157 ग्रामों में पाइप पेयजल 121 ग्रामों के लिए हैण्डपम्प तथा 89 ग्रामों के लिए पाइप/हैण्डपम्प योजनायें विरचित की जा रही हैं ।

सहकारी शीतगृह सादाबाद, मथुरा के विरुद्ध शिकायत निराधार

*16–श्री कुशलपाल सिंह –

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-3-86 को सहकारी शीतगृह सादाबाद जनपद मथुरा में वर्ष 1984 में किसानों के सड़े हुए आलुओं की क्षतिपूर्ति दिलाने के बारे में दिया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

प्रश्नकर्ता का प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-3-86 जो सहकारी शीतगृह सादाबाद जनपद मथुरा के वर्ष 84 में 100 बोरे आलू शीतगृह की अव्यवस्था के कारण खराब हो जाने तथा उसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में था प्रश्नकर्ता से सचिव जिला सहकारी संघ मथुरा द्वारा प्रश्नोपरान्त प्राप्त किया गया । उपरोक्त मामले को दिखवाया गया जिससे ज्ञात हुआ कि प्रश्नकर्ता ने वर्ष 1984 में 100 बोरी आलू शीतगृह सादाबाद में रखा जिसे उनके भाई श्री भारत पाल सिंह को (जिन्होंने प्रश्नकर्ता के वास्ते उसे प्राप्त किया) 16-10-84 को सही हालत में हस्तगत करा दिया गया था ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यापित भूमि के मुआवजों का भुगतान

*17—श्री शारदा प्रताप—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यापित की गयी औरंगाबाद खालसा किला मोहम्मदी नगर सालेह नगर भदरुख कासिमपुर पकरी आदि ग्रामों की जमीनों पर गजट दिनांक 20 सितम्बर, 84 द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 85 में कब्जा कर लिया गया है? यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों को अभी तक मुआवजा तथा पेशगी न दिए जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी उन सबको शीघ्र ही मुआवजे एवं पेशगी की धनराशि दिलाये जाने की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

संबंधित व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान किया जा रहा है ।

इस योजना में प्रतिकर हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा रु0 450—20 लाख की धनराशि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को उपलब्ध करायी जा चुकी है । विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिकर के रूप में रु0 355·00 लाख का विवरण माह अप्रैल, 1987 तक किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*18—श्री भगवती प्रसाद चौधरी—

[7वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अलीगंज शापिंग काम्पलेक्स में बेरोजगारों को दुकानों के आवंटन हेतु पत्र

*19—श्री अकबर हुसेन बावर—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 11-8-86 को उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ है जो बेरोजगार स्नातकों को अलीगंज शापिंग काम्पलेक्स लखनऊ में दुकानों के आवंटन के संबंध में था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या बेरोजगार स्नातकों को उक्त काम्पलेक्स में खाली दुकानों में से कुछ दुकानें शीघ्र आवंटित कर दी जायेंगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अलीगंज शापिंग काम्पलेक्स में आवंटन हेतु दुकानें रिक्त नहीं हैं । अतः बेरोजगार स्नातकों को दुकान आवंटित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के विभिन्न मण्डी समिति के प्रपत्रों को पी0 सी0 एफ0 प्रेस के स्थान पर सिक्योरिटी प्रेस से मुद्रित कराने का निर्णय

*20—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के लिए जुलाई, 1986 के प्रथम सप्ताह में पी0 सी0 एफ0 प्रेस द्वारा बनाए गए करोड़ों रुपयों के प्रपत्रों 6 आर0, 7 आर, 9 आर, गेट पास आदि बिना प्रयोग किए सभी जलाकर नष्ट कर

दिए गए ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि पी0 सी0 एफ0 प्रेस को छोड़कर प्राइवेट प्रेस से प्रपत्रों को लिया जा रहा है? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त पी0 सी0 एफ0 द्वारा लिए गए प्रपत्रों को इस्तेमाल न करने के लिए इतनी धनराशि की राष्ट्रीय क्षति करने का क्या कारण है? क्या सरकार उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा पी0 सी0 एफ0 या अन्य राजकीय प्रेसों से स्टेशनरी प्रपत्रों को छपवा कर इस्तेमाल करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रदेश की विभिन्न मण्डी समितियों के प्रयोगार्थ मण्डी प्रपत्रों जैसे 6 आर, 7 आर0, 9 आर0, गेट पास आदि भूतकाल में पी0 सी0 एफ0 प्रेस छपाए जाते रहे । पी0 सी0 एफ0 द्वारा संस्था के प्रपत्रों की अनवरत पूर्ति में असफलता, मुद्रण में असन्तोषजनक कार्य, समय पर आपूर्ति का अभाव के कारण इन प्रपत्रों को किसी सिक्योरिटी प्रेस में छपाने का निर्णय मण्डी परिषद् को दिनांक 3-12-85 को लेना पड़ा । पी0 सी0 एफ0 के मुद्रणकाल में फर्जी प्रपत्रों के इस्तेमाल की सूचना मिलती रही थी और कुछ अनाधिकृत प्रपत्र भी पकड़े गये । इस कारण भी यह कार्य पी0 सी0 एफ0 से हटा कर सिक्योरिटी प्रेस में कराये जाने का निर्णय लेना पड़ा ।

अब छापे जा रहे प्रपत्रों में अनेक संशोधन भी कर दिए गए हैं अतः पूर्व में छपे प्रपत्रों का अब आगे चलना वांछनीय न होने के कारण उनको नष्ट किया जाना अपरिहार्य था । इसी कारण इन अनावश्यक प्रपत्रों को जिनकी कीमत लगभग 86,523 रु0 होती थी, को नियमानुसार जला कर नष्ट कर दिया गया है । राजकीय मुद्रण प्रेस में कारपोरेशन का काम करने के संबंध में शासनादेश हैं कि यदि कभी विशेष परिस्थितियों में निगम का मुद्रण कार्य कराया जाना अपरिहार्य हुआ तभी राजकीय प्रेस से यह काम कराये जाने के निदेश हैं। अतः जब कभी भी भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी तो उस पर शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही की जायेगी ।

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ के चिकित्सालयों में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में की गई प्रोन्नतियां

1–श्री दीप चन्द्र सोनकर तथा श्री भगौती सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज एवं गांधी स्मारक एवं संबंधित चिकित्सालय, लखनऊ में शासनादेश संख्या 37/1-1969-कार्मिक-2 दिनांक 31-8-1982 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत सन् 1970 से अब तक चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में 15 प्रतिशत निम्नतम श्रेणी के लिपिकीय पदों पर प्रत्येक वर्ष कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नतियां की गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों ? केन्द्रीय पुस्तकालय किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में 1964 से कार्यरत एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उपरोक्त शासनादेश के अनुसार अब तक पदोन्नत न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

किंग जार्ज मेडिकल कालेज एवं गांधी स्मारक एवं संबंधित चिकित्सालय, लखनऊ में शासनादेश संख्या 37/1-1969-कार्मिक-2 दिनांक 31-8-1982 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत सन् 1970 से अब तक चतुर्थ श्रेणी से निम्नतम श्रेणी के लिपिकीय पदों पर की गई प्रोन्नतियां निम्नवत् हैं :–

वर्ष	कुल नियुक्तियां	चतुर्थ श्रेणी से प्रोन्नति द्वारा
1970	3	1
1971	2	0
1972	4	0
1973	3	0
1974	1	0
1975	2	0
1976	0	0
1977	4	1
1978	3	0
1979	3	1
1980	2	0
1981	2	1
1982	1	0
1983	0	0
1984	0	0
1985	1	0
1986	3	1
योग–	34	5

चयन समिति द्वारा अयोग्य पाए जाने के कारण ।

जनपद पिथौरागढ़ के भूतपूर्व विधायकों की चिकित्सा हेतु आवंटित धन एवं उसका व्यय विवरण

2–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में भूतपूर्व विधायकों के स्वास्थ्य तथा चिकित्सा के संबंध में जनपद पिथौरागढ़ को कब से धनराशि आवंटित की जा रही है ? विगत पांच वित्तीय वर्षों में इस मद हेतु वर्षवार क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई ? इसमें से इन्हीं वर्षों में कितनी धनराशि खर्च की वास्तविकता का आंकलन किस प्रकार किया जाता है?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद पिथौरागढ़ के भूतपूर्व विधायकों के स्वास्थ्य तथा चिकित्सा के सम्बन्ध में पिथौरागढ़ हेतु वर्ष 1982-83 से धनराशि आवंटित की जा रही है। इस मद हेतु वर्षवार आवंटित एवं व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	आवंटित धनराशि रुपयों में	व्यय की गई धनराशि रुपयों में
1982–83	500·00	500·00
1983–84	500·00	500·00
1984–85	500·00	500·00
1985–86	800·00	722·25
1986–87	1000·00	937·85

जनपद के भूतपूर्व विधायकों को आवश्यकतानुसार औषधि देने के लिए औषधि क्रय करने में जो धनराशि व्यय की जाती है उसी के आधार पर इस मद में खर्च की वास्तविकता का आंकलन किया जाता है।

उन्नाव जिले के हिलौली विकास खण्ड में छूट की खाद को ब्लैक करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही

3–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के हिलौली वि0 खं0 में छूट की खाद को व्यापारियों में ब्लैक करते वक्त पकड़े जाने की जनवरी, 86 के प्रथम पखवारे के कांड की जानकारी उनको है ? क्या यह भी सही है कि मौरावां थाने में इस घपले की प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध विभाग ने क्या कार्यवाही की है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

थाना मौरावां, उन्नाव में दिनांक 18-1-1986 को वादी श्री मनोहर लाल पुत्र श्री मूल शंकर निवासी ग्राम हिलौली, थाना मौरावां, जनपद उन्नाव द्वारा मु0 अप0 सं0 24/86 धारा 3/7 ई0 सी0 एक्ट सर्वश्री अशोक कुमार, जगदीश गुप्ता, राम प्रसाद यादव व यूसुफ के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस अभियोग में विवेचना के उपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय में दिनांक 14-5-1987 को प्रेषित किया जा चुका है।

कृषि निदेशालय द्वारा प्रक्षेत्र अधीक्षक के पदों पर नियुक्त अयोग्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण

4–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेशों के विपरीत जुलाई, 1985 में कृषि निदेशालय द्वारा प्रक्षेत्र अधीक्षक की नियुक्तियां करते समय उन कर्मचारियों को भी अधीक्षक के रूप में तैनाती हेतु आदेशित किया गया जिन्होंने या तो पूर्व में प्रक्षेत्रों पर

हानियां पहुंचाई थीं या उनके विरुद्ध सरकारी बकाये व अन्य मामले चल रहे थे या उनकी चरित्र पंजिका में विपरीत प्रविष्टियां अंकित थीं ? यदि हां, तो क्या ऐसे कर्मचारियों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत की जायेगी और गलत आदेश जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जुलाई, 1985 में कृषि निदेशालय द्वारा प्रक्षेत्र अधीक्षक के पदों पर स्थानान्तरित कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस प्रकार के मामले पूर्व में प्रकाश में नहीं थे । उन कर्मचारियों में से छः कर्मचारियों के विरुद्ध दुर्विनियोग अथवा अनियमितताओं व निर्धारित मानकों के अनुसार कार्यकुशलता का प्रदर्शन न किये जाने के मामले प्रकाश में आये, और उन छः कर्मचारियों को प्रक्षेत्र से हटा दिया गया है। आदेश करने में यदि कोई अनियमितता पायी जायेगी तो उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री परशुराम सिंह कृषि इन्सपेक्टर का प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण एवं अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही

5–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री परशुराम सिंह कृषि इन्सपेक्टर को सीतापुर जिले से किन आरोपों के कारण उप कृषि निदेशक, लखनऊ मण्डल ने वर्ष 1983 में स्थानान्तरित किया था और बिना उचित माध्यम की संस्तुति प्राप्त किये ही कृषि निदेशालय से उनकी नियुक्ति सीधे बाराबंकी जनपद में उनकी इच्छानुसार की गयी ? क्या यह सही है कि श्री सिंह को फार्म से जब उप कृषि निदेशक, लखनऊ ने स्थानान्तरित किया जो कृषि निदेशालय से बिना उनकी रिपोर्ट प्राप्त किये ही इस स्थानान्तरण आदेश को सितम्बर, 83 में निरस्त कर दिया ? क्या कृषि मंत्री श्री परशुराम को बाराबंकी में सौंपे गये कार्यों तथा उनके द्वारा वहां उपस्थित रहकर किये जा रहे कार्यों की सूची एवं श्री सिंह के विरुद्ध लाखों रुपये गबन सम्बन्धी सभी प्रकार के आरोपों की सूची सदन के पटल पर रखेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

श्री परशुराम सिंह को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किया गया था और उनके अनुरोध पर उन्हें फैजाबाद मण्डल में स्थानान्तरित किया गया, और वर्तमान में वे बाराबंकी जनपद में पदस्थित हैं। वे अपर जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी के साथ सम्बद्ध होकर दलहन, तिलहन का कार्य देख रहे हैं।

कथित गबन के सम्बन्ध में जांच की गयी व गबन की बात निराधार पाई गई, किन्तु स्टाक में कुछ कमियों के पाये जाने पर, उनसे रुपये 7276.98 पैसे के वसूली के आदेश पारित किये गये हैं तथा उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि देने के आदेश कर दिये गये हैं।

राजकीय बीज सम्बर्धन प्रक्षेत्र, बड़ाबाग, जनपद गाजीपुर में हुई हानि में तत्कालीन अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी उत्तरदायी

6—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1974-75 में राजकीय बीज सम्बर्धन प्रक्षेत्र, बड़ाबाग, जनपद गाजीपुर पर जो हानि हुई थी उसकी 1979-80 के लगभग जांच कराने पर तत्कालीन अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी, श्री राम यज्ञ शुक्ला को उत्तरदायी ठहराया गया था? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

राजकीय बीज सम्बर्धन प्रक्षेत्र, बड़ाबाग, जनपद गाजीपुर में वर्ष 1974-75 में हुई हानि के मामले में हुई जांच में तत्कालीन अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी, श्री राम यज्ञ शुक्ला पर्यवेक्षीय उत्तरदायी ठहराये गये। मामले में कार्यवाही की जा रही है, अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

श्री हरिशंकर परिचालक के निलम्बन अवधि का वेतन शासन के विचाराधीन

7—श्री अवनीश कुमार सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या 1124/11(9)-1531/79 दिनांक 4-7-80 के द्वारा श्री हरिशंकर क्षेत्र परिचालक की सेवा समाप्ति के आदेश जिसे कि कृषि रक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर ने जारी किया था, निरस्त कर दिये गये हैं? यदि हां, तो श्री हरिशंकर को मार्च, 1971 से अब तक का वेतन किस आधार पर नहीं दिया गया है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

यह मामला अभी शासन के विचाराधीन है।

ज्येष्ठ मलेरिया निरीक्षक एवं मलेरिया निरीक्षक के वेतनमान तथा उत्तरदायित्व

8—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि ज्येष्ठ मलेरिया निरीक्षक एवं मलेरिया निरीक्षक के उत्तरदायित्व समान हैं? यदि हां, तो उनके वेतन मान में असमानता क्यों जब कि वेतन आयोग 1979 ने दोनों पदों के लिये समान वेतनमान की संस्तुति की है?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

ज्येष्ठ मलेरिया निरीक्षक एवं मलेरिया निरीक्षक के वेतनमान शासन ने अलग-अलग रखे हैं यद्यपि इनके उत्तरदायित्व समान हैं।

सर्वेलेन्स निरीक्षकों के स्थायीकरण का मामला शासन के विचाराधीन

9—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि पत्रांक/माल/ए/78×11424 दिनांक, लखनऊ, जून, 15-1978 के क्रम में कुछ सर्वेलेन्स निरीक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर उसी वेतनक्रम में मलेरिया निरीक्षक के पद पर कार्य करने हेतु

स्थानान्तरित किया था? यदि हां, तो वरिष्ठ होते हुए भी उन्हें अभी तक स्थाई क्यों नहीं किया गया है जब कि उनसे कनिष्ठ सर्वेलेन्स (मलेरिया) निरीक्षकों को स्थायी करके उन्हें उच्च वेतन मान भी दिया गया है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सर्वेलेन्स निरीक्षक चूंकि मलेरिया निरीक्षक बन गये थे इसलिये इनको सर्वेलेन्स निरीक्षक के पदों पर स्थायी किया जाना सम्भव नहीं था। सर्वेलेन्स निरीक्षक के कुछ अतिरिक्त पद स्थायी घोषित किये गये हैं जिनके विरुद्ध ऐसे मलेरिया इन्सपेक्टर जो पहले सर्वेलेन्स निरीक्षक थे को उक्त पदों पर स्थायी किये जाने का मामला विचाराधीन है। सर्वेलेन्स निरीक्षकों को बहुधन्धी कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत उच्च वेतनमान अनुमन्य है।

स्थानापन्न सर्वेलेन्स निरीक्षकों का समयबद्ध वेतन एवं प्रोन्नति के मानक

10–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जो ज्येष्ठ सर्वेलेन्स निरीक्षकों से 1978 में मलेरिया निरीक्षक पदों में स्थानान्तरित किये गये हैं उन्हें उच्च वेतनमान, समय बद्ध वेतनमान एवं प्रोन्नति वेतन एवं पदोन्नति क्यों नहीं किया गया जबकि इन निरीक्षकों को बहुद्देशीय स्वास्थ्य योजना में दीक्षित किया गया है, ऐसा क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सर्वेलेन्स निरीक्षक जो मलेरिया निरीक्षक बनाये गये हैं उन्हें सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने पर समय बद्ध वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा। प्रोन्नति के लिये पात्र होने पर प्रोन्नति तथा प्रोन्नति वेतनमान दिया जाना सम्भव होगा।

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में होम्योपैथिक दवाओं की आपूर्ति हेतु अनुबन्धित फर्म एवं भुगतान

11–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त एवं निदेशक उद्योग कानपुर द्वारा 1985-86 में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में होम्योपैथिक दवाओं की आपूर्ति हेतु कौन-कौन फर्म को रेट कन्ट्रेक्ट दिया गया था तथा वर्ष 1985-86 में प्रदेश के कितने जनपदों में मेसर्स आर0 के0 बी0 हर्बल्स प्रा0 लि0 नई दिल्ली से दवाओं की आपूर्ति एवं भुगतान किया गया है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

आयुक्त एवं उद्योग निदेशक उ0 प्र0, कानपुर द्वारा श्रीमंत आर0 के भंडारी (होम्योपैथी) प्रा0 लि0, बी0-217 ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली एवं श्रीमंत हनीमैन फार्मास्यूटिकल्स, ए-14/2 नारायना इन्डस्ट्रियल एरिया फेस-1 नई दिल्ली को होम्योपैथिक दवाइयों की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्धित किया गया था। वर्ष 1985-86 में मेसर्स आर0 के0 बी0 हर्बल्स प्रा0 लि0, नई दिल्ली से कुल 19 जनपदों में दवाओं की आपूर्ति एवं 15 जनपदों में भुगतान किया गया।

12—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या यह सत्य है कि मे0 आर0 के0 भण्डारी (होम्योपैथ) प्रा0 लि0, नई दिल्ली को आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग विभाग, कानपुर द्वारा रेट कन्ट्रेक्ट होम्योपैथिक चिकित्सालयों में दवाओं की आपूर्ति हेतु दिया गया था ? यदि हां, तो आर0 के0 बी0 हर्बल्स प्रा0 लि0 से दवाओं की आपूर्ति एवं भुगतान करने का औचित्य क्या है?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

उद्योग निदेशक, कानपुर के नोटीफिकेशन संख्या—136(बी)/कारोजेन्डम दिनांक 4-2-87 जो दिनांक 24-12-85 से प्रभावी किया गया है, के अन्तर्गत दवाओं की आपूर्ति एवं भुगतान का पूर्ण औचित्य है।

प्रान्तीयकृत होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में रिक्त पदों की संख्या एवं नये पदों का सृजन

13—श्री रणजीत—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रान्तीयकृत होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में किन-किन श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं ? क्या यह सही है कि कालेजों द्वारा कुछ नये पदों की भी मांग की गयी है? यदि हां, तो रिक्त पदों पर भर्ती व मांगे गये पदों के सृजन की दिशा में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रान्तीयकृत होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर शैक्षणिक पक्ष के 58 तथा शिक्षणेत्तर पक्ष के 16 पद रिक्त हैं।

जी हां ।

रिक्त पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। मांगे गये कुछ पद शासन द्वारा सृजित किये जा चुके हैं। शेष अन्य पदों के सृजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार के सीमित संसाधनों के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर यथा वांछित कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 बी0 पी0 गुप्ता, पिंडरा वाराणसी के विरुद्ध शिकायतों पर जांच कार्यवाही

14—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 बी0 पी0 गुप्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिंडरा वाराणसी ने अपनी स्त्री मालती गुप्ता व लड़की सीमा को घर से निकाल दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि मालती गुप्ता ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट गोरखपुर के यहां मुकदमा दायर किया है ? क्या यह भी सही है कि डा0 गुप्ता ने एक मिडवाइफ निर्मला मिश्र जो शादीशुदा थी उससे शादी कर लिया है और अपने साथ रक्खा है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और कार्यवाही करेगी ? क्या इसकी भी जांच करायेगी कि निर्मला मिश्रा का नाम भी बदल दिया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

इस संबंध में डा0 वी0 पी0 गुप्ता के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच कराई गई थी । उनकी जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है जिसका परीक्षण किया जा रहा है ।

डा0 वी0 पी0 गुप्ता, पिंडरा वाराणसी के विरुद्ध न्यायालय में मामला विचाराधीन

15–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 वी0 पी0 गुप्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिंडरा वाराणसी के ऊपर धारा 395/332/307/120 बी0 आई0 पी0 सी0 का मुकदमा चतुर्थ अतिरिक्त सेशन जज गाजीपुर के यहां चल रहा है ? यदि हां, तो इनको अब तक विभाग में क्यों रक्खा गया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मुख्य चिकित्साधिकारी गाजीपुर द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार डा0 वी0 पी0 गुप्ता के विरुद्ध धारा 395/397/332/333/114/120बी भारतीय दण्ड विधान तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय गाजीपुर के न्यायालय में मुकदमा चल रहा है । उक्त मुकदमें में न्यायालय के निर्णय के बाद तद्नुरूप ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

मुख्य खाद्य निरीक्षक मेरठ द्वारा कालेधन जमा करने के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच कार्यवाही

16–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि माह दिसम्बर, 85 में सतर्कता अधिष्ठान के एक दल ने एक मुख्य स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक के मेरठ स्थित आवास व बैंक लाकरों पर छापा मारा था और लगभग 10 लाख रुपये की अघोषित सम्पत्ति का पता लगाया था? यदि हां, तो जब यह अधिकारी सेवा में आया था, इसने कितनी चल व अचल सम्पत्ति घोषित की थी और ता0 1-4-85 को कितनी घोषित की थी ? इस अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

दिसम्बर, 85 में सतर्कता अधिष्ठान के एक दल द्वारा एक मुख्य खाद्य निरीक्षक मेरठ के आवास एवं बैंक लाकरों को विधिवत रूप से वारण्ट लेकर तलाशी ली गयी थी। तलाशी से उक्त मुख्य खाद्य निरीक्षक, उनकी पत्नी व बच्चों की कुल चल व अचल सम्पत्ति की सतर्कता अधिष्ठान द्वारा आंकी गयी कीमत लगभग 6.00 लाख रुपये आती है। जब यह अधिकारी सेवा में आया था उस समय की घोषित सम्पत्ति का ब्योरा स्वास्थ्य निदेशालय व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। दिनांक 1-4-85 को घोषित सम्पत्ति का ब्योरा मेरे कक्ष में उपलब्ध है जिसे सदस्य महोदय देख सकते हैं । सतर्कता अधिष्ठान द्वारा अभी जांच जारी है, अतः जांच पूर्ण होने पर ही जांच के निष्कर्षों के आधार पर जो निर्णय लिया जायेगा उसके अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

बस्ती जनपद के विकास खण्ड रुधौली, सांथा तथा खेसरहा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत व्यय धन एवं निर्माण कार्य का विवरण

17—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 82-83, 83-84, 84-85 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड रुधौली सांथा तथा खेसरहा जनपद बस्ती में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कराये जाने हेतु कौन-कौन से कार्य जिला कमेटी द्वारा स्वीकृत हुये थे, उन कार्यों का कितने रुपये का स्टीमेट तैयार हुआ, कितना धन किस-किस कार्य पर स्वीकृत हुआ और कितना प्राप्त हुआ तथा कौन-कौन से कार्य अब तक पूर्ण हो चुके हैं और कौन अब तक अधूरे पड़े हुए हैं तथा उन पर अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है ? क्या मा0 मंत्री जी सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

वर्ष 82-83 में विकास खण्ड रुधौली एवं खेसरहा में वनीकरण चैक डेम एवं पक्की नाली का निर्माण वर्ष 83-84 में उक्त विकास खण्ड में तालाब, बनीकरण, नाली, सम्पर्क मार्ग एवं जल निकास तथा वर्ष 84-85 में विकास खण्ड साधा, रुधौली एवं खेसरहा में सम्पर्क मार्ग, जल निकास, वनीकरण तालाब निर्माण का कार्य जिला समिति से स्वीकृति कराया गया । उक्त कार्य पर विकास खण्ड रुधौली खेसहरा, साधा में क्रमशः 7,34,003·50, 5,08,601·00, 1,62,418·00 रुपये का स्टीमेट तैयार हुआ ।

उक्त कार्यों के लिये क्रमशः रुपये 7,34,003·50, 5,08,601·00 1,62,418·00 स्वीकृत हुये । समूर्ण जिले के लिए 82-83 में रुपये 2,29,000·00, वर्ष 83-84 में 10,00,000·00 एवं वर्ष 84-85 में रुपये 8,50,000·00 प्राप्त हुये जिसका परियोजनावार विभाजन नहीं किया गया । अतः परियोजनावार कितना धन प्राप्त हुआ, बताना सम्भव नहीं है रुधौली विकास खण्ड में कुल 19 परियोजनाओं पर कार्य हुआ जिसमें 14 कार्य पूर्ण और 5 कार्य अपूर्ण रहे। साथा विकास खण्ड में कुल 3 परियोजनाओं में कार्य हुआ जिसमें से दो पूर्ण, तथा एक अपूर्ण रहा है। इसी प्रकार खेसरहा विकास खण्ड में कुल 21 कार्य कराये गये जिसमें 19 कार्य पूरे हुये तथा 2 अपूर्ण रहे ।

(1) वैधानिक अड़चन होना जैसे कृषकों द्वारा मौके पर कार्य रोक देना।

(2) श्रमिकों का समय पर उपलब्ध न होना।

(3) कहीं-कहीं अधिक एवं सख्त कंकड़ पड़ने के कारण श्रमिकों द्वारा कार्य न करना।

विकास क्षेत्र रुधौली, खेसरहा एवं साथा पर क्रमशः 5,19,240-24, 2,91,191-75 व 36,304 रुपये व्यय किये जा चुके हैं।
सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 100—104 पर)

18–श्री यदुनाथ सिंह–

[करण संख्या 26(1) के अन्तर्गत उत्तरित]

जनपद जालौन के भूमिहीन मजदूरों की समिति द्वारा की गई अनियमितता संबंधी शिकायत की जांच

19–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री लछी राम सेवक आदि (हरिजन) निवासी ग्राम भैंड तह0 कोंच जि0 जालौन द्वारा कोई इस आशय का शिकायती-पत्र कि उन पर भूमिहीन खेतिहार मजदूरों की समिति को जो भूमि का पट्टा दिया गया था उस समिति से उन्हें अकारण हटा दिये जाने के बारे में दिनांक 20-1-86 को अथवा उसके आस पास किसी दिन मिला? यदि हां, तो मुख्य शिकायत क्या है तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अरुण कुमार सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित श्री लच्छी राम सेवक आदि (हरिजन) का शिकायती पत्र दिनांक 16-12 85 को प्राप्त हुआ था, जिसमें पट्टे के संबंध में कोई शिकायत अंकित नहीं थी वरन् अन्य शिकायतों के साथ मुख्य शिकायतें यह थीं कि:–

वर्ष 1983-84 में रु0 1,20,000/- की फसल का बटवारा नहीं किया गया और न हिसाब दिया गया।

जिलाधिकारी जालौन के आदेश पर परगनाधिकारी कोंच ने यद्यपि फसल की कुर्की नीलामी कराई परन्तु निलामी से प्राप्त धनराशि भूमिहीन सदस्यों को न मिल सकी।

उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय श्री अरविन्द कुमार तिवारी, सदस्य विधान सभा का एक शिकायती पत्र दिनांक 20-1-86 (जो राजस्व मंत्री को सम्बोधित था) प्राप्त हुआ, जिसमें अन्य बातों के साथ मुख्य शिकायत यह थी कि सदस्यों को वर्ष 1982-84 तथा 1984-85 की फसल का (जो करीब 2 लाख रुपये की थी) हिस्सा नहीं दिया गया।

श्री लच्छी राम सेवक आदि के शिकायती पत्र की जांच अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) जालौन से करायी गयी। जिन्होंने जांच में शिकायतें सही पायी और अगस्त, 1986 में दी गयी अपनी जांच रिपोर्ट में संस्तुति की थी कि समिति का निबंधन निरस्त कर भूमि को पात्र भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में नियमानुसार वितरित करा दिया जाय।

उक्त संस्तुति के अनुसार उपनिबन्धक, सहकारी समितियां, झांसी ने समिति के निबंधन को निरस्त करने की कार्यवाही दिनांक 4-12-86 को प्रारम्भ की। जिला सहायक निबन्धक जालौन ने समिति के सचिव तथा संचालक मण्डल के विरुद्ध फसल की बिक्री के धन के दुरुपयोग के संबंध में पहिले ही पुलिस रिपोर्ट दर्ज करायी थी जो विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता), झांसी के विवेचनाधीन है। सरचार्ज की कार्यवाही भी धारा 68 के अन्तर्गत की गयी जो उ0 प्र0 सहकारी न्यायाधिकरण द्वारा समिति की अपील पर (जो न्यायाधिकरण के विचाराधीन है) स्थगित है।

जनपद फैजाबाद में राम की पैड़ी पर खुदाई गई खाई के द्वारा हुई कथित दुर्घटना की जांच की मांग

20—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 10 नवम्बर, 1986 को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले मेले के कुछ दिन पूर्व अधीक्षण अभियंता जल निगम फैजाबाद द्वारा राम की पैड़ी खुदायी गयी गहरी खाई में तथा उसके मलवे से मेला के दिन कई हजार श्रद्धालू खाई में गिरकर या मलवे में दब कर मर गये थे? यदि हां तो इसके लिये जिम्मेदार अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार पूरे मामले की जांच कराकर दोषी अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का कष्ट करेगी?

श्रीमती पद्मा सेठ—

"जी नहीं"

न घटना स्थल पर और न ही घटना स्थल के निकट जल निगम फैजाबाद द्वारा राम की पैड़ी हेतु खाई खुदवाई गई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय द्वारा की गई कुल नियुक्तियां एवं आरक्षण नीति

21—श्री अर्जुन सिंह यादव तथा श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जल निगम मुख्यालय द्वारा वर्ष 1983 से दिसम्बर, 86 तक वर्ग-1, 2, 3, व 4 में अलग-अलग कितनी नियुक्तियां व पदोन्नतियां की गयी है तथा क्या यह सही है कि इस दौरान उपरोक्त सभी मामलों में सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया है? जिससे आरक्षण प्राप्त पात्र कर्मचारियों में घोर असंतोष है? यदि हां, तो क्या सरकार इसका भविष्य में कड़ाई से पालन करने एवं अब तक के शेष कोटा को पूरा करने का विभाग को निदेश जारी करने का कष्ट करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय वर्ष 1983 से दिसम्बर, 1986 तक वर्ग-1, 2, 3, व 4 के अन्तर्गत कुल नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां निम्नवत् की गयी हैं :—

	कुल नियुक्तियां	कुल पदोन्नतियां
वर्ग—4	12	3
वर्ग—3	1121	133
वर्ग—2	235	92
वर्ग—1	-	37

इस दौरान उपरोक्त सभी मामलों में सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का पालन उपयुक्त अभ्यर्थियों की उपलब्धता के अनुसार किया गया है तथा भविष्य में भी किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश जल, निगम, लखनऊ के विरुद्ध कथित शिकायती पत्र

22–भगौती सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय निर्माण शाखा (वि0 धा0) उ0 प्र0 जल निगम लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में श्री कनक सिंह सदस्य विधान सभा को कोई शिकायती-पत्र दिनांक 19-5-86 को उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या इस पर कोई जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

प्रश्न में मा0 विधायक का संदर्भित पत्र 19-5-86 विभाग में तथा जल निगम के कार्यालय तथा उसके अधीनस्थ शाखा/मण्डल के अभिलेखों के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ है। अत: जांच करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एस0 एस0 पवार रिटायर्ड वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश सहारनपुर के शिकायती पत्र पर जांच

23–श्री राम शरण दास–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री एस0 एस0 पवार रिटायर्ड वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उ0 प्र0 (सहारनपुर) का मुख्य मंत्री को सम्बोधित रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र संलग्नक सहित दि0 20-10-86 से दिनांक 31-10-86 के बीच मिला, जिसमें उन्होंने सहारनपुर जिला अस्पताल के डाक्टरों की लापरवाही के कारण हुई अपनी धर्म पत्नी श्रीमती पीतम कुमारी पवार की दु:खद मृत्यु की शिकायत की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं । श्री एस0 एस0 पवार रिटायर्ड वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश सहारनपुर के एक अन्य शिकायती पत्र पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एस0 बी0 डी0 चिकित्सालय सहारनपुर द्वारा जांच की गयी । श्रीमती पवार कम्पलीट हार्ट ब्लाक तथा थाइराइड से पीड़ित थीं जिनका उपचार पूर्व में पी0जी0आई0 चन्डीगढ़ में चल रहा था । श्रीमती पवार को जिला अस्पताल, सहारनपुर में मरणासन्न स्थिति में लाया गया था और उस स्थिति में उनकी देखभाल में किसी डाक्टर द्वारा कोई लापरवाही किया जाना जांच में सही नहीं पाया गया ।

साधन सहकारी समिति लि0 विधूना, इटावा के सचिव द्वारा की गई अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही

24–श्री औसान सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि साधन सहकारी समिति लि0 विधूना इटावा के दिनांक 26-1-86 को चेक नं0 2232 मुबलिग 1244/65 रु0 की खाद मृतक श्री हेमराज शर्मा नि0 सूरजपुर विधूना इटावा के नाम कर्ज पर ली गयी है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और खाद के नाम पर फर्जी ऋण प्राप्तकर्ता कौन है ? सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं,

श्री हेमराज शर्मा के नाम से चेक बनी थी किन्तु उस पर कोई उर्वरक/कर्जा नहीं दिया गया। चेक संख्या–223216, दिनांक 26-1-86 निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

समिति के सचिव को निलम्बित कर दिया गया है।

प्रसूति गृह रेडक्रास केसरबाग, लखनऊ में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्र पर जांच

25–श्री किशनलाल दिलेर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रसूति गृह रेडक्रास केसरबाग लखनऊ में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक के विरुद्ध (निदेशक) प्रशासन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0 प्र0 के नाम सम्बोधित मा0 विधायकगण कुंवर मानवेन्द्र सिंह, श्री श्याम बिहारी सिंह तथा डा0 दिनेश जौहरी का दि0 5 सितम्बर, 1986 का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह भी सच है कि उक्त लिपिक लगभग 10 वर्षों से एक ही स्थान और एक ही स्थान और एक ही पद पर कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त कर्मचारी को कहीं अन्यत्र जनपद में स्थानान्तरित करने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि उक्त कार्यालय में ही बने आवास में रहते हुए भी वह आवास भत्ता तथा शहरी भत्ता लेते रहे हैं? यदि हां, तो उक्त कर्मचारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्न में उल्लिखित माननीय विधायकों का पत्र निदेशक, (प्रशासन) को प्राप्त हुआ था। उक्त शिकायती पत्र माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को सम्बोधित था न कि निदेशक (प्रशासन) को। आरोपों की जांच उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (तृतीय) लखनऊ द्वारा की जा रही है। एक ही स्थान पर लम्बी अवधि तक बने रहने के प्रकरण पर विचार कर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। प्रसूति गृह रेडक्रास लखनऊ में कोई भी सरकारी आवास नहीं है। अतः उन्हें नियमानुसार आवासीय भत्ता एवं शहरी भत्ता अनुमन्य है। स्थानान्तरण के संबंध में विचार कर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

नगरपालिका अलीगढ़ को सड़कों के नवनिर्माण एवं सुधार हेतु आवंटित धन एवं व्यय का विवरण

26–श्री किशन लाल दिलेर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर अलीगढ़ को 1984-85 व 1985-86 में सड़कों के नव निर्माण के या सुधार हेतु कितनी धनराशि किन-किन माध्यमों से दी गयी? उस धनराशि में से विष्णुपुरी से चन्दनियां, सुरेन्द्र नगर बाग औरंगाबाद, गांधी नगर, महेन्द्र नगर, शास्त्री नगर, कृष्णपुरी तथा बिहारी नगर में कितनी सड़कों का नव निर्माण हुआ, कितने पर खड़न्जा हुआ और उनकी लम्बाई कितनी-कितनी है और कितनी धनराशि व्यय की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगरपालिका, अलीगढ़ को वर्ष 1984-85 में रु0 32,20,000 तथा वर्ष 1985-86 में रु0 47,10,000 की धनराशि सड़कों के नव निर्माण तथा सुधार हेतु स्वीकृत की गयी ।

संदर्भित मोहल्लों में सड़कों के नव निर्माण व खंड़जा होने तथा व्यय की गयी धनराशि की सूचना संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 105 पर)

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1971 से 1981 तक की गई नसबन्दी आपरेशन एवं जन्म दर का विवरण

27–श्री राज किशोर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 1971 से 1981 तक वर्षवार कितनी नसबन्दी हुई और 1971 से 1981 तक वर्षवार कितनी जन्म दर घटी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 1971 से 1981 तक वर्षवार सम्पन्न नसबन्दी आपरेशन तथा वर्षवार जन्म दर की स्थिति निम्नतालिका में दर्शायी गयी है :–

वर्ष	नसबन्दी आपरेशनों की संख्या	जन्म दर (प्रति हजार प्रति वर्ष
1970–71	77959	44.9
1971–72	154605	43.2
1972–73	348302	41.7
1973–74	28543	42.1
1974–75	50722	43.1
1975–76	128729	40.0
1976–77	838071	40.3
1977–78	13523	40.4
1978–79	29255	39.6
1979–80	56530	39.4
1980–81	78438	39 6

जनपद झांसी में टोडी फतेहपुर पेय जल योजना की स्वीकृति तथा कार्यान्वयन में विलम्ब

28–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में टोडी फतेहपुर पेय जल योजना कब स्वीकृत हुई तथा स्वीकृत होने के बाद भी आज तक इस योजना पर कार्य प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण है ? इस योजना पर कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा तथा कब तक कार्य न कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

योजना को 1985 में तकनीकी स्वीकृति मिली ।

धनाभाव के कारण वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल सकी है ।

धन उपलब्ध होने पर ही वित्तीय स्वीकृति के बाद कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा । अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित इन्दिरा नगर कालोनी में ले आउट प्लान

29–श्री चन्द्र सेन–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित इन्दिरा नगर कालोनी के ब्लाक ए, सेक्टर 22 के आवास संख्या ए 1499/5 तथा ए 1499/39 को, लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से ले आउट इस प्रकार बनाया गया है कि उन्हें अतिरिक्त भूमि आवंटित हो सकें ? क्या उक्त आवासों के पास की सड़क तक का रास्ता जो उन मकानों के बगल से निकाला जा सकता था, का भी ध्यान नहीं रखा गया है ? यदि हां, तो क्या निरीक्षण कर पास की सड़क तक का रास्ता सरकार क्षेत्रीय आवंटियों के हितों में निकलवाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

ले आउट प्लान में भवन संख्या अंकित नहीं होता है । वर्तमान मामले में भवन संख्या-ए-1499/5 तथा ए-1499/39 आवंटित किए जाने के पूर्व ही ले आउट प्लान तैयार कर लिया गया था । अतः उसे उक्त भवनों को अतिरिक्त भूमि का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से, बनाये जाने का प्रश्न ही नहीं है ।

चूंकि सभी भवनों को समुचित पहुंच मार्ग उपलब्ध है, अतः उक्त भवनों की बगल से सड़क निकाले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

जनपद गाजियाबाद के पिलखुवा में सामान्य चिकित्सालय की स्थापना की मांग पर शासन की नीति

30–श्रीमती विमला सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि प्रश्नकर्ता ने पिलखुवा जनपद गाजियाबाद में सामान्य चिकित्सालय की की स्थापना (नया खुलवाने) हेतु दिनांक 23-8-86 तथा 4-3-87 संलग्नक सहित पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस संबंध में कृत कार्यवाही से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र दिनांक 23-8-86 प्राप्त हुआ है । शासन की वर्तमान नीति के अनुसार जिला योजनान्तर्गत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की संस्तुति पर प्रति 30,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वा0 केन्द्र तथा एक लाख की आबादी, एक विकास खण्ड अथवा चार प्राथमिक स्वा0 केन्द्रों में से एक को उच्चीकृत करके 30 शैय्यायुक्त एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जा सकती है । पिलखुआ की आबादी लगभग 40,000 है और यहां मानकों के अनुसार एक नया प्राथमिक स्वा0 केन्द्र पहले से स्वीकृत है तथा समीपवर्ती ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (हापुड़, भोजपुर तथा दौलाना) के मध्य एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हापुड़ में स्थापित है ।

वर्तमान में किसी सामान्य चिकित्सालय की स्थापना की नीति नहीं है ।

श्री विजय कुमार श्रीवास्तव होम्योपैथिक कम्पाउंडर (रायबरेली) की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति

31—श्री मैनेजर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री एस0 पी0 श्रीवास्तव प्रधान लिपिक मुख्य चिकित्साधिकारी रायबरेली के पुत्र श्री विजय कुमार श्रीवास्तव को होम्योपैथिक कम्पाउंडर पद पर नियुक्ति बिना रिक्ति के अनियमित रूप से की गयी है जबकि यह तकनीकी नियुक्ति शासन द्वारा निर्धारित चयन समिति द्वारा ही की जा सकती है? यदि हां, तो इस अनियमितता के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिक्त पद पर अस्थायी नियुक्ति की गई ।

प्रश्न नही उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य चिकित्साधिकारी रायबरेली के विरुद्ध कथित आरोपों की जांच

32—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1984—85 से जनपद में चिकित्सालयों के रख रखाव, रंगाई पुताई आदि हेतु शासन द्वारा लगभग लाखों रुपये मुख्य चिकित्साधिकारी रायबरेली को आवंटित किये गये थे? क्या यह सही है कि मौके पर रख रखाव रंगाई पुताई आदि नाम मात्र का कराकर सम्पूर्ण धन हड़प लिया गया? यदि हां, तो क्या शासन इस प्रकरण की सम्पूर्ण उच्च स्तरीय जांच कराकर तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी रायबरेली के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हेतु आदेश दे दिये गये हैं।

33—श्री मैनेजर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1984—85 एवं वर्ष 1985—86 में तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी रायबरेली ने होम्योपैथिक चिकित्सालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनियमित अनियुक्तियां की है? यदि हां, तो ऐसे अधिकारी के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

34—श्री मैनेजर सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के तदर्थ चयन के विरुद्ध मामला न्यायालय में विचाराधीन

35—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1985—86 के होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के तदर्थ चयन के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें शासन के संज्ञान में आयीं व शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी तथा भविष्य में अब तक की शिकायतों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु शासन स्तर से क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रश्नगत चयन के सम्बन्ध में भेद भाव, गुट बाजी, भ्रष्टाचार, निर्धारित अर्हताओं में से एक विशिष्ट अर्हता को वेटेज दिये जाने आदि की अनेक शिकायतें शासन के संज्ञान में आई हैं। परन्तु ये बिन्दु न्यायालय में विचाराधीन एक रिट याचिका में अन्तर्ग्रस्त हैं। माननीय न्यायालय के निर्णयोपरान्त समुचित कार्यवाही की जावेगी।

श्री आर0 डी0 राम अधीक्षक राजकीय उद्यान, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

36—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री संकठा प्रसाद यादव अध्यक्ष उ0प्र0 पि0 अ0 अल्प संख्यक समाज सुधार समिति ने कोई पत्र दिनांक 23-12-86 को श्री आर0डी0एम0 अधीक्षक राजकीय उद्यान गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं सरकारी धन के अपव्यय से सम्बन्धित दिया है? यदि हां, तो शिकायतें क्या-क्या हैं और उनकी जांच कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतें निम्नलिखित हैं:—

1—श्री आर0डी0 राम, अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर के कानपुर से गोरखपुर स्थानान्तरण के पश्चात् उनके द्वारा प्रस्तुत यात्रा भत्ता के बीजक में श्री राजेन्द्र प्रसाद को परिवार का सदस्य बनाकर भुगतान प्राप्त करना।

2—श्री राजेन्द्र ट्रेडिंग नामक गैर पंजीकृत कम्पनी से औद्योगिक विकास से संबंधित फल एवं बीजों का क्रय करना।

3—सरकारी आवास में उनके लड़के द्वारा स्थापित उक्त गैर पंजीकृत कम्पनी से क्रय विक्रय करना।

उपर्युक्त शिकायतों की जांच कराई जा रही है।

जनसंख्या केन्द्र लखनऊ के निदेशक पद पर चयन हेतु आयोग की संस्तुति, शासन के विचाराधीन

37—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत जनसंख्या केन्द्र लखनऊ के निदेशक पद हेतु सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के लिए शासन द्वारा 1984 में लोक सेवा आयोग उ0प्र0 को सौंपा गया था और जिसके सम्बन्ध में आयोग ने 30 जून, 1984 को विज्ञप्ति जारी करके 20 फरवरी, 1986 को अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर अपने पत्र सं0 566/15/एस-8/82-83 दिनांक 27 फरवरी, 1986 को सफल अभ्यर्थी की नियुक्ति की संस्तुति की थी? यदि हां, तो चुने गये अभ्यर्थी का नाम क्या है तथा उसकी नियुक्ति अब तक क्यों नहीं की गयी है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। चुने गये अभ्यर्थी का नाम डा0 अशोक कुमार है। उक्त संस्तुति के आधार पर नियुक्ति का अधिकार शासन को है। अभी प्रस्ताव पर नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग में जनसंख्या केन्द्र के अधिकारियों की निर्धारित शैक्षिक योग्यतानुसार नियुक्ति

38–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत जनसंख्या केन्द्र के कई अधिकारी अपने स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा की गलत अंक तालिका प्रस्तुत करके नियुक्ति प्राप्त कर लिये हैं तथा राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो स्वास्थ्य विभाग लखनऊ के मुख्यालय में सोशल साइंटिस्ट के पद पर नियुक्त श्रीमती विमल साहनी की एम0 ए0 की अंक तालिका जो 1971 में प्रस्तुत की गयी थी उसके अंक क्या हैं? क्या यह सही है कि पद के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत अंक उन्होंने नहीं प्राप्त किये थे? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति किस आधार पर की गयी है? क्या मंत्री जी लोक सेवा आयोग के पत्र सं0 आर0 वी0–1978/20-70-71 दिनांक 30-8-72 तथा मा0 मुख्य मंत्री जी के पत्र सं0 एफ0 जी0 06342/16-11-77-282/68 दिनांक 4-11-77 सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनसंख्या केन्द्र में स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा की गलत अंक तालिका प्रस्तुत करके किसी भी अधिकारी ने नियुक्ति प्राप्त नहीं है। डा0 (श्रीमती) निर्मल साहनी ने एम0 ए0 (स्पेशल) इकोनोमिक्स में 48% अंक प्राप्त किये हैं। श्रीमती निर्मल साहनी को निर्धारित शैक्षिक योग्यता में 50 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांकों की शर्त से छूट देकर राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो में सोशल साइंटिस्ट के पद पर दिनांक 21 मई, 1971 को अस्थायी नियुक्ति दी गई थी। न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने के तथ्यों से लोक सेवा आयोग को भी अवगत करा दिया गया था। वर्णित परिस्थितियों में शेष प्रश्न नहीं उठता है।

विश्व बैंक परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में पत्र द्वारा सूचना की मांग

39–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वी0 पी0 गोयल अपर निबन्धक (क्रय विक्रय) सहकारी समितियों उ0 प्र0 ने विश्व बैंक परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में ग्यारह तथ्यों पर सूचना मंगाने हेतु प्रबन्ध निदेशक उ0 प्र0 सहकारी बैंक लखनऊ को कोई पत्र 6 जून, 86 अ0 शा0 पत्रांक 7933 भेजा है? यदि हां, तो प्रबन्ध निदेशक द्वारा अब तक सूचना न भेजने का क्या कारण है? क्या यह सही है कि सूचना के अभाव में सैकड़ों कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो क्या?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां। पत्र का उत्तर उ0 प्र0 सहकारी बैंक द्वारा पत्रांक–स्था0/86-87/पी0 बी0–653 दिनांक 5-11-86 द्वारा दिया जा चुका है। अतः इस सम्बन्ध में किसी के भी विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

याहियागंज, जनपद लखनऊ में स्थित नाले को बन्द कराने की योजना

40–प्रधान प्रभु दयाल–

द्वितीय सत्र 86 के दूसरे मंगल के लिए निर्धारित ता0 प्र0 सं0 14 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त नाले का कार्य अगले वर्ष में पूर्ण कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि यही नाला आगे पाटानाला कहलाता है जो कि जगत निवास की कोठी से पाटानाला रोड तक पाट दिया गया है? यदि हां, तो उक्त नाला को पाटने में सरकार को क्या आपत्ति है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र का विद्युतीकरण एवं लक्ष्य

41–श्री शारदा प्रताप–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर के कितने ग्रामों का विद्युतीकरण दि इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लि0 निरालानगर के द्वारा अब तक किया गया तथा कितनी हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण किया गया? शेष हरिजन बहुल्य ग्रामों में कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

दि कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लि0 निरालानगर द्वारा अब तक जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर में कुल 119 ग्रामों का विद्युतीकरण एल0 टी0 मेन्स द्वारा किया गया तथा 164 ग्रामों का विद्युतीकरण केन्द्रीय विद्युत संस्थान (सी0 ई0 ए0) की परिभाषा के अन्तर्गत किया गया है। उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत समिति द्वारा 61 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है। वर्ष 1989-90 तक क्षेत्र के सभी ग्रामों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जनपद बाराबंकी के टाउन एरिया फतेहपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सूचना देने की जानकारी की मांग

42–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के टाउन एरिया फतेहपुर में 1985-86 में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत संबंधित व्यक्तियों को उनकी दूकानें हटाने या गिराने के पूर्व कोई नोटिस टाउन एरिया द्वारा दी गयी थी? यदि हां, तो कितने दिन की?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना एकत्र की जा रही है।

43–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त अभियान प्रारम्भ करने के पूर्व टाउन एरिया में अतिक्रमण का पता लगाने के लिए कोई व्यक्ति अधिकारी अथवा कमेटी नियुक्त की गयी थी? यदि हां, तो क्या उसने टाउन एरिया की समस्त अतिक्रमण की गई भूमि का कोई कागज तैयार किया था? यदि हां, तो क्या उपरोक्त सम्पूर्ण अतिक्रमण हटा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना एकत्र की जा रही है।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बरेली के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच एवं स्थानान्तरण

44–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 6-2-87 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बरेली के एक प्रतिनिधि मण्डल ने उन्हें बरेली में मिलकर विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (आवास एवं विकास परिषद् उ0 प्र0) बरेली के विरुद्ध भ्रष्टाचार व रिश्वत खोरी के सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बरेली का माननीय मुख्य मंत्री जी के नाम एक खुले पत्र दिनांक 31-1-87 में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (आवास एवं विकास परिषद्) बरेली के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं, जिन पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), मुरादाबाद द्वारा जांच की जा रही है। सम्बन्धित अधिकारी को इस बीच वहां से स्थानान्तरित भी कर दिया गया है।

साधन सहकारी समिति हनुमानगंज के भू0पूर्व सरपंच श्री राज किशोर दुबे ग्राम बेलासदा सुल्तानपुर के विरुद्ध गबन के आरोप सम्बन्धित मामला न्यायालय के विचाराधीन

45–श्री मित्रसेन–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि साधन सहकारी समिति हनुमानगंज के भू0 पू0 सरपंच श्री राज किशोर दुबे पुत्र श्री पंचम दुबे नि0 ग्रा0 बेलासदा, अभियांकला, कोतवाली सुल्तानपुर के विरुद्ध अपराध संख्या 254 धारा 409, 33, 315, 48 दिनांक 28-4-72 के संदर्भ में विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता द्वारा विवेचना उपरान्त कौन-कौन से अभियोग प्रकाश में आये हैं और कितनी धनराशि का गबन प्रमाणित हुआ है? इसमें सीधी वसूली की कार्यवाही विभाग द्वारा न किये जाने का क्या कारण है?

श्री अरूण कुमार सिंह–

साधन सहकारी समिति लि0 हनुमानगंज के भू0पू0 सरपंच श्री राजकिशोर दुबे पुत्र श्री पंचम दुबे निवासी ग्राम बेलासदा, कोतवाली सुल्तानपुर सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 254/72 के विरुद्ध दिनांक 28-4-72 को थाना कोतवाली सुल्तानपुर में प्रथम सूचना अंकित कराए जाने पर विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता, फैजाबाद द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्त श्री राजकिशोर दुबे के विरुद्ध धारा 409/468/471/477 ए तथा धारा 120 बी भा0द0 वि0 के अन्तर्गत अपराध सिद्ध पाये गये और मू0 1960.00 रुपये के अपहरण का आरोप प्रमाणित हुआ है।

यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अस्तु प्रथम सूचना दर्ज कराने के उपरान्त सीधी वसूली की कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर की नाका हिण्डोला हैदर कैनाल पुल से मोती नगर चौराहे को मिलाने वाली सड़क के पुनःनिर्माण की मांग

46—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर की नाका हिण्डोला हैदर कैनाल पुल से मोतीनगर चौराहे को मिलाने वाली सड़क जर्जर दशा में है तथा उक्त सड़क पर विद्युत प्रकाश एवं सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है और इससे जनता को आवागमन में अत्यन्त कठिनाई होती है एवं गंदगी के कारण मच्छरों का अत्यधिक प्रकोप है? क्या मंत्री जी उक्त सड़क का पेवर मशीन द्वारा नवीनीकरण कराने मार्ग प्रकाश एवं नियमित सफाई की समुचित व्यवस्था कराने तथा मच्छरों को समाप्त करने हेतु समय-समय पर कीट नाशक दवाओं का छिड़काव एवं फागिंग मशीन से धुंआं छुड़वाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करेंगे? यदि हां, तो उपरोक्त व्यवस्थायें कितनी अवधि में करा दी जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ के राजाजीपुरम् कालोनी के एफ ब्लाक का विकास कार्य

47—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि लखनऊ में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा निर्मित राजाजीपुरम् कालोनी के ब्लाक एफ में विकास के कार्य अधूरे पड़े हैं तथा नागरिक सुविधाओं का घोर अभाव है, एफ-एफ मार्ग पर बिजली के बहुत से खम्भों में ट्यूब लाईट एवं बल्ब की व्यवस्था नहीं है अथवा वे खराब पड़े हैं, सीवर लाइन दोषमुक्त होने से गन्दा पानी सड़कों पर बहता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त एफ ब्लाक के शेष विकास कार्यों को पूर्ण कराने, मार्ग प्रकाश की समुचित व्यवस्था कराने, सीवर लाइनों का सुधार एवं सड़कों की मरम्मत आदि के कार्य तुरन्त पूर्ण करवाने का कष्ट करेंगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

राजाजीपुरम् कालोनी के एफ ब्लाक में कोई विकास कार्य अधूरा नहीं है। बिजली के खम्भों पर ट्यूबलाइट लगी हुई हैं तथा सीवर लाइनें भी चालू हालत में हैं व सड़कें सही स्थिति में हैं।

अब यह कालोनी दिनांक 1-5-87 से नगर महापालिका, लखनऊ को हस्तान्तरित कर दी गई है।

झांसी जनपद में बोरिंग की दर विभागीय अनुसूची के अनुसार ही निर्धारित

48—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के बीसलपुर विकास खण्ड में स्टीकी मिट्टी में वर्ष 83-84 में 150 मीलीमीटर व्यास बोरिंग की निम्नतम दर तीस रुपये प्रति मीटर थी? यदि हां, तो झांसी जनपद में साधारण मिट्टी में उक्त बोरिंग की दर 87.16 रुपये प्रति मीटर स्वीकृत किये जाने का क्या औचित्य है? क्या मंत्री जी इस प्रकार अधिक दर पर कार्य कराने की स्वीकृति देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

बीसलपुर विकास खण्ड जनपद पीलीभीत में वर्ष 83-84 में बोरिंग की दरें लगभग रु0 40.00 प्रति मीटर थी।

झांसी जनपद के लिए अगस्त, 86 में क्रेसिंग के साथ तथा बिना क्रेसिंग के बोरिंग की दर क्रमशः रु0 87.15 एवं रुपये 74.15 स्वीकृत की गयी जो कि विभागीय अनुसूची के अनुरूप है।

वास्तव में क्रेसिंग पाइप के साथ तथा बिना क्रेसिंग के बोरिंग का कार्य क्रमशः लगभग रु0 76.00 एवं 66.00 प्रति मीटर की दर से कराया जा रहा है जो जनपद की मरिंग, बजरी एवं कठोर स्ट्रेटा के लिए उचित है। आमंत्रित निविदाओं पर दरें, स्वीकृत एवं वास्तव में कराये गये कार्यों की दरों से अधिक प्राप्त हुई है। उचित दरों की स्वीकृति तथा कार्यों को कराने के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

किसान सेवा सहकारी समिति लि0 भवन बहादुर नगर बुलन्दशहर में प्रबन्ध निदेशक के पद पर कार्यरत सहकारी निरीक्षक वर्ग–2

49–श्री किरन पाल सिंह–

भवन बहादुर नगर लि0 जनपद बुलन्दशहर पर प्रबन्ध निदेशक के स्थान पर पर्यवेक्षक ही कार्य कर रहा है जिससे समिति की स्थिति दिनोंदिन खराब होती जा रही है? यदि हां, तो प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति न किये जाने का क्या कारण है?

श्री अरूण कुमार सिंह–

जी नहीं। किसान सेवा सहकारी समिति लि0 भवन बहादुर नगर जनपद बुलन्दशहर में प्रबन्ध निदेशक के पद पर सहकारी पर्यवेक्षक नहीं अपितु सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 कार्यरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्व0 श्री गंगा राम भू0पू0 वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक, गाजियाबाद के सिक्योरिटी का रुपया वापस करने की मांग

50–श्री किरन पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री गंगाराम भू0पू0 वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक जो गाजियाबाद से 31 अगस्त, 80 को सेवा निवृत्त हुए थे तथा जिनका स्वर्गवास 28-10-80 को हो गया? क्या यह सही है कि मैनपुरी जिले में सन् 1951 में सर्विस शुरू किये जाने के समय का सिक्योरिटी का एक हजार तीन रुपया तीन आना अभी तक उनकी पत्नी श्रीमती मोहर कौर को वापिस नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? सिक्योरिटी का रुपया कब तक वापस कर दिया जायेगा?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

9276

श्री मोहम्मद सिद्दीकी फार्मेसिस्ट राजकीय चिकित्सालय जारी बाजार इलाहाबाद के विरुद्ध शिकायत एवं स्थानान्तरण

51—कुंवर रेवती रमण सिंह:—

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि मो0 सिद्दीकी जो कि कम्पाउण्डर के पद पर राजकीय चिकित्सालय जारी बाजार इलाहाबाद में विगत कई वर्षों से कार्यरत है और इनके विरुद्ध गम्भीर शिकायतें हैं? यदि हां, तो वह क्या हैं? और उन्हें वहां से स्थानान्तरित करने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां। श्री मोहम्मद सिद्दीकी फार्मेसिस्ट राजकीय चिकित्सालय जारी बाजार इलाहाबाद के विरुद्ध स्थानीय राजनीति में भाग लेने और जनता के साथ अभद्रता का व्यवहार करने की शिकायतें शासन को प्राप्त हुई हैं। शिकायतों पर विचार करने के उपरान्त श्री मोहम्मद सिद्दीकी का स्थानान्तरण जारी बाजार, इलाहाबाद से मुरादाबाद कर दिया गया है।

बेरोजगार स्नातकों को लखनऊ में अस्थायी रूप से भूमि आवंटन सम्बन्धी सुझाव-पत्र

52—श्री अकबर हुसैन बावर—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके कार्यालय में प्रश्नकर्ता का पत्र 01737/86 दिनांक 7-10-86 को प्राप्त हुआ है जिसमें बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत बेरोजगार स्नातकों को लखनऊ में सड़क के किनारे की भूमि को उनके नाम अस्थायी तौर से आवंटन के सम्बन्ध में कहा गया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा आवंटन कब तक हो जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश जल निगम में प्रबन्ध निदेशक एवं अन्य की नियमित नियुक्ति

53—श्री रमेश यादव—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक की पूर्व नियुक्ति वर्तमान पद पर दिनांक 25-4-82 से 26-4-86 तक के लिए हुई थी और वह नियुक्ति श्री पी0जी0 त्यागी व श्री एस0एन0 माथुर जैसे वरिष्ठ अभियन्ताओं के वरिष्ठता की अनदेखी करके की गयी थी? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इनके द्वारा ई0 सर्वश्री रहमत खान, आर0 के0 शर्मा, ए0 सी0 सक्सेना, एम0 एच0 जहीर, एस0 आर0 दीक्षित व विजय कुमार जैसे प्रतिकूल प्रविष्टि वाले अभियन्ताओं को वर्किंग डिवीजन में नियुक्ति किया गया है? यदि हां, तो क्या पूरे मामले की जांच कराकर वर्तमान प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध कार्यवाई करना चाहेंगे?

श्रीमती पद्मा सेठ—

श्री शिव कुमार शर्मा को दिनांक 26 अप्रैल, 1983 से प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम के पद पर नियुक्त किया गया था। प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम के पद पर नियुक्ति उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 के अधीन ऐसे अभियन्ता जिन्हें जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी कार्यों का पर्याप्त अनुभव हो, में से की जाती है, जिसके लिये केवल ज्येष्ठता ही आधार नहीं है।

सर्वश्री रहमत खान, आर0 के0 शर्मा, ए0 सी0 सक्सेना, एस0 एच0 जहीर, एस0 आर0 दीक्षित एवं विजय कुमार, अधीक्षण अभियन्ताओं के गोपनीय प्रतिवेदनों में प्रतिकूल प्रविष्टियां नहीं हैं । इनकी नियुक्तियों में कोई अनियमितता नहीं बरती गई । अधीक्षण अभियन्ता मण्डल का अधिकारी होता है, न कि वर्किंग डिवीजन में होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चिकित्साधिकारियों (एलोपैथी) की नियुक्ति में कथित अनियमितता सम्बन्धी शिकायती-पत्र

54–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् 1985 में चिकित्साधिकारियों (एलोपैथी) की नियुक्तियों में बरती गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का रजिस्ट्री शुदा पत्र दि0 27-1-85 जो स्वास्थ्य सचिव, उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित है, शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या शिकायत की जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सन् 1985 में चिकित्साधिकारियों (एलोपैथी) की नियुक्तियां लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से प्राप्त चयन सूची के आधार पर की गई थीं। अतः किसी अनियमितता का प्रश्न नहीं उठता है । जहां तक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 27-1-85 का संबंध है, वह विभाग के अभिलेखों में प्राप्त हुआ विदित नहीं होता है ।

जनपद गोरखपुर के जिला उद्यान अधिकारी द्वारा फर्जी मस्टर रोल बनाकर हजारों रुपये के भुगतान की जांच

55–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के जिला उद्यान अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड एवं विकास खण्ड परियोजना में पनियारा में पौधशालाएं चलाई जा रही हैं जिसमें फरवरी एवं मार्च, 1986 में प्रत्येक पौधशाला में फर्जी मस्टर रोल बनाकर हजारों रुपए का भुगतान दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जिले की समस्त पौधशालाओं के फर्जी भुगतान की पूरी जांच कराने का आश्वासन देंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

गोरखपुर जनपद में जिला उद्यान अधिकारी का पद नहीं है । अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर जनपद के औद्योगिक कार्यों का कार्यान्वयन कराते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद के विकास खण्ड पसियारा में उद्यान विभाग की कोई पौधशाला नहीं है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद में चार पौधशालाएं खोली गई हैं, जो निम्नवत् हैं :–

1–विकास खण्ड परिसर, ब्रह्मपुर ।

2–विकास खण्ड परिसर, घुघली ।

3–विकास खण्ड परिसर, गोला ।

4–जू0 हाई स्कूल परिसर, गगहा ।

उपरोक्त पौधशालाओं में फरवरी एवं मार्च, 1986 में दैनिक श्रमिकों के मस्टर रोलों की जांच कराई जा रही है ।

आगरा सोइल टेस्टिंग लैब शाहगंज द्वारा किया गया वर्षवार परीक्षण एवं प्राप्त धन

56–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगरा में सोइल टेस्टिंग लैब (मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला) शाहगंज में स्थित है ? यदि हां, तो वर्ष 1984-85 व 1985-86 और 1986-87 में कितने मिट्टी के नमूनों का परीक्षण हुआ है और वह नमूने कहां-कहां से प्राप्त हुए तथा नमूनों से कितना धन मिला और कितने रुपयों का केमिकल का प्रयोग हुआ तथा मिट्टी के नमूनों के परीक्षण रपट पर क्या कार्यवाही हुई ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

वर्ष 1984–85 में 27,423

वर्ष 85–86 में 26,629 एवं

वर्ष 86–87 में 27,309 नमूनों का परीक्षण हुआ ।

जिन विकास खण्डों से नमूने प्राप्त हुए उनकी सूची संलग्न है ।

वर्ष 1984–85 में रु0 13,711.50

वर्ष 85–86 में रु0 13,314.50

वर्ष 86-87 में रु0 13,654.50 रुपये प्राप्त हुए ।

वर्ष 84–85 में रु0 89,124.75

वर्ष 85–86 में रु0 93,201.50

वर्ष 86–87 में रु0 1,02,408.75 का केमिकल प्रयोग हुआ ।

संबंधित अभिकरणों के विकास कार्यकर्ताओं द्वारा क्षेत्र में परीक्षण रिपोर्ट पर अनुपालन एवं कार्यवाही की गई ।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 106 पर।)

परिवार नियोजन कार्यक्रम में लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्राप्त अधिकारियों का प्रोत्साहन

57–श्री मैनेजर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986–87 में परिवार नियोजन कार्यक्रम में किन-किन अधिकारियों ने अपने लक्ष्यों से पांच गुना से अधिक उपलब्धता प्राप्त की ? इस प्रकार के अधिकारियों को प्रोत्साहित करने की दशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

किसी ने नहीं की ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोण्डा नगरपालिका में तालाब के जीर्णोद्धार हेतु अनुदान सम्बन्धी अस्वीकृत प्रस्ताव

58—श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि फैजाबाद मण्डल में उनके साथ हुई बैठक में प्रश्नकर्ता ने गोण्डा नगरपालिका अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराज देवी बक्श सिंह द्वारा निर्मित सागर तालाब के जीर्णोद्धार तथा सुन्दरीकरण हेतु दस लाख रुपया अनुदान के रूप में देने के लिए मांग किया था तथा दिनांक 11-2-87 को लिखित रूप में उपरोक्त आशय से पत्र भी दिया था ? यदि हां, तो उत्तर देते समय इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

प्रश्नकर्ता का मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 11-2-87 प्राप्त हुआ था । इस प्रकार की मद में धनराशि न उपलब्ध होने के कारण इस प्रस्ताव को विचारोपरान्त अस्वीकृत कर दिया गया है ।

नगरपालिका गोण्डा को विकास कार्य हेतु अनुदानों की स्वीकृति

59—श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि फैजाबाद मण्डल में दिनांक 7-2-87 को उनके साथ हुई बैठक में प्रश्नकर्ता ने गोण्डा नगरपालिका के विकास हेतु सड़कें, गली, पेयजल तथा प्रकाश व्यवस्था हेतु आर्थिक अनुदान के लिए मांग की थी और दिनांक 11-2-87 को लिखित रूप में उपरोक्त आशय हेतु पच्चीस लाख रुपए की मांग भी की थी? यदि हां, तो आज तक उक्त संबंध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

वित्तीय सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1986-87 में नगरपालिका, गोण्डा को रु0 1.00 लाख सड़क अनुदान तथा रु0 2.00 लाख प्रकाश व्यवस्था हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया है । पेयजल व्यवस्था हेतु शासन द्वारा स्थानीय निकायों को कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाता है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत आवंटियों को अतिरिक्त जमा धन की वापसी

60—श्री शारदा प्रताप—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर एच में भूखण्ड संख्या डी—1/एच से डी 1/15/एच तक के भूखण्डों का क्षेत्रफल 115—5 मीटर विज्ञापित किया गया था और क्या सही है कि इसी क्षेत्रफल के अनुसार आवंटियों से धनराशि भी वसूल की गई है जबकि लीज प्लान में इन भूखण्डों की भूमि 96—25 वर्ग मीटर ही दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों तथा इस त्रुटि के लिए कौन अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तरदायी है? क्या आवंटियों को पूर्व विज्ञापित क्षेत्रफल के अनुसार ही भूमि दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

जी नहीं, जिन आवंटियों की धनराशि अनुमानित विक्रय मूल्य के आधार पर अतिरिक्त जमा हो गई है उसे नियमानुसार वापस किया जा रहा है ।

जी हां ।

विवरण पुस्तिका के बिन्दु 3.4 में यह स्पष्ट किया गया था कि अंकित क्षेत्रफल स्थल की स्थिति के अनुसार कुछ घट बढ़ सकती है । जो आवंटी विज्ञप्ति क्षेत्रफल के अनुसार भूमि चाहते हैं उन्हें उपलब्धता के आधार पर बिना परिवर्तन शुल्क लिए भूखण्ड आवंटित किए जा सकते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास प्राधिकरण वाराणसी द्वारा निर्मित कालोनियों को नगर महापालिका को हस्तान्तरित करने की नीति

61–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास प्राधिकरण वाराणसी ने प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के आधार पर निर्मित कालोनियों को नगरपालिका वाराणसी को हस्तान्तरित करने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? वर्ष 80-81 से लेकर वर्ष 85-86 के बीच ऐसी कितनी कालोनियों का हस्तान्तरण हुआ है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

प्रश्नगत कालोनियों के हस्तान्तरण किए जाने के सम्बन्ध में नगर महापालिका/विकास प्राधिकरण/जल संस्थान के अधिकारियों की गठित टीम के सर्वेक्षण के आधार पर एवं कालोनियों के तैयार किए गए व्ययानुमान के अनुसार कालोनाइजरों से धनराशि की मांग की गई है । जैसे ही धनराशि प्राप्त हो जायेगी कालोनियों को विकसित करने के उपरान्त ही उन्हें समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर महापालिका को हस्तान्तरित किया जायेगा ।

कोई भी कालोनी हस्तान्तरित नहीं की गई है ।

श्री इन्द्रपाल सिंह, भूमि संरक्षण अधिकारी, विधूना, इटावा के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

62–श्री आसान सिंह–

क्या कृषि मंत्री को प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 8-5-85 श्री इन्द्रपाल सिंह, भूमि संरक्षण अधिकारी, विधूना, इटावा के विरुद्ध प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद इटावा की टाउन एरियाओं को विशेष सड़क अनुदान आवंटन में सन्तुलन

63—श्री आसान सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28 जनवरी, 86 जो अछल्दा विधूना, जनपद इटावा की टाउन एरियाओं को विशेष सड़क अनुदान दिए जाने विषयक था, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

उक्त पत्र के सन्दर्भ में मा0 सदस्य महोदय को दिनांक 31 मार्च, 1986 को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है ।

64—श्री आसान सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 में इटावा जनपद की किस टाउन एरिया को कितना-कितना धन विशेष सड़क अनुदान के रूप में दिया गया है तथा क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि इस सड़क अनुदान आवंटन में असंतुलन बरता गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

इटावा जनपद की टाउन एरिया कमेटी बाबरपुर-अजीतमल को वर्ष 1985-86 में रु0 1.00 लाख का विशेष सड़क अनुदान स्वीकृत किया गया है ।

इस सड़क अनुदान आवंटन में कोई असन्तुलन नहीं बरता गया है ।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् में सर्वेयर पद पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने का विचाराधीन मामला

65—श्री बलराम यादव—

क्या आवास मंत्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् में सर्वेयर के पदों पर अनेक लोग कई वर्षों से कार्यरत हैं लेकिन उनको अभी तक नियमित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इन सर्वेयर के पदों पर नियुक्त लोगों को कब तक नियमित किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां । ऐसे पांच कर्मचारी सर्वेयर के पद पर तदर्थ रूप से कार्यरत हैं, जिनको नियमित किए जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

पर्वतीय जनपदों में जिला कृषि अधिकारी के रिक्त पदों पर तैनाती के आदेश

66—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जनपदों में अभी तक कितने जिला कृषि अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए हैं और यह नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

पर्वतीय जनपदों में जिला कृषि अधिकारी के 2 पद उपलब्ध हैं जिसमें से जिला कृषि अधिकारी उत्तरकाशी के रिक्त पद पर तैनाती का आदेश किया जा चुका है। जिला कृषि अधिकारी, देहरादून का पद भरा हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता है।

इन्दिरा नगर लखनऊ में निर्धारित मानक के अनुसार सीवर व्यवस्था

67–श्री चन्द्र सेन–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा नगर, लखनऊ के सेक्टर 4 ब्लाक 1 की सीवर लाइन निर्धारित मानक के अनुसार बिछायी न जाने के कारण उक्त क्षेत्र की सीवर व्यवस्था काफी दिनों से अस्त-व्यस्त है ? क्या जनता की शिकायत पर इस क्षेत्र का निरीक्षण सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिनांक 15-4-86 को कर कुछ आवासों की सीवर व्यवस्था ठीक कराने के आदेश तत्कालीन सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता को दिए गए थे ? यदि हां, तो उसका अनुपालन सहायक अभियन्ता (तत्कालीन श्री अग्रवाल) द्वारा न करने का क्या कारण है और सीवर व्यवस्था अभी तक ठीक नहीं हो सकी है ? क्या दोषी अधिकारी को दण्डित करेंगे और सीवर व्यवस्था ठीक कराने के आदेश देंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं। सीवर लाइन का कार्य निर्धारित मानक के अनुसार किया गया था एवं सीवर लाइन सुचारु रूप से कार्य कर रही है।

जी हां।

इन आदेशों का उल्लंघन सहायक अभियन्ता द्वारा नहीं किया गया है इसलिए उन्हें दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता। सीवर की सफाई व फ्लशिंग नियमित रूप से की जाती है।

नगरपालिका दादरी, गाजियाबाद के प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर प्रतीक्षित जांच आख्या

68–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9 अक्टूबर, 1986 को प्रश्नकर्ता ने एक पत्र नगरपालिका दादरी, जिला गाजियाबाद के प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध दिया था ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां।

जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद से जांच आख्या प्रतीक्षित है।

आगरा महानगर में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को नगर महापालिका को स्थानान्तरित किए जाने के आदेश

69—श्री सत्य प्रकाश विकल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगरा महानगर में स्ट्रीट लाइट की दुहरी व्यवस्था समाप्त करते हुए-उसे विद्युत प्रदेय उपक्रम से नगर महापालिका द्वारा लिए जाने के आदेश दिए जा चुके हैं ? यह आदेश कब दिए गए ? क्या इसके लिए महापालिका में विद्युत कर्मचारियों व अन्य वरिष्ठ पदों की भर्ती के लिए स्वीकृति दे दी गई है और क्या महापालिका ने विद्युत प्रदेय उपक्रम से स्ट्रीट लाइट व्यवस्था का अधिग्रहण कर लिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

30-7-81 को दिए गए ।

जी हां ।

जी नहीं । क्योंकि स्टाफ की नियुक्ति एवं सर्वेक्षण का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है ।

जिला मैनपुरी के नगला गुलाल में औषधालय की मांग

70—श्री राम नरेश यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि नगला गुलाल (उरावर) तहसील शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी में काफी अरसे से औषधालय की मांग चली आ रही है ? यदि हां, तो अब तक सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वर्तमान नीति के अनुसार प्रति 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना जिला योजनान्तर्गत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की संस्तुति पर की जाती है। अभी नगला गुलाल (उरावर) में अस्पताल की स्थापना के सम्बन्ध में उपर्युक्त समिति की संस्तुति प्राप्त नहीं हुयी है ।

राजकीय अस्पताल शिकोहाबाद, मैनपुरी में नेत्र अस्पताल की स्थापना की मांग

71—श्री राम नरेश यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय अस्पताल शिकोहाबाद, जनपद मैनपुरी में नेत्र चिकित्सा की व्यवस्था करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

जनपद गोरखपुर के ब्लाक महराजगंज में सहायक कृषि निरीक्षक के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच की मांग

72—श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक महराजगंज मुख्यालय पर नियुक्त सहायक कृषि निरीक्षक (श्री मंगल सिंह) के विरुद्ध श्री राम लाल यादव कोषाध्यक्ष लोकदल, महराजगंज, गोरखपुर का दिनांक 19-7-85 के पत्र पर उप सचिव श्री ज्ञान प्रकाश ने अपने पत्रांक अ0 शा0 एम0-/25/12191-85 1309/85 उत्तर प्रदेश शासन, कृषि अनुभाग-9, लखनऊ दिनांक 31 अगस्त, 1985 द्वारा प्राप्त होना एवं इस पर कार्यवाही किये जाने की सूचना दी है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

73—श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त कृषि निरीक्षक के विरुद्ध भारत के कृषि मंत्री के निजी सचिव का पत्रांक डब्लू/सी0 नं0 2551/मिनीस्टर/ए0 एण्ड आ0 डी0/85 दिनांक 6-8-85 निजी सचिव, कृषि मंत्री उ0 प्र0 सरकार, लखनऊ को कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

74—श्री सुखपाल पाण्डे तथा
श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या कृषि मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त कर्मचारी (श्री मंगल सिंह) सहायक कृषि निरीक्षक के विरुद्ध कृषि भवन, नई दिल्ली से प्रेषित पत्र सं0 डब्लू0 सी0 नं0 3442 दिनांक 31-10-85 मिनीस्टर ए0 एण्ड आर0 डी0/85 जो निजी सचिव कृषि मंत्री, उ0 प्र0 सरकार को प्राप्त हुआ है जिसमें सी0 बी0 आई0 से जांच कराने की बात अंकित है ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

75—श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या कृषि मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कर्मचारी (श्री मंगल सिंह) सहायक कृषि निरीक्षक के विरुद्ध गृह मंत्री, भारत सरकार के निजी सचिव का संख्या-

545/87 दिनांक 21-1-87 का पत्र कृषि मंत्री के निजी सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से कृषि मंत्री, उ0 प्र0 सरकार को प्राप्त हुआ है, जिसमें (श्री मंगल सिंह) सहायक कृषि निरीक्षक, जनपद गोरखपुर के विरुद्ध शिकायत संबंधी पत्र जांच की बात अंकित की गयी है? यदि हां, तो उस कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

निबन्धक सहकारी समितियां उ0 प्र0 लखनऊ के कथित अनियमितता से सम्बन्धित आरोप-पत्र

76–श्री हर्ष वर्धन–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि महाप्रबन्धक पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर का अर्द्ध शासकीय पत्र सं0 ई0 पी0 सी0 वी0/प्र0 दिनांक 5-2-87 जो निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि पत्र में गम्भीर अनियमितता के कतिपय आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो आरोप क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फरनगर के 11 निलम्बित कर्मचारियों की बहाली एवं संबंधित अधिकारियों के निलम्बन की मांग

77–श्रीमती सरोज वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, 1985 में जनपद मुजफ्फरनगर के 11 कृषि रक्षा कर्मचारी अधोमानक (एक्स पायरी) कृषि रक्षा दवाइयां बेचने के जुर्म में निलम्बित किये गये थे ? यदि हां, तो उन्हें निर्दोष पाने पर भी बहाल क्यों नहीं किया गया? क्या उक्त अधोमानक दवाइयां बेचने के लिये लिखित आदेश पारित करने वाले कृषि रक्षा अधिकारी श्री चौहान सिंह तेवतिया तथा डा0 वी0 के0 त्यागी, तत्कालीन जिला कृषि एवं परियोजना अधिकारी को निलम्बित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में प्रशिक्षण हेतु भर्ती में सुरक्षा कर्मियों के बच्चों को आरक्षण की सुविधा

78–कर्नल केशरी सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों में प्रशिक्षण के लिए भर्ती में जो सुरक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए एक प्रतिशत का आरक्षण है, उसमें गत दो वर्षों से कितने सुरक्षा कर्मियों के बच्चों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितनों को प्रशिक्षण के लिए भर्ती किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु युद्ध में शहीद/अपंग सैनिकों के बच्चों के लिए एक प्रतिशत आरक्षित सीटों के समक्ष विगत दो वर्षों में प्राप्त प्रार्थना पत्रों तथा भर्ती किये गये अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत् है:

वर्ष	कुल प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या	प्रतियोगिता में चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
1985	15	1
1986	13	1

उपर्युक्त वर्षों में केवल एक-एक अभ्यर्थी न्यूनतम 50 प्रतिशत अर्हकारी अंक प्राप्त कर पाये अतः केवल उन्हीं को प्रवेश दिया गया ।

श्री केदार नाथ तिवारी, सेवा निवृत्त, वार्ड ब्वाय चिकित्सालय, कानपुर के सेवा निवृत्तिक एवं अन्य देयों के भुगतान की स्थिति

79–कर्नल केशरी सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री केदार नाथ तिवारी पुत्र श्री हनवन्त तिवारी जो कि 31-1-84 को यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर से वार्ड ब्वाय की 40 वर्ष सेवा के उपरान्त सेवा निवृत्त हुए हैं, को ग्रेच्युटी भविष्य निधि जमा की राशि, अनिवार्य बीमा योजना की धनराशि पेंशन, बकाया आवासीय भत्ता तथा महंगाई भत्ता का भुगतान कब तक किया जायेगा तथा क्या उन्हें इस बकाया राशि पर सेवा निवृत्ति की तिथि से ब्याज भी दिया जायेगा तथा इस प्रकार एक सेवा निवृत्त अल्प वेतन भोगी कर्मचारी को परेशान करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्री केदार नाथ तिवारी, सेवा निवृत्त, वार्ड-ब्वाय यू0 एच0 एम0 चिकित्सालय कानपुर के सेवा निवृत्तिक एवं अन्य देयों के भुगतान की स्थिति निम्न प्रकार है :—

पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है । ग्रेच्युटी स्वीकृत करने का मामला महालेखाकार के स्तर पर लम्बित है । भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान हो चुका है । आवासीय भत्ता देय नहीं है क्योंकि इन्हें आवास आवंटित था ।

अनिवार्य बीमा योजना का दावा जीवन बीमा निदेशालय को भेजा जा रहा है।

महंगाई भत्ता जो रु0 31.60 का शेष था प्रीआडिट हो चुका है जिसे विभागाध्यक्ष से स्वीकृत करा कर शीघ्र भुगतान किया जायेगा ।

विलम्ब के लिए दोषी पाये गये कर्मियों के विरुद्ध नियमान्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।

मो0 सिद्दीकी को कुतुबपुर इरादत नगर योजना में आवंटित भूमि पर किसी का कब्जा न होना

80—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र सन् 1987 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित श्रीमती कमला साहनी सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0—66 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मो0 सिद्दीक को आवंटित की गई भूमि पर अनधिकृत कब्जा किस व्यक्ति का पाया गया तथा पट्टा की विधिवत रजिस्ट्री होने से पहले अनधिकृत कब्जा न हटाये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

श्री मो0 सिद्दीक को कुतुबपुर इरादत नगर योजना में आवंटित 1774 वर्गफुट भूमि पर किसी व्यक्ति का अनधिकृत कब्जा नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर पालिका फैजाबाद में अधिकारियों के आवास हेतु निर्मित 16 भवनों के आवंटन से हानि का न होना

81—श्री मित्रसेन—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगी कि नगर पालिका फैजाबाद द्वारा वर्ष 1962—63 में 16 उच्च आय वर्गीय भवन निर्मित कराये गये थे जो फैजाबाद लखनऊ रोड पर न्यायालय परिसर फैजाबाद के उत्तर स्थित हैं? क्या उक्त भवन राजकीय अधिकारियों के कब्जे में हैं? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि उसमें से एक भवन का किराया दूरदर्शन से 1500/- प्रतिमाह लिया जाता है तथा शेष भवनों का किराया कब्जा किए हुए अधिकारियों से नाम मात्र का ही लिया जा रहा है ? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि विक्रय के उद्देश्य से बनवाये गये उक्त भवनों का प्रतिवर्ष अनुरक्षण व्यय तथा किराये से होने वाली आय में हानि की धनराशि कितनी है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां, प्रश्नगत 16 भवन नगरपालिका फैजाबाद द्वारा वर्ष 1961 में अधिकारियों के आवास हेतु बनवाये गये थे तथा उक्त भवन जिन अधिकारियों को आवंटित है उनसे नियमान्तर्गत निर्धारित किराया लिया जा रहा है। दूर-दर्शन को आवंटित एक भवन का किराया 1500/- रु0 मासिक लिया जाता है क्योंकि यह आवंटन आवासीय न होकर व्यवसायिक है ।

प्रश्नगत भवन विक्रय के उद्देश्य से नहीं बनवाये गये थे । उक्त भवनों के प्रतिवर्ष अनुरक्षण व्यय तथा किराये से होने वाली आय में कोई हानि नहीं हो रही है ।

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा पाण्डेपुर और खजुरी की अधिग्रहीत भूमि का मामला न्यायालय से खारिज

82—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगी कि नगर वाराणसी में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा पाण्डेपुर-खजुरी हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत लगभग 36 एकड़ भूमि अधिग्रहीत किया जाना प्रस्तावित है? क्या यह सच है कि उक्त प्रस्तावित भूमि में लगभग 250

मकान निर्मित हैं तथा उनके नक्शा बाकायदा पास हैं तथा वह बिजली व पानी का टैक्स अदा करते हैं ? क्या इस संबंध में वहां के निवासियों ने उच्च न्यायालय में कोई मुकदमा दायर किया था जिसमें वाराणसी विकास प्राधिकरण से अपनी योजना पर पुनर्विचार करने तथा जनता को कम से कम डिस्टर्ब करने को कहा गया था ? यदि हां, तो क्या योजना पर पुनर्विचार किया गया है ? यदि हां, तो अब स्थिति क्या है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

जी नहीं ।

पाण्डेपुर और खजुरी की उपरोक्त भूमि के भू-स्वामियों ने भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत विज्ञप्ति के प्रकाशोपरान्त भूमि अवाप्त की कार्यवाही की वैद्यता को उच्च न्यायालय में चुनौती दिया था किन्तु उनकी रिट खारिज कर दी गई है ।

जी नहीं,

प्रश्न ही नहीं उठता ।

उ0 प्र0 के फार्मेसिस्टों द्वारा की गई हड़ताल की मुख्य मांगें तथा शासन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

83–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 86 के दूसरे सप्ताह में उ0 प्र0 में फार्मेसिस्टों द्वारा जो प्रदेश व्यापी हड़ताल की गई उसमें हड़तालियों की मांगें क्या थीं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

उ0प्र0 के फार्मेसिस्टों द्वारा अप्रैल, 1986 में जो हड़ताल की गयी थी, उसके परिप्रेक्ष्य में उनकी मांगों का विवरण और शासन द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न† है।

मथुरा वृन्दावन में धर्मशालाओं की सफाई एवं रख-रखाव की व्यवस्था

84–श्री सरदार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा वृन्दावन में दर्शनार्थ आने वाले यात्रियों के ठहरने हेतु धर्मशालायें हैं? यदि हां, तो दोनों शहरों में निर्मित धर्मशालाओं के नाम व पते क्या हैं? शासन इन धर्मशालाओं की सफाई एवं रख-रखाव के लिये क्या मदद कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां।

सूची संलग्न है†† ।

इनकी सफाई एवं रख-रखाव का प्रबन्ध इनके प्रबन्धकों/प्रबन्ध समितियों द्वारा किया जाता है। प्रबन्ध समितियों के अनुरोध पर विशेष अवसरों पर धर्मशालाओं की सफाई व्यवस्था का कार्य नगरपालिकाओं द्वारा भी किया जाता है।

---

†छापा नहीं गया ।

††छापी नहीं गई ।

सेवा निवृत्त डा0 के0 एस0 मिश्रा के ग्रेच्युटी पेंशन आदि देयों के भुगतान में विलम्ब

85—श्री सरदार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि डा0 के0एस0 मिश्रा वर्ष 1981-82 में सीनियर मेडिकल अधीक्षक मानसिक चिकित्सालय बरेली से अवकाश प्राप्त किए थे? यदि हां, तो अब तक उनकी पेंशन ग्रेच्युटी आदि देयों के न मिलने के क्या कारण हैं? क्या शासन अविलम्ब उनके सभी देयों का भुगतान कराने की कृपा करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

डा0 के0एस0 मिश्रा, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय बरेली के पद से दिनांक 30-6-82 को सेवा निवृत्त हुए थे।

उनके मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के कार्यकाल वर्ष 1979-80 के अभिलेखों से सम्बन्धित निदेशालय के आन्तरिक सम्प्रेक्षा दल द्वारा की गई विशेष सम्प्रेक्षा के अनुसार गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं प्रकाश में आईं जिसका निराकरण शीघ्र न होने के फलस्वरूप उन्हें अनन्तिम पेन्शन स्वीकृत कर दी गई। मुख्य चिकित्साधिकारी पौड़ी से आडिट आपत्तियों का सन्तोषजनक निराकरण प्राप्त होने पर पेन्शन/ग्रेच्युटी आदि के भुगतान की कार्यवाही की जानी सम्भव हो सकेगी।

सहकारी संघ, लम्बुआ सुल्तानपुर के भूतपूर्व विक्रेता/एकाउन्टेन्ट के विरुद्ध आरोप-पत्र तथा क्षेत्रीय उपभोक्ताओं को अन्य सहकारी समिति द्वारा आपूर्ति व्यवस्था

86—श्री शिव नारायण मिश्र—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी संघ लम्बुआ जनपद सुल्तानपुर के सेलमैन ने किसानों एवं संघ की पूंजी धनराशि मु0 25,819.66 पैसा अपहरण कर लिया जिससे संघ का कारोबार विगत 4 वर्ष से बन्द पड़ा है और किसान खाद, बीज, शक्कर, कपड़ा आदि के लिये परेशान हैं? इस मामले में सैलमैन के ऊपर सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 68/2 के अन्तर्गत कार्यवाही कब आरम्भ की गयी थी और आज तक कार्यवाही की प्रगति क्या है?

श्री अरुण कुमार सिंह—

सहकारी संघ, लम्बुआ, जनपद सुल्तानपुर के भूतपूर्व विक्रेता/एकाउन्टेन्ट द्वारा रु0 25,819.66 पैसे संघ की वहवील न जमा करने सम्बन्धी मामला प्रकाश में आया था जिससे संघ के कारोबार में भारी गिरावट आई है परन्तु वह बन्द नहीं हुआ है। साधन सहकारी समिति, मधुसूदन जो लम्बुआ न्याय पंचायत में ही है तथा सुल्तानपुर क्रय-विक्रय समिति से लम्बुआ में ही अनियंत्रित उपभोक्ता वस्तुयें, उर्वरक एवं चीनी की आपूर्ति की व्यवस्था कर दी गयी है। भूतपूर्व विक्रेता के ऊपर सहकारी समिति अधिनियम की धारा 68(1) की कार्यवाही 2-9-85 को प्रारम्भ की गयी थी तथा धारा 68(2) के अन्तर्गत आदेश 19-9-85 को पारित हुए एवं अधिभार आदेशों का 20-2-87 को इजराय कराया गया।

स्व0 श्री जयन्ती प्रसाद मिश्रा सेनेटरी इन्सपेक्टर के जी0पी0एफ0 ग्रेच्युटी, पेंशन आदि देयों की भुगतान व्यवस्था

87—डा0 दिनेश जौहरी —

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जयन्ती प्रसाद मिश्रा सेनेटरी इन्सपेक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरोहा जिला मुरादाबाद का स्वर्गवास दिनांक 15-5-82 को उनके सेवाकाल में ही हो गया था किन्तु अभी तक उनका जी0 पी0 एफ0 ग्रेच्युटी फैमिली पेंशन एवं अन्य लाभ तथा दिनांक 17-11-79 से 15-5-82 तक का अवकाश वेतन नहीं मिला है? क्या मंत्री जी उक्त सभी भुगतान शीघ्र उनकी पत्नी श्रीमती लाली मिश्रा को दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्री जयन्ती प्रसाद मिश्रा, सेनेटरी इन्सपेक्टर 17-11-79 से बीमार थे और बीमारी की अवधि में ही दिनांक 15-5-82 को उनका स्वर्गवास हो गया । उनके सामूहिक बीमा निधि का भुगतान उनकी पत्नी को किया जा चुका है । उनके सामान्य भविष्य निर्वाह निधि के अन्तिम भुगतान हेतु आवेदन पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजा गया है व भुगतान की स्वीकृति अपेक्षित है । उन्हें दिनांक 17-11-79 से 15-5-82 तक का देय अवकाश दिनांक 13-10-86 को स्वीकृत किया जा चुका है । उक्त अवकाश की अवधि के वेतन भुगतान के लिए आवश्यक आदेश मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद द्वारा अधीक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरोहा, मुरादाबाद को दे दिए गये हैं । उपरोक्त भुगतान के पश्चात ही उनकी पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी की स्वीकृति के अभिलेख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश की स्वीकृति हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा भेजे जायेंगे ।

श्री देवतादीन भूतपूर्व संग्रह चपरासी कार्यालय जिला कृषि अधिकारी इलाहाबाद के पुनः नियुक्ति के संबंध में पत्र

88—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ —

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें सम्बोधित श्री महेश्वर पाण्डेय, एम0 एल0 सी0 का पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 1986 जो श्री देवतादीन, भूतपूर्व संग्रह चपरासी कार्यालय जिला कृषि अधिकारी, इलाहाबाद के पुनः नियुक्ति के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र से संबंधित सभी औपचारिकतायें आदि पूर्ण कर ली गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

89—श्री महेन्द्र भाटी —

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा विकास हेतु भारत सरकार की वित्तीय सहायता की नीति

90—श्री महेन्द्र भाटी —

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत जिस प्रकार विकास के लिए धन गाजियाबाद एवं हापुड़ नगरों को उपलब्ध कराया गया है उसी प्रकार क्या जिला गाजियाबाद के नगर दादरी जो दिल्ली से मात्र 28 कि0मी0 दूर है, को भी उसी अनुपात में धन उपलब्ध कराया जायगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ —

जी नहीं ।

भारत सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा विकास हेतु प्रथम चरण में मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर एवं खुर्जा नगरों का चयन किया गया है जबकि वित्तीय सहायता अब तक केवल मेरठ तथा हापुड़ नगरों को ही प्रदान की गई । अभी दादरी नगर को इस योजना में विकास हेतु कोई धन उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित नहीं है ।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में मस्तिष्क ज्वर से ग्रसित व्यक्तियों के रोकथाम हेतु हुए व्यय का विवरण तथा रोकथाम की योजना

91—श्री राम नरेश यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के पूर्वी जिलों विशेषकर गोरखपुर मण्डल में अगस्त, सितम्बर, 1985 के बाद के दिनों में एक भयंकर रोग (मस्तिष्क ज्वर) से हजारों लोगों की मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो उस समय उसके रोकथाम पर कितना रुपया खर्च हुआ ? क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है कि जिससे भविष्य में इस रोग से लोग बच सकें ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रदेश के पूर्वी जिलों विशेषकर गोरखपुर मण्डल के जनपद गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ तथा बस्ती में वर्ष 1985 में मस्तिष्क ज्वर से 1179 व्यक्ति ग्रसित हुए और उनमें से 404 व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम हेतु गोरखपुर में रु0 02,75,561·80 तथा देवरिया में रु0 2,52,284·12 व्यय हुए । शेष जनपदों में आवश्यकतानुसार धन व्यय किया गया ।

जनता को मस्तिष्क ज्वर के प्रकोप से बचाने के लिए वर्तमान में जो योजना अपनाई गई है उसके अनुसार मूलतः शीघ्र सूचना मिलने पर शीघ्र उपचार आरम्भ करने पर बल है। इसी के साथ सघन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक रसायनों तथा उपचार हेतु उपयुक्त औषधियों की व्यवस्था भी कर दी गई है । इस योजना के अन्तर्गत सघन प्रचार एवं स्वास्थ्य शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है जिससे मरीज को शीघ्र अस्पताल में लाने व उपचार करना सुनिश्चित किया जा सके ।

श्री बालकृष्ण सिंह तथा श्री श्यामलाल सचिव व अमीन मण्डी समिति पहाड़िया (वाराणसी) के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

92—श्री कल्यान सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन को श्री अमरनाथ यादव, महामंत्री, भाजपा, महानगर वाराणसी का दिनांक 21-11-86 का कोई शिकायती प्रार्थना पत्र जिसमें राज्य कृषि उत्पादन मण्डी समिति पहाड़िया, जिला वाराणसी के वर्तमान सचिव श्री बालकृष्ण सिंह के विरुद्ध लाखों रुपये की लूट व भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों का उल्लेख है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं एवं उसकी जांच किसने और कब की तथा जांच का परिणाम क्या रहा? क्या जांच अधिकारी ने आरोपकर्ता को भी आरोप प्रमाणित करने का अवसर प्रदान किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

श्री अमरनाथ यादव, महामंत्री, भाजपा महानगर वाराणसी का शिकायती पत्र दिनांक 21-11-86 प्राप्त हुआ है जिसमें मण्डी समिति पहाड़िया (वाराणसी) के वर्तमान सचिव व अमीन श्री बालकृष्ण सिंह तथा श्यामलाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं ।

इसकी जांच के लिए सम्भागीय उप निदेशक (प्र0) वाराणसी द्वारा विपणन अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है । जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है ।

उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-2 के अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची में विलम्ब

93—श्री औसान सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के श्रेणी दो के अधिकारियों की सीनियारिटी लिस्ट कब तक तैयार होगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-2 सेक्शन "बी" "सी" तथा "डी" के अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची प्रोन्नति कोटा के अधिकारियों के विनियमितीकरण होने पर तैयार हो सकेगी ।

उत्तर प्रदेश जल निगम में सचिव एवं प्रशासन उप सचिव आदि पदों पर तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति का औचित्य

94—श्रीमती शारदा देवी —

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश जल निगम में सचिव (प्रशासन उप सचिव) प्रशासन उप सचिव (शिकायत) अधीक्षण अभियंता (निर्माण/प्रकल्प) एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी के पदों पर अभियंता तैनात हैं ? यदि हां, तो इन प्रशासनिक पदों पर अभियंता तैनात किये जाने का क्या कारण है ? इन पदों पर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तैनात न किये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

उत्तर प्रदेश जल निगम प्रदेश के नगरों एवं ग्रामों में पेयजल, जलोत्सारण, सीवेज यूटीलाईजेशन, बायोगैस के निर्माण एवं गंगा प्रदूषण निवारण का कार्य कराता है जो तकनीकी प्रकृति के हैं। इन कार्यों के नियोजन, योजनाओं के विरचन एवं कार्यान्वयन तथा रख-रखाव में तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। इन तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों के चयन, सेवा तथा शिकायत सम्बन्धी मामलों का निस्तारण, उनके समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था, पदोन्नतियों, कैरियर प्लानिंग आदि सम्बन्धी कार्यवाही तकनीकी महत्व की होती हैं तथा इन पर उन अधिकारियों द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है, जो अच्छा तकनीकी ज्ञान रखते हों। अतः उक्त कारणों से इन पदों पर तकनीकी ज्ञान प्राप्त अभियन्ताओं को तैनात किया जाना उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा उपयुक्त समझा गया है।

2, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ स्थित हास्टल में अधिकारी आवास एवं ट्रेनिंग सेन्टर की व्यवस्था

95–श्रीमती शारदा देवी–

क्या नगर विकास मंत्री जी को जानकारी है कि जल निगम प्रशासन 2 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ स्थित ट्रेनिंग सेन्टर को अधिकारियों का निवास स्थल बनाये हुए हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या इसका निर्माण आवास के लिए किया गया था? यदि नहीं, तो इसका उपयोग आवास के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या ट्रेनिंग सेन्टर में रह रहे लोगों को तुरन्त नोटिस देकर खाली कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ –

2, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ स्थित फील्ड हास्टल के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तल के कक्ष अधिकारियों के आवास हेतु आवंटित किया गया है।

जल निगम के गठन के पूर्व ये अधिकारी स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के अधिकारी थे जिन्हें शासन/राज्य सम्पत्ति विभाग/अधिकारी द्वारा आवास आवंटित किया जाता था, परन्तु जल निगम के गठन के पश्चात शासन द्वारा सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के अधिकारियों के लिए यह सुविधा प्रायः समाप्त कर दी गयी जिसके फलस्वरूप लखनऊ में स्थानान्तरित होकर आये अधिकारियों की आवासीय समस्या अत्याधिक जटिल से जटिलतम हो गयी। इस जटिल समस्या को ध्यान में रखते हुए फील्ड हास्टल में अधिकारियों को आवास आवंटित किये गये हैं।

2, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ पर स्थित फील्ड हास्टल का निर्माण प्रशिक्षण हेतु एवं बाहर से आये अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था हेतु तथा स्थानान्तरण पर आये अधिकारियों के अस्थायी आवास की व्यवस्था हेतु किया गया था, परन्तु लखनऊ नगर में जटिल आवास की समस्या को देखते हुए एवं शासन द्वारा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/निगमों के अधिकारियों को आवास की सुविधा प्रायः समाप्त कर देने के फलस्वरूप स्थानान्तरण पर आये अधिकारियों द्वारा प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल के कक्ष आवास के रूप में प्रयोग किये जा रहे हैं। भूतल पर स्थित कक्ष प्रशिक्षण एवं दौरे पर बाहर से आये अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत जल निगम विलुप्त स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को वही सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है जो उन्हें स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग में उपलब्ध थीं । उपरोक्त के सन्दर्भ में फील्ड हास्टल में रह रहे ऐसे अधिकारियों को नोटिस देकर आवास खाली कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर महापालिका के पेपर मिल कालोनी की गंदी नालियों की सफाई

96—कर्नल केशरी सिंह —

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर महापालिका के पेपर मिल कालोनी की गंदी नालियों की वर्षों से सफाई नहीं की गई है और उसमें कचरा भरा होने के कारण गन्दा पानी इकट्ठा हो जाता है जो कालोनी के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक है और इन नालियों की सफाई के लिए जो धन वर्ष 1985-86 में स्वीकृत किया गया था उसका बिना कार्य पूरा किये ही व्यय दिखलाकर गबन कर लिया गया है ? यदि हां, तो इन नालियों की सफाई कब तक कर दी जायेगी और गबन किये धन को वापस करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ —

यह सही नहीं है कि नालियों की वर्षों से सफाई नहीं हुई है तथा कचरा भरा होने के नाते गन्दा पानी एकत्र हो जाता है। नालियों की प्रायः सफाई करायी जाती है।

वर्ष 1985—86 में नालों की सफाई का अभियान चलाया गया था तथा मात्रा तथा कार्य के संतोषजनक होने के प्रमाण-पत्र मिलने पर भुगतान किया गया । इस प्रकार गबन व धन वापसी का प्रश्न नहीं उठता ।

पेपर मिल कालोनी लखनऊ के रास्ते तथा कुकरैल तट रक्षक बांध पर अवैध कब्जे हटाने की मांग

97—कर्नल केशरी सिंह —

क्या शासन को जानकारी है कि पिछले दो वर्षों से लखनऊ नगर महापालिका के पेपर मिल कालोनी को जाने वाले तथा कुकरैल तट रक्षक बांध के साथ-साथ सैकड़ों अवैध कब्जे हो गये हैं और झोपड़ियों व पक्की दुकानें आदि बन गयी हैं जिससे नालियां आदि टूट गयी हैं और गन्दगी फैलकर नागरिकों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो इस अवैध कब्जों को हटाने का शासन का कब तक विचार है और इनकी पुनरावृत्ति को रोकने की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ —

सूचना प्राप्त की जा रही है ।

98—कर्नल केशरी सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

लखनऊ मध्य क्षेत्र के मोहल्लों में जल निगम द्वारा पाइप लाइन डालने की मांग

99—श्री नरेश चन्द्र —

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य क्षेत्र में कितने ऐसे मोहल्ले हैं जिनमें कि अभी तक जल निगम द्वारा पाइप लाइन डालने का प्रस्ताव है ? इनमें से रकाबगंज कदीम, कढइया खजुहा हैदर वाली गली, जोशी टोला, बिरहाना, कुन्डी संतोषी मां के मन्दिर वाली समस्त गलियां जिनके लिए कई बार प्रश्नकर्ता द्वारा भी लिखा गया, में पाइप लाइन क्यों नहीं डाली गयी ? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुहल्लों में तुरन्त पाइप लाइन की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ —

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बेरोजगार स्नातकों को आई0 टी0 चौराहे पर अवैध कब्जों को हटाकर जमीन आवंटन की मांग

100—श्री अकबर हुसैन बाबर —

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 474/87 दिनांक 21-4-87 प्राप्त हुआ है जिसमें बेरोजगार स्नातकों को लखनऊ में आई0 टी0 कालेज लखनऊ के पास सड़क के किनारे भूमि को अस्थायी रूप से दुकान के लिए आवंटन का मामला है ? क्या सरकार उक्त जमीन से अवैध कब्जा हटवाकर उसे बेरोजगार स्नातकों को आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ —

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोंडा व बस्ती के स्वास्थ्य निरीक्षकों व स्वास्थ्य सहायकों की सेवाओं को अधिकतम-उपचार हेतु गृह मण्डलों के बाहर स्थानान्तरण की मांग

101—श्री रिछपाल सिंह बंसल तथा
श्री राम जनम यादव —

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा व बस्ती में कितने स्वास्थ्य सहायक व स्वास्थ्य निरीक्षक पिछले 10 साल या इससे अधिक समय से अपने जनपद में ही नहीं बल्कि अपने तहसीलों व विकास खण्डों में कार्यरत हैं ? ऐसे कर्मियों की अलग-अलग संख्या क्या है ? क्या सरकार जनहित में इनकी सेवाओं का पूर्ण एवं अधिकतम योगदान देने की दृष्टि से गृह मण्डलों के बाहर स्थानान्तरित करने पर तत्काल विचार करने का कष्ट करेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी –

सूचना एकत्र की जा रही है ।

102–श्री शारदानन्द अंचल –

[विभिन्न विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

जनपद जौनपुर के ब्लाक सोधी व सुइयाकला के स्वास्थ्य केन्द्रों पर जिला अस्पताल द्वारा आपूर्ति दवाओं की किस्में

103–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सोधी (शाहगंज) व विकास खण्ड सुइयाकला के स्वास्थ्य केन्द्रों पर किन-किन दवाओं की आपूर्ति जिला अस्पताल से की जाती है इन दवाओं की आपूर्ति किस तरह के मरीजों को की जा रही है और सितम्बर से दिसम्बर, 86 तक उक्त दोनों खण्डों में कितने हजार रुपया की दवा आपूर्ति की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी –

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री राम किशन मलिक प्रक्षेत्र प्रबन्धक बीज सम्बर्धन प्रक्षेत्र जमुनाबाद को ग्रेच्युटी, पेंशन भुगतान की मांग

104–श्री नंगा राम–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम किशन मलिक प्रक्षेत्र प्रबन्धक राजकीय बीज संबर्धन प्रक्षेत्र जमुनाबाद गोला खीरी लखीमपुर पद से लगभग आठ वर्ष पूर्व मार्च, 79 में सेवा निवृत्त हुए थे, को आज तक ग्रेच्युटी, पेंशन आदि का भुगतान नहीं किया गया ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि श्री मलिक को सेवा निवृत्त होने के तीन वर्ष पश्चात् आरोप पत्र दिए गये ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जा सका । आदेश संख्या पेंशन 3066 दिनांक 24-11-84 द्वारा अनन्तिम पेंशन स्वीकृत कर दी गई है । उनके विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं का मामला सेवाकाल में ही प्रकाश में आ गया था आरोप पत्र देने की औपचारिकतायें पूर्ण करने में समय लगा । आरोप पत्र 30-1-82 को निर्गत किया गया ।

104 ए–नंगाराम–

श्री राम किशन मलिक को समय पर भुगतान न करके शासन द्वारा श्री मलिक को जो हानि पहुंचाई गयी है क्या उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी ? क्या कृषि मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि श्री मलिक को पेंशन, ग्रेचुएटी आदि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

चूंकि श्री मलिक को अनन्तिम पेंशन स्वीकृत कर दी गई है । उन्हें क्षति नहीं पहुंचाई गई । क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मलिक द्वारा सेवाकाल में की गई अनियमितताओं के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही शासन के विचाराधीन है जिसमें अन्तिम निर्णय होने के पश्चात् इन्हें ग्रेच्युटी एवं अन्तिम पेंशन दिये जाने पर विचार किया जायेगा ।

पेशा टैक्स लागू प्रदेश की नगरपालिकायें

105–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश की ऐसी नगरपालिकायें कौन-कौन हैं जहां पर पेशा टैक्स लागू है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मथुरा ब्लाक नौहझील की मण्डी समिति खैर द्वारा गांवों का विकास

106–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री की जानकारी में है कि नौहझील ब्लाक जनपद मथुरा मंडी समिति खैर (अलीगढ़) के क्षेत्राधिकार में आता है ? यदि हां, तो इस ब्लाक से संबंधित गांवों में वर्ष 1985-86 व 1986-87 में मंडी समिति खैर (अलीगढ़) ने कोई विकास कार्य किया है जबकि मंडी समिति से संबंधित कर इस क्षेत्र की जनता से वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो किस-किस गांव में विकास कार्य किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

यह सत्य है कि नौहझील ब्लाक से संबंधित गांवों में वर्ष 1985-86, 1986-87 में मण्डी समिति खैर जिला अलीगढ़ द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया है । लेकिन साथ ही यह भी सत्य है कि इस सम्बन्ध में वहां की जनता से मण्डी समिति द्वारा कोई भी कर वसूल नहीं किया गया है । मण्डी शुल्क केवल निर्दिष्ट कृषि उत्पाद के क्रेता व्यापारी/लाइसेन्सधारियों से ही ली जाती है ।

मण्डी अधिनियम के अन्तर्गत विकास कार्य किसी गांव विशेष में न कर सम्पूर्ण मण्डी स्थल के क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है । उपरोक्त दृष्टिकोण से मण्डी समिति खैर द्वारा प्रश्नगत अवधि में निम्नलिखित विकास कार्य किये गये हैं :–

1–वर्ष 85-86 में प्रधान मण्डी स्थल खैर पर ग्रामीण गोदाम का निर्माण कराया गया है जिससे नौहझील ब्लाक के कृषक भी अग्रिम ऋण योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होंगे ।

2–प्रधान मण्डी स्थल खैर में ही 20 दुकानें फल एवं सब्जी विक्रेताओं के लिए निर्मित कराई जा रही हैं ।

3–जट्टारी से हेलतपुर सम्पर्क मार्ग को पक्का बनाया जा रहा है जिसकी दूरी 05 किमी0 है ।

निर्माण खण्ड पंचम उ0 प्र0 जल निगम का कार्य जनपद मथुरा के ब्लाकों में होने के बावजूद कार्यालय आगरा में रखने का औचित्य

107–श्री कुलपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि निर्माण खण्ड पंचम उ0 प्र0 जल निगम का कार्यालय आगरा में चल रहा है जबकि इसका कार्य क्षेत्र सादाबाद सहपऊ फरह ब्लाक जनपद मथुरा में है? यदि हां, तो इसके आगरा में रखने का क्या औचित्य है? क्या मंत्री जी इस कार्यालय को अविलम्ब मथुरा में ही स्थापित कराने पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां, पंचम अस्थाई निर्माण शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम जो मथुरा जनपद के विकास खण्ड बल्देव, सादाबाद, सहपऊ तथा फरह विकास खण्ड के कार्य करा रही है, का कार्यालय आगरा में है ।

सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता तथा मण्डलायुक्त का कार्यालय आगरा में होने के कारण मथुरा जनपद के कार्यों एवं बैठकों हेतु सूचना तत्परता से उपलब्ध कराये जाने एवं समन्वय रखने के उद्देश्य से यह कार्यालय आगरा में ही रखा जाना आवश्यक है। आगरा से सादाबाद तहसील एवं फरह विकास खण्ड के निर्माण कार्यों की दूरी लगभग उतनी ही है जितनी मथुरा से है ।

जी नहीं ।

मथुरा में कार्यालय स्थापित करने का फिलहाल कोई औचित्य नहीं है ।

मण्डी परिषद् के उपनिदेशक (निर्माण) के विरुद्ध मण्डी परिषद् के कर्मचारियों द्वारा की गई भ्रष्टाचार की शिकायत एवं उसकी जांच

108–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या कृषि मंत्री को दिनांक 23-7-86 को बरेली मण्डी परिषद् के कर्मचारियों द्वारा मण्डी निदेशक उत्तर प्रदेश को भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि जिसमें उन्होंने बरेली मण्डी परिषद् के उप निदेशक (निर्माण) पर भ्रष्टाचार, कर्मचारियों के उत्पीड़न एवं बरेली मण्डी समिति में बन रही दुकानें, गोदाम व धर्मकांटे के निर्माण में निम्न स्तर की सामग्री लगवाने के आरोप लगाये हैं, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कोई जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी उक्त जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मंडी निदेशक को सम्बोधित मंडी परिषद् बरेली के कर्मचारियों द्वारा उनके उत्पीड़न उनसे घरेलू कार्य लेने, उनके साथ अभद्र व्यवहार करने तथा ठेकेदारों को परेशान करने आदि के बारे में उप निदेशक निर्माण बरेली के विरुद्ध दिनांक सहित एक शिकायती-पत्र दिनांक 24-7-86 को प्राप्त हुआ था । जी हां । इस प्रकरण की जांच संयुक्त निदेशक (निर्माण) से कराई गयी थी । जांच में कोई ऐसे विशेष पहलू

उभर कर नहीं आये जिस पर किसी कार्यवाही विशेष की आवश्यकता होती । इस जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

109—डा0 दिनेश जौहरी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद इलाहाबाद के कतिपय मुहल्लों के सार्वजनिक शौचालयों की नारकीय स्थिति एवं उनके सुधार की मांग

110—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद जनपद के राजापुर, सादियाबाद, तिलक नगर अल्लापुर, तुलाराम बाग मधवापुर, ममफोर्डगंज आदि के मुहल्लों में स्थित सार्वजनिक शौचालय नारकीय स्थिति में हैं और उस स्थान के पर्यावरण को अस्वास्थ्य कर बना रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इनको तत्काल सुधारने का आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

इलाहाबाद जनपद के राजापुर, सादियाबाद, तिलकनगर, अल्लापुर, तुलाराम बाग, मधवापुर, ममफोर्डगंज आदि मोहल्लों में स्थित सार्वजनिक शौचालयों की महापालिका, इलाहाबाद द्वारा मरम्मत कराई जा रही है तथा मरम्मत का कार्य प्रगति पर है । नारकीय स्थिति नहीं है, शौचालयों के सफाई की पर्याप्त व्यवस्था है । समय-समय पर नगर स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा इस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ।

111—श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित]

श्री रघुनाथ सिंह सचिव साधन सहकारी समिति लि0 महंगवां ब्लाक अतरौली जनपद अलीगढ़ का स्थानान्तरण आदेश

112—श्री कल्यान सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी0 एन0 सिंह सचिव जिला प्रशासनिक कमेटी एवं जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के आदेश संख्या 6/88 स0 बैंक स0, दिनांक 20-9-86 के द्वारा श्री रघुनाथ सिंह, सचिव साधन सहकारी समिति लि0 महंगांव विकास खण्ड अतरौली जनपद अलीगढ़ के स्थानान्तरण के आदेश निर्गत किये गये हैं किन्तु इतनी लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद अभी तक उन्हें कार्यभार से मुक्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब उक्त श्री रघुनाथ सिंह सचिव को कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां,

श्री रघुनाथ सिंह सचिव, साधन सहकारी समिति लि0, महगवां, विकास खण्ड अतरौली को दिनांक 4-3-87 को कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है ।

नगर विकास मंत्री द्वारा पार्क रोड, लखनऊ में रीजेन्सी प्रापर्टीज लि0 (भवन निर्माण कम्पनी) द्वारा बगैर नक्शा पास कराये भवन का शिलान्यास

113—श्री हर्षवर्धन—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पार्क रोड, लखनऊ में रीजेन्सी प्रापर्टीज लि0 नामक कम्पनी द्वारा निर्मित कराये जाने वाले भवन का शिलान्यास उन्होंने 7 दिसम्बर, 86 को किया था जबकि उक्त भवन के निर्माण हेतु उस दिवस को नक्शा पारित नहीं था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

शिलान्यास अवश्य किया गया था, किन्तु इसके लिए नक्शा पास होना आवश्यक नहीं था । लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार शिलान्यास के समय नक्शा स्वीकृत करने की कार्यवाही प्रगति पर थी ।

जिला सहकारी बैंक कानपुर द्वारा सामान्य निकाय की बैठकों में व्यय धन

114—श्री अचल सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सहकारी बैंक कानपुर ने अपनी सामान्य निकाय की बैठक वर्ष 1977-78 में कितना धन व्यय किया है तथा वर्ष 1986-87 में कितना धन व्यय किया ? इतना अधिक धन किस आधार पर व्यय किया गया ? क्या धन का अपव्यय किये जाने की जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

कानपुर जिला सहकारी बैंक ने अपनी सामान्य निकाय बैठक वर्ष 77-78 में मु0 5937.44 रु0 तथा वर्ष 86-87 में मु0 60,861.40 रु0 व्यय किया था ।

यह धन सामान्य निकाय की बैठक की व्यवस्था, प्रतिनिधियों के जलपान तथा उपहार देने व्यय हुआ था ।

जांच के आदेश भेज दिए गए हैं । जांचोपरान्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ।

जनपदों में हैण्ड पाइप हेतु भारत सरकार द्वारा टेक्नालाजी मिशन का गठन

115—श्री अचल सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा सिंचाई योजना के अन्तर्गत ग्राम सिकरोटी विकास खण्ड मलवां जनपद फतेहपुर में दो हैण्ड पाइप में अत्याधिक खारा पानी मिला है ? यदि हां, तो क्या हैण्ड पाइप लगाने के पूर्व भूगर्भ जल सर्वेक्षण से, तकनीकी रिपोर्ट मांग ली गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या भविष्य में खारे पानी के जनपदों में हैण्ड पाइप लगाने का कार्य भूगर्भ जल सर्वेक्षण द्वारा कराये जाने की नीति अपनायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रत्येक हैण्ड पम्प के लिए भू-गर्भीय सर्वेक्षण कराना मितव्ययी नहीं है व बहुत अधिक समय लेने वाला है ।

इस प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए भारत सरकार द्वारा एक टेक्नालाजी मिशन का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत भू-गर्भीय जल सर्वेक्षण भी सम्मिलित है ।

जनपद बस्ती के साथा विकास खण्ड की अनुसूचित जाति की बस्तियों में हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था

116–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड साथा के ग्राम बगहा लखिनियां बरघाट, मसहरा कसया टोंटहा, भण्डा तथा सिंगहा जो राप्ती नदी तथा राप्ती नदी के पुराने छोर के बीच में बसे हुए हैं जहां की अधिकांश आबादी अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जाति की है जो अत्यन्त गरीब है तथा शुद्ध पेयजल 150 फीट के ऊपर उपलब्ध नहीं है, जल निगम द्वारा अब तक डीप बोर हैण्ड पाइप न लगाने जाने का कारण क्या है ? क्या नगर विकास मंत्री इन ग्रामों का अविलम्ब जांच कर यहां के निवासियों को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जनपद बस्ती के साथा विकास खण्ड के ग्राम बगहा में दो, लखिनियां में दो, कसया में दो, टोंटहा में दो तथा सिंगहा में दो डीप बोर इंडिया मार्क–11 हैंड पम्प स्थापित किये गये हैं । ग्राम मसहरा में हरिजन बस्ती कार्यक्रम में जिलाधिकारी द्वारा आवंटित धनराशि व निर्धारण के अनुसार एक हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किया गया है । ग्राम बरघाट व भुण्डा में हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये हैं क्योंकि यह समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची में सम्मिलित नहीं है ।

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बाराबंकी के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच आदेश

117–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता नगरपालिका बाराबंकी द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में सै0 इमरान रिजवी मंत्री नगर-पालिका कर्मचारी यूनियन बाराबंकी का शिकायती-पत्र दिनांक 12-2-87 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उस पर जांच कराई गई ? यदि हां, तो किसके द्वारा और जांच में क्या पाया गया ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, "अधिशासी अभियन्ता" के विरुद्ध नहीं। निदेशक, स्थानीय निकाय को प्रश्नगत मामले में जांच करने के निर्देश दिये गये हैं ।

118–श्रीमती बिमला सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]।

उत्तर प्रदेश जल निगम एटा के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच आख्या विवेचनाधीन

119–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जिलाधिकारी एटा को श्री के0 पी0 सिंह, महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी की कोई शिकायत दिनांक 3-2-87 जो कि उत्तर प्रदेश जल निगम एटा द्वारा हैण्ड पम्प इण्डिया मार्क–2 लगाने में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

इंडिया मार्क–11 हैण्डपम्प लगाने में अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री के0 पी0 सिंह, महामंत्री युवक कांग्रेस कमेटी द्वारा अंग्रेजी दैनिक पायनियर के 27-2-87 के संस्करण में प्रकाशित कराई गयी शिकायत प्राप्त हुई है ।

उपरोक्त शिकायत के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच करायी गयी है तथा जांच आख्या की विवेचना जल निगम द्वारा की जा रही है ।

जनपद हरदोई की नगरपालिका हेतु स्वीकृत पानी टंकी के निर्माण कार्य में विलम्ब

120–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के पिहानी नगरपालिका में पेयजल हेतु पानी की टंकी स्वीकृत है? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो सकेगा? क्या नगर विकास मंत्री जनहित को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने की कृपा करेंगे?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

नागर जल सम्पूर्ति मद में बहुत ही कम प्राविधान होने के कारण निकट भविष्य में निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

धन की उपलब्धता होने पर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करना सम्भव होगा।

नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में डिमास्ट्रेटर के पद पर चयन प्रक्रिया

121–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 1985 के नवम्बर माह में नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में रिक्त दो डिमास्ट्रेटर के पदों पर चयन हेतु जो साक्षात्कार सम्पन्न हुआ था उसमें कितने अभ्यर्थी शिक्षण कार्य का अनुभव रखते थे

जिनका चयन किया गया? क्या यह सत्य है कि अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शून्य अंक दिया गया ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या था?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्नगत पदों हेतु निर्धारित अर्हताओं के अन्तर्गत शिक्षण कार्य के अनुभव की कोई शर्त नहीं रखी गई थी। तदनुसार निर्धारित अर्हताओं के अन्तर्गत साक्षात्कार में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के कुर्सी रोड, अलीगंज स्थित आवास विकास परिषद् की शेखूपुरा कालोनी के नलों में बालू आने की शिकायत तथा पार्क की समुचित व्यवस्था

122–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुर्सी रोड अलीगंज, लखनऊ स्थित आवास विकास परिषद् की शेखूपुरा कालोनी के भवन संख्या एम0 आई0 जी0 42, 41 तथा 38 के नलों में अत्यधिक बालू होने के कारण अध्यासी अत्यधिक परेशान हैं और श्री श्याम बिहारी सिंह, स0 वि0 स0 द्वारा मा0 नगर विकास राज्य मंत्री को दिनांक 3-1-87 को लिखकर देने के बावजूद भी उनकी शिकायत कोई सुनने को तैयार नहीं है? क्या मंत्री जी इस समस्या के तुरन्त स्थायी हल के आदेश देने का कष्ट करेंगे ताकि भविष्य में अध्यासियों को कोई परेशानी न हो ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

चूंकि उक्त भवन जल आपूर्ति लाइन के अन्तिम किनारे पर स्थित है, पाइप लाइन का अन्तिम किनारा होने के कारण यदा-कदा कुछ "सिल्टिंग" हो सकती है। वर्तमान में इसको साफ करा दिया गया है और इस समय पानी में बालू नहीं जा रही है।

123–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

उपर्युक्त सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री को यह भी ज्ञात है कि इन भवनों के सामने एक पार्क है उसमें आवास विकास परिषद् के कर्मचारियों ने एक बिना टोंटी का नल लगा रखा है जो हर वक्त बहता रहता है? पार्क में पानी जमा होने के कारण मच्छर पल रहे हैं जो बीमारी का कारण बन सकते हैं इससे मकानों में पानी का प्रेशर बिल्कुल कम हो गया है और पार्क की मेन्टीनेन्स नहीं की जा रही है ? क्या मंत्री जी इस समस्या के भी तुरन्त स्थायी हल के आदेश देने तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सदन को अवगत कराने का कष्ट करेंगे?

श्रीमती पद्मा सेठ–

इन भवनों के सामने का पार्क इस समय बिल्कुल साफ सुथरा है तथा नल में टोंटी लगी है । पार्क के अन्दर कोई गन्दगी नहीं है । अतः किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश की नगर महापालिकाओं के पेन्शनर्स को राहत किश्तों के भुगतान की जानकारी की मांग

124—श्री आसान सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगर महापालिकाओं के पेन्शनर्स को जनवरी, 1983 के पश्चात् कुल कितनी राहत किश्तें आदि प्रदान की गयी हैं और प्रदत्त राहत किश्तों में से कितनी किश्तों का भुगतान संबंधित नगर महापालिकाओं द्वारा पेंशनर्स को किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विलम्ब का क्या कारण है और जहां राहत किश्तों का भुगतान अद्यावधिक नहीं किया गया है वहां कब तक किया जायेगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राम चन्द्र मिश्र, प्रसार शिक्षक का स्थानान्तरण सामान्य नीति के अन्तर्गत अनुमोदित

125—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रसार शिक्षक पौड़ी गढ़वाल श्री रामचन्द्र मिश्र का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर जनपद पौड़ी गढ़वाल से जनपद फैजाबाद के लिये निदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 1-8-85 को किया गया था जिसे दिनांक 11-10-85 को आंशिक रूप से संशोधित करके उक्त स्थानान्तरण जनहित में दिखा दिया गया जिससे सरकार को लगभग 6500 रुपये का व्यय भार वहन करना पड़ा ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्री राम चन्द्र मिश्र, प्रसार शिक्षक का स्थानान्तरण जनपद पौड़ी गढ़वाल से जनपद फैजाबाद उनके अनुरोध पर किया गया था । जनपद पौड़ी गढ़वाल में उनकी लम्बी तैनाती की अवधि को दृष्टि में रखते हुये सामान्य स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत उनसे प्रार्थना पत्र भी मांगा गया था । इसी आधार पर उनका स्थानान्तरण सामान्य स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत अनुमोदित करते हुये उन्हें यात्रा भत्ता के भुगतान के आदेश दिये गये थे।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवन्टन में पट्टे की शर्तों के पालन का आश्वासन

126—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1987 के पहले मंगलवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 65 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की वर्तमान समय में प्रचलित शर्तें क्या हैं एवं 27-1-86 को मो0 सिद्दीकी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र तथा संलग्न प्रार्थना पत्र का जिसके संदर्भ में दिनांक 10-2-86 को कुतुबपुर इरादतनगर योजना के अन्तर्गत निराला नगर में डी-65 ए के बगल में खाली पड़ी 1774 वर्ग फुट भूमि आवंटित की गयी का सम्पूर्ण विवरण क्या है ? क्या उन शर्तों का पालन किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

वर्तमान समय में प्रचलित, भू-आवंटन की समस्त शर्तें लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुद्रित लीज डीड में उल्लिखित हैं । मो0 सिद्दीकी को कुतुबपुर इरादत नगर योजना में भूखण्ड संख्या डी-65 ए के बगल में रिक्त 1774 वर्ग फुट भूमि आवंटित की गई है जिसके उत्तर में खुला रास्ता, दक्षिण में भूखण्ड संख्या-डी-65 ए, पूर्व में खुली भूमि तथा पश्चिम में 40 फुट में चौड़ी सड़क स्थित है । इस आवंटन में पट्टे की शर्तों का पालन किया जायेगा ।

संयुक्त सचिव 'ए' विकास प्राधिकरण द्वारा श्री मो0 सिद्दीक पुराना महानगर घोसियाना, लखनऊ को भूमि आवन्टन के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार

127–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव 'ए' लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा श्री मो0 सिद्दीक पुत्र स्व0 श्री सुबराती निवासी पुराना महानगर घोसियाना लखनऊ को भेजे गये पत्र संख्या 1440/जे0एस0ए0 दिनांक 27-1-87 के संदर्भ में क्या मो0 सिद्दीक ने दिनांक 17-2-87 को कोई प्रार्थना पत्र दिया है ? यदि हां, तो उसका सम्पूर्ण विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि 27-1-86 को दिये गये प्रार्थना पत्र जिसके सन्दर्भ में दिनांक 10-2-86 को आवंटन पत्र आवंटी को दिया गया, में हुए आदेश क्या हैं? क्या आदेशों एवं उन शर्तों के अनुसार कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब ?

श्रीमती पदमा सेठ–

श्री मो0 सिद्दीक ने दिनांक 17-2-87 को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया है कि वह केवल अपने कब्जे का भाग आज की दर से मुआवजा लेकर खाली करेंगे और बदले में आवंटित कुतुबपुर इरादतनगर योजना में आवंटित भूमि का भुगतान करेंगे।

श्री मो0 सिद्दीक के प्रार्थना पत्र दिनांक 27-1-86 पर भूखण्ड संख्या-डी 65 ए के बगल में रिक्त 1774 वर्ग फुट भूमि आवंटित करने के आदेश हुये थे तथा पत्र जारी किया गया था ।

आगरा के एस0 एन0 मेडिकल कालेज के सीनियर रेडियो ग्राफर के वेतनमान के पुनरीक्षण का प्रश्न शासन के विचाराधीन

128–श्री सत्य प्रकाश विकल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि आगरा के एस0एन0 मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के रेडियोलाजी विभाग में 1963 से सीनियर रेडियोग्राफर के पद पर श्री अर्जुन लाल शर्मा कार्यरत हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में सीनियर रेडियोग्राफर का एक ही पद है ? क्या यह भी सही है कि श्री अर्जुन लाल शर्मा को अपने मातहत रेडियोग्राफर से भी कम वेतन दिया जा रहा है जबकि वरिष्ठता के हिसाब से उन्हें अधिक मिलना चाहिये जिसकी संस्तुति निदेशक भी कर चुके हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

सीनियर रेडियोग्राफर के वेतनमान के पुनरीक्षण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत में उप मुख्य चिकित्साधिकारी का पद सृजित करने की मांग

129—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि अल्मोड़ा जनपद के तहसील रानीखेत के लिए एक अलग डिप्टी सी0 एम0 ओ0 का पद सृजित है जिसका हेडक्वार्टर रानीखेत में न होकर अल्मोड़ा में है ? क्या जनहित को ध्यान में रख कर उसका हेडक्वार्टर रानीखेत में खोलने के आदेश निर्गत करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद जनपद मुख्यालय पर सृजित किये गये हैं तथा एक उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण नियंत्रण तथा लक्ष्यों की उपलब्धियों का दायित्व सौंपा गया है। क्योंकि तहसील मुख्यालय पर उप मुख्य चिकित्साधिकारी का कोई पद शासन द्वारा सृजित नहीं किया गया है एवं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा तहसील के कार्यक्षेत्रों में भी सामान्यतः एकरूपता नहीं होती है अतः जनपद अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी का मुख्यालय खोलने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह, अवर अभियन्ता नगर क्षेत्र आजमगढ़ के स्थानान्तरण का मामला जांचोपरान्त विचाराधीन

130—श्री राम जनम यादव—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अवर अभियन्ता, नगर क्षेत्र अन्तर्गत आजमगढ़ श्री वीरेन्द्र सिंह गत 28 वर्षों से इसी जनपद में एक ही स्थान पर कार्यरत हैं और इन्होंने अपने भाई श्री दिनेश सिंह के नाम अनेक ठेके लेकर राजकीय धन एवं पद का दुरुपयोग किया है ? यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

मामले की जांच करायी जा रही है ।

स्थानान्तरण सत्र में श्री वीरेन्द्र सिंह को आजमगढ़ से अन्यत्र स्थानांतरित करने पर विचार किया जायेगा ।

131—श्री शिव नारायण मिश्र—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

132—श्री शिव नारायण मिश्र—

[दिनांक 18-9-87 को अता0 प्र0 सं0 168 द्वारा उत्तरित]

झांसी मंडल में पी0 सी0 एफ0 द्वारा गोदामों के निर्माण हेतु भूखण्डों के क्रय का विवरण

133—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि झांसी मण्डल में पी0सी0एफ0 द्वारा किन-किन स्थानों पर गोदाम बनाने हेतु भूखण्ड खरीदे गये तथा वर्तमान में उन भूखण्डों का

मार्केट रेट क्या है ? क्या यह सही है कि इन भूखण्डों की खरीद में झांसी के आर0 ओ0 (श्री शुक्ला) द्वारा कम कीमत की भूमि की अधिक कीमत दर्शा कर लगभग बीस लाख रुपये का घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

झांसी मंडल में पी0 सी0 एफ0 द्वारा गोदामों के निर्माण हेतु जनपद बांदा, झांसी महोबा (हमीरपुर) एवं उरई में निम्न विवरण के अनुसार भूखंड क्रय किये गये :–

क्र0	नाम जनपद	खरीदी गई भूमि का रकबा	क्रय रेट	कुल कीमत	सर्किल रेट रु0 में	वर्तमान मार्केट रेट
1–बांदा		130.68 वर्ग गज अर्थात् 2.70 एकड़	9.25 प्रति वर्ग गज	122200/–	12.50 प्रति वर्ग गज	14/– रु0 प्रति वर्ग गज
2–झांसी		137502 वर्ग फुट अर्थात 3.155 एकड़	22.50 प्रति वर्ग गज	33700/–	22.50 प्रति वर्ग गज	30/– रु0 प्रति वर्ग गज
3–महोबा		10 बीघा	6000/– प्रति बीघा	60000/–	25000 रु0 प्रति एकड़	10000/– प्रति बीघा
4–उरई		4.70 एकड़	20000/– प्रति एकड़	94000/–	20000 रुपया	20000/– प्रति एकड़

जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मेरठ की तहसील सरधना के टाउन एरिया लावड़ के रास्तों में खड़ंजा लगाने की मांग

134–श्री शारदा प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया लावड़ तहसील सरधना जि0 मेरठ के कुछ रास्तों में खड़ंजा न होने के कारण वहां के निवासियों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो उसका सर्वेक्षण कराकर जनता को खड़ंजे की सुविधा कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

135–कर्नल केशरी सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद गोरखपुर की टाउन एरिया आनन्दनगर में सृजित पदों पर नियुक्तियां

136–श्री हर्षवर्धन–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के आनन्दनगर टाउन एरिया में 31-7-86 को लिपिक चपरासी एवं चौकीदार पदों पर प्रभारी अधिकारी आनन्दनगर टाउन एरिया गोरखपुर ने शासन द्वारा 31-7-86 को ही निर्गत आदेश के आधार पर नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो 31-7-86 के निर्गत शासकीय आदेश से उसी दिन प्रभारी अधिकारी, आनन्दनगर टाउन एरिया, गोरखपुर कैसे अवगत हुये ? क्या सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जायेगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं, शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 1986 द्वारा टाउन एरिया आनन्दनगर में कतिपय पद सृजित किये गये थे, जो टाउन एरिया कमेटी, आनन्दनगर में दिनांक 4 अगस्त, 1986 को प्राप्त हुआ और दिनांक 10 अगस्त, 1986 को सृजित पदों पर नियुक्तियां की गयीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी समितियों द्वारा कृषक सदस्यों के उनके चुकता अंशों पर लाभांश का बंटवारा

137–सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समितियां द्वारा कृषकों के हिस्से पर ब्याज नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार सहकारी समितियों द्वारा कृषकों के अपने बकाये की धनराशि पर ब्याज वसूल करने की भांति सहकारी समितियों से कृषकों के हिस्से पर ब्याज दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

सहकारी समितियों द्वारा कृषकों (सदस्यों) को उनके हिस्से पर ब्याज नहीं दिया जाता है । यदि समिति में सहकारी अधिनियम एवं नियमों के अनुसार वितरणीय लाभ निकलता है तो समिति द्वारा सदस्यों को उनके चुकता अंशों पर लाभांश बांट दिया जाता है ।

जनपद गोरखपुर की टाउन एरिया पिपराइच की पांच हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण की कार्यवाही

138–सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के टाउन एरिया पिपराइच की पांच हरिजन बस्तियों में से कितनी बस्तियों में विद्युतीकरण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जनपद गोरखपुर की टाउन एरिया कमेटी, पिपराइच की पांच हरिजन बस्तियों में से एक हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। दो हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण की कार्यवाही अग्रसर है। शेष दो हरिजन बस्तियों में आवश्यक धन उपलब्ध होने पर विद्युतीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला अस्पताल, मथुरा में एम्बुलेंस की वैकल्पिक व्यवस्था

139–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 4-9-86 को मथुरा जिला अस्पताल में एम्बुलेन्स व्यवस्था हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। जिला अस्पताल, मथुरा में एम्बुलेंस के स्थान पर वैकल्पिक सेवी वाहन की व्यवस्था पूर्व से ही कर दी गयी है।

जनपद मथुरा की मण्डी यार्ड शेरगढ़ निर्माण में निम्न स्तर की सामग्री का प्रयोग एवं उसकी जांच

140–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 1-9-86 को मण्डी यार्ड शेरगढ़ मथुरा के निर्माण में निम्न स्तर की सामग्री इस्तेमाल करने जिसके कारण नयी इमारत की दीवारें फट गयी हैं व गेट पर पुलिया ध्वस्त हो गयी है, छतें चू रही हैं आदि के बारे में एक शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या जांच के समय शिकायतकर्ता को भी सूचित किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

इस पर जांच कराई गयी। रिपोर्ट के अनुसार गोदाम के चारों ओर पूर्व में एप्रेन नहीं बनाया गया था जिसके कारण पानी भरने से गोदाम की दीवार में एक क्रेक आ गया था। अब एप्रेन बना दिया गया है तथा क्रेक ठीक कर दिया गया है। छत किसी स्थान से चू नहीं रही है। मुख्य गेट पर बनी पुलिया का एक पैरापेट किसी ट्रक से टकरा जाने से टूट गया था। परन्तु पुलिया को कोई क्षति नहीं है।

जी नहीं। आवश्यकता नहीं समझी गयी क्योंकि शिकायत स्वतः स्पष्ट है।

जनपद इलाहाबाद के ब्लाकों में सांप व कुत्ता काटने के इंजेक्शनों की खरीद

141–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के किन-किन ब्लाकों तथा शहर के अस्पतालों में सांप और कुत्ता काटने के निरोधात्मक इंजेक्शन सन् 85-86 तथा 86-87 में खरीदे गये उसमें से कितने प्रयोग किये गये तथा कितने 15 मार्च, 1987 तक शेष थे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

इलाहाबाद जनपद में वर्ष 85-86 तथा 86-87 में ब्लाकों में सांप तथा कुत्ता काटने के निरोधात्मक इंजेक्शनों की कोई खरीद नहीं हुई। इलाहाबाद के शहर के अस्पतालों में वर्ष 85-86 में 33,156 तथा 86-87 में 34,142 एम0 एल0 की खरीद की गयी। 15 मार्च, 1987 तक प्रयुक्त इंजेक्शनों की सूचना अपेक्षित है।

सांप काटने के निरोधात्मक दवाओं की कोई खरीद नहीं की गयी है।

जनपद इलाहाबाद के चन्द्रशेखर आजाद पार्क के सौन्दर्यीकरण हेतु गैर सरकारी संस्था से प्राप्त धन

142–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के राजकीय उद्यान (अल्फ्रेड पार्क वर्तमान चन्द्रशेखर आजाद पार्क) के विकास और सौन्दर्यीकरण हेतु वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में किसी गैर सरकारी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि दान में मिली है? यदि हां, तो कितनी और कब ? यदि नहीं, तो क्या कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

राजकीय उद्यान इलाहाबाद (अल्फ्रेड पार्क वर्तमान में चन्द्रशेखर आजाद पार्क) के सौन्दर्यीकरण एवं विकास के लिये वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में किसी गैर सरकारी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि दान के रूप में प्राप्त नहीं हुई है।

कोई प्रस्ताव लिखित रूप में शासन को प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड रुधौली, साथा तथा खेसरहा के ग्रामों में डीप बोर इन्डिया मार्क–2 हैण्डपम्पों के लगाने का विवरण

143–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विकास खण्ड रुधौली, साथा तथा खेसरहा के कुल कितने अभाव ग्रस्त ग्रामों में जल निगम द्वारा डीप बोर हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं तथा कितने अभाव ग्रस्त ग्राम अभी ऐसे बाकी हैं जहां नल अभी नहीं लगाये गये हैं? क्या नगर विकास मंत्री सम्पूर्ण ग्रामों की सूची उनमें लगाये गये नलों की संख्या सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जनपद बस्ती के विकास खण्ड रुधौली, साथा तथा खेसरहा में क्रमशः 130, 102 तथा 116 समस्याग्रस्त ग्राम, में डीप बोर इन्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं एवं क्रमशः 15, 3 तथा 23 समस्याग्रस्त ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाना शेष है। सम्पूर्ण ग्रामों एवं उनमें लगाये गये हैण्ड पम्पों की संख्या की सूची अत्यधिक विस्तृत होने के कारण उसे प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थाओं में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति

144–श्री मैनेजर सिंह, श्री गौरी शंकर भइया तथा श्री राम गोविन्द चौधरी–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी संस्था में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं, उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थाएं स्वायत्तशासी इकाइयां हैं। इनमें कर्मचारियों को चिकित्सा हेतु व्यवस्था अपने निजी संसाधन तथा आवश्यकतानुसार स्वयं की जाती है।

शासन के समक्ष सहकारी संस्थाओं में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार प्रदेश की निम्न शीर्ष सहकारी संस्थाओं में पूर्व से ही होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की व्यवस्था है :—

1–उत्तर प्रदेश सहकारी संघ में दिनांक 31-8-1982 से चिकित्सा अधिकारी की व्यवस्था कर ली गई है।

2–उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक में दिनांक 6-1-1-86 से चिकित्सा अधिकारी की सेवाएं ली जा रही हैं।

श्री डब्लू0 एच0 फारुकी, मुख्य चिकित्सा/प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध सम्प्रेक्षा दल की संस्तुति पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही

145–श्री मैनेजर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभागीय सम्प्रेक्षा दल ने श्री डब्लू0 एच0 फारुकी, प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, रायबरेली के विरुद्ध वर्ष 1984-85 में उनके आहरण वितरण अधिकार जब्त कर लिये जाने की संस्तुति की थी? यदि हां, तो इस पृष्ठभूमि में सम्प्रेक्षा दल की उक्त संस्तुति पर प्रभावी कदम न उठाये जाने के क्या कारण हैं?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

146–श्री मैनेजर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री डब्लू0 एच0 फारुकी, प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, रायबरेली ने इलाहाबाद से रायबरेली हेतु मासिक बचत रेलवे टिकट बनवाये हैं? क्या यह सही है कि उक्त श्री फारुकी इलाहाबाद की यात्राओं का प्रथम श्रेणी के रेल के भाड़े का भुगतान लेते रहे हैं? यदि हां, तो श्री फारुकी के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अब्दुल सलाम हाशमी, मलेरिया इन्स्पेक्टर के विरुद्ध शिकायत

147—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अब्दुल सलाम हाशमी सन् 1974 से मलेरिया इन्स्पेक्टर (सुपरवाईजर) के पद पर कोधियारा एवं जारी बाजार, जनपद इलाहाबाद में ही कार्यरत हैं? क्या इनके विरुद्ध शासन को शिकायतें भी मिली हैं? यदि हां, तो फिर भी इनको वहां से स्थानान्तरित न करने का क्या कारण है?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

श्री अब्दुल सलाम हाशमी का स्थानान्तरण मार्च, 1986 में जनपद बांदा को किया गया था, परन्तु स्थानान्तरण आदेशों के बाद में निरस्त कर दिया गया। अब पुनः संयुक्त निदेशक (मलेरिया) के दिनांक 26-5-87 के आदेश द्वारा उनका स्थानान्तरण जनपद बिजनौर के लिए कर दिया गया है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण के अतिथि गृह में अवैध रूप से ठहरे कांग्रेस (इ) क्वार्डिनेटर से किराये की वसूली

148—श्री राज किशोर सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण के अतिथि गृह में अरसे से अवैध रूप से ठहरे युवक कांग्रेस (इ) के एक क्वार्डिनेटर पर करीब दस हजार रुपया किराये के रूप में बकाया हो गया है जिसकी वसूली करने में प्राधिकरण के कर्मचारी असमर्थ हैं? यदि हां, तो वह नेता कौन है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं। वाराणसी विकास प्राधिकरण के अतिथि गृह में युवक कांग्रेस (इ) के कोई क्वार्डिनेटर नहीं ठहरे थे।

प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि एवं उनके विरुद्ध गबन की सतर्कता जांच

149—श्री आसान सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग (भूमि संरक्षण विभाग) के कितने अधिकारियों को शासनादेश संख्या 36/1-1976-कार्मिक-2 लखनऊ, दिनांक 15-3-77 के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है एवं उनके प्रत्यावेदन पर शासनादेश संख्या 26/1-77 कार्मिक-2 लखनऊ, 2-8-77 के अनुसार कार्यवाही नहीं की गयी है? क्या यह प्रतिकूल प्रविष्टि उनके पदोन्नति में मान्य होगी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

150–श्री आसान सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में वर्ष 1977 एवं 1980 में जो पदोन्नति श्रेणी दो से श्रेणी प्रथम में हुई है उनमें कितने अधिकारियों के विरुद्ध गबन एवं सतर्कता अधिष्ठान में केस चल रहे थे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

बेरोजगार स्नातकों हेतु लखनऊ में सड़क के किनारे की भूमि अस्थायी रूप से दुकानों हेतु आवंटित करने की मांग

151–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गोपाल राम दास तत्कालीन सभापति, अनुसूचित जाति समिति विधान सभा एवं वर्तमान विधायक के पत्र के साथ श्री प्रवेश कुमार बेरोजगार स्नातक का कोई प्रार्थना पत्र दिनांक 3 जुलाई, 1986 को प्राप्त हुआ है जिसमें बेरोजगार स्नातकों को लखनऊ में सड़क के किनारे की भूमि अस्थायी रूप से दूकान के लिए आवंटन हेतु निवेदन किया गया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना एकत्र की जा रही है।

कस्बा सतरिख, जनपद बाराबंकी के गढ़ी मोहल्ले में प्रकाश व्यवस्था

152–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा सतरिख, जिला बाराबंकी के गढ़ी मोहल्ले में प्रकाश व्यवस्था हेतु दिनांक 29-5-85 को टाउन एरिया द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है? यदि हां, तो क्या शासन ने उक्त प्रस्ताव के आधार पर धन आवंटित करके प्रकाश व्यवस्था के निर्देश दिये हैं? यदि हां, तो अब तक प्रकाश व्यवस्था न होने के क्या कारण हैं?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

पीलीभीत कृषि उत्पादन मण्डी क्षेत्र में दुकानों के आवंटन में हुई त्रुटि की जांच

153–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत कृषि उत्पादन क्षेत्र में दुकानों के आवंटन में की गयी अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायती पत्र श्री अशोक कुमार अग्रवाल पीलीभीत की ओर से दिनांक 16-6-86 के आस-पास किसी दिन निदेशक, उ0 प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, लखनऊ को मिला? यदि हां, तो पत्र में मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत शिकायती पत्र में मुख्य शिकायत है कि पीलीभीत मण्डी क्षेत्र में दुकानों का आवंटन सही नहीं हुआ है। शिकायत की जांच उप निदेशक, विपणन से कराई गयी, उससे विदित हुआ कि दो लाइसेन्सधारियों को किया गया दुकानों का आवंटन त्रुटिपूर्ण था। इस त्रुटि का निराकरण कर दिया गया है।

जनपद टिहरी गढ़वाल के ब्लाक मिलगना में खाद-बीज ढुलान के ठेके के बिल में भ्रष्टाचार

154—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 81-82 में जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड मिलगना में खाद-बीज के ढुलान के ठेके के बिल की अदायगी में भ्रष्टाचार करने के सम्बन्ध में तत्कालीन जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा जिला कृषि अधिकारी, जिला लेखाधिकारी (कृषि), जिला कोषाधिकारी (कृषि) को अप्रैल, सन् 82 में निलम्बित किया गया था? यदि हां, तो इनके खिलाफ क्या प्रशासनिक या दण्डात्मक कार्यवाही अब तक की गई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

155—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त खाद बीज ढुलान के बिल ठेकेदार को अदा कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

विकास प्राधिकरण केन्द्रीय सेवा के अधीन अवर अभियन्ता की सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु टेन्टेटिव वरिष्ठता सूची का आधार एवं पदोन्नत अभियन्ताओं के नाम

156—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास प्राधिकरण केन्द्रीय सेवा के अधीन अवर अभियन्ता की कोई टेन्टेटिव वरिष्ठता सूची बनायी गयी है? यदि हां, तो उसका आधार क्या है?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां। विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अधीन सहायक अभियन्ता के पदों पर विभागीय प्रोन्नति हेतु 100 अवर अभियन्ताओं की टेन्टेटिव वरिष्ठता सूची बनाई गई है। वरिष्ठता का आधार प्राधिकरण सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि है।

157—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उक्त सूची में से कुछ व्यक्तियों को सहायक अभियन्ता आदि के पदों पर पदोन्नति दी गयी है ? यदि हां, तो पदोन्नति प्राप्त लोगों एवं पदोन्नति न प्राप्त करने वालों की अलग-अलग क्या-क्या नाम उक्त सूची के अनुसार हैं?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां। सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति प्राप्त 32 एवं पदोन्नति प्राप्त न करने वाले शेष 68 अवर अभियन्ताओं की अलग-अलग सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 107-108 पर)

जनपद जालौन व झांसी के जिला चिकित्सालयों हेतु क्रय की गई दवायें एवं उनका वितरण

158–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन और झांसी जिला चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा कितनी धनराशि की दवायें वर्ष 85-86 एवं 86-87 में स्थानीय खरीद के द्वारा लेकर किस-किस अधिकारी को दी गयी है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद जालौन के जिला चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा वर्ष 1985-86 में रु0 3774.50 तथा वर्ष 1986-87 में रु0 2723.55 की दवायें स्थानीय क्रय द्वारा खरीदी गईं।

जनपद झांसी के जिला चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा वर्ष 1985-86 में रु0 18,120.36 तथा वर्ष 1986-87 में रु0 29,245.05 की दवायें स्थानीय क्रय द्वारा खरीदी गईं।

जनपद जालौन तथा झांसी में जिला चिकित्सालय में स्थानीय क्रय द्वारा जिन अधिकारियों को औषधियां उपलब्ध कराई गईं उनकी सूची संलग्न है।†

साधन सहकारी समिति परसेहरा, जनपद सीतापुर के अपूर्ण भवन का निर्माण

159–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि साधन सहकारी समिति, परसेहरा, जिला सीतापुर का भवन जो कि ग्राम मधवापुर, वि0 खं0 खैराबाद, जिला सीतापुर में कई वर्षों पूर्व से बनना प्रारम्भ हुआ था, अभी तक पूर्ण न हो पाने का क्या कारण है और वह कब तक पूर्ण हो जायगा?

श्री अरुण कुमार सिंह–

साधन सहकारी समिति परसेहरा, जिला सीतापुर का भवन, जो कि ग्राम मधवापुर, विकास खंड खैराबाद में स्थित है, के निर्माण की स्वीकृति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम व उत्तर प्रदेश शासन से वर्ष 1977-78 में दी गई थी। उक्त गोदाम की लागत तत्समय 35,000 रु0 अनुमोदित की गई थी। उक्त धनराशि से सामने के दो कमरे, एक बरामदा तथा दो अधूरे हालों का निर्माण किया गया था। धनाभाव के कारण अवशिष्ट कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका। अपूर्ण कार्य को पूरा कराने के लिये 40,000 रु0 की अतिरिक्त मांग पर विचार किया जा रहा है। अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था हो जाने पर उसे पूर्ण करा दिया जायेगा।

---

†छापी नहीं गई।

बिसवां, जनपद सीतापुर के प्रधान मण्डी स्थल के निर्माण की प्रगति

160—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिसवां, जिला सीतापुर में कृषि उत्पादन मण्डी समिति के प्रधान मण्डी स्थल के निर्माण की प्रगति क्या है तथा उसका निर्माण कब तक पूर्ण हो जायगा?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

नवीन मण्डी स्थल बिसवां, जिला सीतापुर के लिये अभी भूमि अधिग्रहीत नहीं हुई है, अतः निर्माण कार्य प्रारम्भ होने का अभी प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी व पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जड़ी बूटी विकास योजना में सेवारत कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

161—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के सीमान्त जनपद उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में सहकारी विभाग के अन्तर्गत जड़ी बूटी विकास योजना का कार्य 1958 से किया जा रहा है? यदि हां, तो इस योजना में 1965 से 1986 के बीच लगातार सेवारत रहने वाले कर्मचारियों को स्थाई न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या यह भी सत्य है कि इस अवधि में जड़ी बूटी के लिए विशिष्ट सम्भावनाओं/आवश्यकताओं को देखते हुए अभी तक कोष्ट के सुदृढ़ीकरण, नवीन पद सृजन हेतु कोई कार्य नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोरखपुर की फरेन्दा तहसील में एलोपैथिक अस्पताल खोले जाने की मांग

162—श्री हर्ष वर्धन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर 30 शैय्या का एलोपैथिक अस्पताल खोले जाने के शासकीय आदेश के बाद भी गोरखपुर जनपद की फरेन्दा तहसील पर उक्त अस्पताल नहीं खोला जा रहा है? क्या व्यापक जनहित को दृष्टि में रखकर फरेन्दा गोरखपुर में उक्त अस्पताल इस वर्ष खोल दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार जिला योजनान्तर्गत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की संस्तुति पर एक लाख की आबादी अथवा विकास खण्ड स्तर पर अथवा चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक को उच्चीकृत करके 30 शैय्या के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाती है। इस जनपद में फरेन्दा तहसील के निकटवर्ती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कैम्पियरगंज को उच्चीकृत किया जा चुका है। वर्तमान में फरेन्दा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्पेशल ग्रेड के सृजित पदों पर अनु0 जाति एवं पिछड़ी जाति के चिकित्सकों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति

163—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1973-74 के बाद से अब तक प्रथम श्रेणी से स्पेशल ग्रेड में सृजित 143 पदों में से कितने शेड्यूल कास्ट व कितने शेड्यूल ट्राइब जाति के चिकित्सकों को लिया गया है ? क्या इन पदों पर प्रोन्नति रोस्टर के अनुसार करके पिछड़ी जाति के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो कितने पिछड़ी जाति के चिकित्सक लिए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वर्ष 1973-74 से अब तक स्पेशल ग्रेड के 164 सृजित पदों में अनुसूचित जाति/जनजाति के क्रमशः 16 एवं 2 कुल 18 अधिकारियों को सीनियर स्केल से स्पेशल ग्रेड में प्रोन्नत किया गया। इन पदों पर शासन द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर प्रोन्नति की गई। पिछड़ी जाति के लिये प्रोन्नति पर आरक्षण की नीति शासन द्वारा समाप्त की जा चुकी है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा एवं वृन्दावन नगरपालिकाओं को रेलवे द्वारा तीर्थ यात्री कर की प्राप्ति एवं अनुदान की स्वीकृति

164—श्री सरदार सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा एवं वृन्दावन नगरपालिकाओं को प्रतिवर्ष भारतीय रेल विभाग से तीर्थ यात्री कर के रूप में धनराशि उपलब्ध होती है ? यदि हां, तो वर्ष 1984-85, 85-86 व 86-87 में कितनी-कितनी धन-राशि उक्त नगर पालिकाओं को अलग-अलग प्राप्त हुई? यदि नहीं, तो क्यों? शासन ने धनराशि प्राप्त करने हेतु क्या-क्या प्रयास किये ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

वर्ष 1984-85 में नगरपालिका, मथुरा को रु0 6,266 एवं नगरपालिका, वृन्दावन को रु0 6,266 स्वीकृत की गयी।

महालेखाकार से रेलवे बिलों की धनराशि को राज्य लेखे में समायोजित किये जाने की सूचना विलम्ब से प्राप्त होने के कारण वर्ष 1985-86 में इन नगरपालिकाओं को अनुदान स्वीकृत नहीं किया जा सका । वर्ष 1986-87 में नगरपालिका, मथुरा को रु0 19,751 एवं नगरपालिका, वृन्दावन को रु0 7,030 स्वीकृत की गयी। इसमें वर्ष 1985-86 में दोनों नगरपालिकाओं, प्रत्येक को देय धनराशि रु0 3,740 सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर महापालिका, आगरा की नजूल भूमि पर अवैधानिक कब्जा

165—श्री बदन सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि नगर महापालिका, आगरा के अन्तर्गत नजूल की कितनी भूमि है, और उसके रख-रखाव की क्या व्यवस्था की जाती है? क्या यह सही है कि नजूल की अधिकांश बहुमूल्य भूमि पर लोगों ने अवैध कब्जे कर लिये हैं ? यदि हां, तो उन अवैध कब्जों को शासन हटाने में क्यों विफल रहा है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नगर महापालिका, आगरा के प्रबन्ध में लगभग 648.75 एकड़ नजूल भूमि है। इसके रख-रखाव के लिये प्रत्येक भूखण्ड का अलग-अलग नम्बर है जिसका इन्द्राज नजूल सम्पत्ति रजिस्टर में पूर्ण विवरण के साथ अंकित है। नजूल के किराये की वसूली हेतु मांग एवं वसूली रजिस्टर रखे गये हैं।

उपर्युक्त नजूल भूमि के 19.78 एकड़ भूमि पर 732 हरिजन एवं अनुसूचित समुदाय के व्यक्तियों का और 0.98 एकड़ भूमि पर 48 अन्य व्यक्तियों का अनधिकृत कब्जा है।

हरिजन एवं अनुसूचित समुदाय के व्यक्तियों को वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था के पश्चात् हटाया जाना सम्भव होगा। शेष 48 अतिचारियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालयों में वाद दायर हैं।

ग्राम भेलूपुर, विकास खण्ड बदलापुर, तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर में हैण्ड पम्प लगाये जाने की मांग

166—श्री राज बहादुर—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के कई मा0 सदस्यों, श्री गजराम राम, श्री अर्जुन सिंह यादव, श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह श्री राज बहादुर, श्री दीप चन्द्र सोनकर एवं श्री चन्द्रसेन सिंह का हस्ताक्षर युक्त कवरिंग पत्र जो ग्राम भेलूपुर, विकास खण्ड बदलापुर, तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर में दो हैण्ड पम्प लगाए जाने के संबंध में था, उन्हें दिनांक 8-4-87 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त गांव में पेयजल की गम्भीर समस्या को देखते हुए तत्काल विशेष परिस्थिति में दो हैण्ड पम्प लगवाने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता), विकास खण्ड बलिया द्वारा थाने में दर्ज रिपोर्ट से सम्बन्धित पत्र

167—श्री मैनेजर सिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता), विकास खण्ड बलिया, जनपद बलिया द्वारा दिनांक 28-12-82 को बैरिया थाना में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-3-83 को सचिव, खाद्य एवं रसद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

खाद्य विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा कोई पत्र खाद्य सचिव को प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, अत्यन्त दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले अधिवेशन के बाद कई माननीय भूतपूर्व सदस्यों का निधन हो गया। जिसमें से चौधरी चरण सिंह जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अभी हाल में 29 मई, 1987 को एक लम्बी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया।

मान्यवर, चौधरी साहब का जन्म 23 दिसम्बर, 1902 को जनपद गाजियाबाद के ग्राम नूरपुर में हुआ था। उन्होंने बी0 एस-सी0, एम0 ए0 तथा एल-एल0 बी0 की शिक्षा प्राप्त की थी।

मान्यवर, वर्ष 1937 से 1939 एवं 1946 से 1977 की अवधि में सभी निर्वाचनों में उन्होंने विजय प्राप्त की और उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। मान्यवर, चौधरी साहब एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया। खासतौर से किसानों में जन-जागरण पैदा करने के लिये, देश की आजादी प्राप्त करने के लिये, जो उन्होंने अपना त्याग-बलिदान किया, उसे हम भुला नहीं सकते। 1977 से अन्तिम समय तक वह लोक सभा के सदस्य के रूप में देश की सेवा करते रहे। 1946 में चौधरी साहब पंडित पन्त मंत्रिमण्डल में सभा सचिव नियुक्त हुए। उत्तर प्रदेश विधान सभा में विपक्ष के नेता के पद को भी सुशोभित किया। अप्रैल, 1967 से फरवरी, 1968 और फरवरी, 1970 से अक्टूबर, 1970 की अवधि में आप उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे और इस प्रदेश की महान् सेवा की । मान्यवर, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था उनके मंत्रिमण्डल में रहने का, मुझे भी उनसे सीखने का अवसर मिला। उन्होंने जिस तरीके से प्रदेश का नेतृत्व किया, जिस तरह से प्रदेश के किसानों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य किया और खासतौर गरीबों के लिये जो भावना उनकी थी और जिस तरह से वह कार्य करते थे, उससे इस प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा हुआ है।

उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, न्याय, विधायिका, सूचना, कृषि, पशुपालन, परिवहन एवं गृह जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री के रूप में भी उन्होंने इस प्रदेश की बहुत बड़ी सेवा की। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में उन्होंने गृह एवं वित्त मंत्री के पद को भी ग्रहण किया। 1979 में उप प्रधान मंत्री और 28 जुलाई, 1979 से 14 फरवरी, 1980 तक प्रधान मंत्री के पद पर रहकर उन्होंने देश की सेवा की । मान्यवर, चौधरी साहब का राजनीतिक जीवन काफी व्यापक रहा, उन्होंने कांग्रेस में 1929 से 1967 तक विभिन्न पदों पर रहकर सेवा की । उसके बाद भारतीय क्रान्तिदल, भारतीय लोकदल, जनता पार्टी, लोकदल एवं दलित मजदूर किसान पार्टी के वह संस्थापक नेता थे । 1930–35 तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मेरठ के वाइसचेयरमैन तथा 1940 से 1946 तक मेरठ जिला कांग्रेस के महामंत्री एवं अध्यक्ष पदों पर उन्होंने कार्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया । 1949 से 1956 तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधान मण्डल के महामंत्री रहे। भूमि सुधार में उन्होंने अपना काफी योगदान दिया । भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के बारे में जो उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किये, उसे हम भूला नहीं सकते हैं । प्रदेश और देश के किसान सम्पन्न हों, सुखी रहें, हमेशा किसानों के वह हिमायती थे। किसानों की जो समस्यायें हैं, उनका समाधान कैसे हो; इसके लिये वह सदा तत्पर रहते थे । किसानों की जो दिक्कतें उनके समक्ष आती थीं, परेशानी आती थी, उन्हें हमेशा दूर करने के लिए तैयार रहते थे। चौधरी साहब हमारे बीच में नहीं रहे। उनके निधन से जो क्षति इस प्रदेश और देश को हुई है, उसे हम पूरा नहीं कर सकते हैं।

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी, मेरे दल की और इस सदन की संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*नेता विरोधी दल (सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, नेता सदन ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के विषय में जो भावनायें व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। धरती का पुत्र और किसानों का मसीहा आज हमारे बीच में नहीं है।

चौधरी चरण सिंह गांधीवादी विचारधारा के प्रतीक थे और आज गांधी जी की समाधि के पास ही वे चिरनिद्रा में सो रहे हैं। चौधरी चरण सिंह मात्र राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, मात्र किसी दल के अध्यक्ष ही नहीं थे, मात्र भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री ही नहीं थे बल्कि वास्तव में हिन्दुस्तान की धरती से उपजे हुए किसान के वह सुपुत्र थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन किसानों की तरक्की के लिये समर्पित कर दिया। उनके विषय में यह भी कहा जाता है और सारा हिन्दुस्तान इस बात को भली प्रकार जानता है कि वे एक कर्मयोगी थे और एक कुशल प्रशासक थे । चौधरी चरण सिंह के नाम में ही यह छिपा हुआ है कि उन्होंने राजनीति को शहर की संस्कृति से हटकर देहात की गन्दी गलियों, खेतों और खलिहानों में ले जाने का काम किया। कुशल प्रशासक अगर किसी के लिये कहा गया तो चौधरी चरण सिंह जी के लिये कहा गया। इतना ही नहीं बल्कि वह यह भी चाहते थे कि राजनीतिक सत्ता में गांव के गरीब और पिछड़े लोग भी सहभागी हों और राजनीतिक सत्ता में उनका हाथ हो । चौधरी चरण सिंह ने दिल्ली की चमक-दमक की राजनीति से हटकर देहात की राजनीति करने की कोशिश की। इसके अतिरिक्त चौधरी चरण सिंह एक ऐसे अर्थशास्त्री के नाम से विख्यात हैं जिन्होंने भारत की समस्याओं को बहुत ही मौलिक तरीके से सुलझाने की कोशिश की। देहात के रहने वाले वह ऐसे राजनीतिज्ञ थे, जिनमें कोई भी छल-कपट की भावना नहीं थी। यदि किसी बात को वह सही समझते थे तो चाहे जितना विरोध हो उसकी उन्होंने परवाह नहीं की, सही बात को डंके की चोट पर कहा और गलत बात को मानने के लिये उन्होंने कभी भी अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसम्बर, 1902 को हुआ था, 1923 में उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की, 1925 में उन्होंने एम0 ए0 किया व उसके बाद एल-एल0 बी0 पास किया। वकालत की डिग्री लेने के बाद उन्होंने गाजियाबाद में वकालत खोली, 1929 में वे मेरठ चले गये और स्वतंत्रता का जो संग्राम चल रहा था, उसमें उन्होंने प्रवेश किया। खासकर उनके बारे में ऐसी विचारधारा है कि वे एक अजेय के रूप में देखे जाते हैं। वर्ष 1937 से 39 तक वे विधायक रहे, वाइस चेयरमैन रहे म्युनिसपल बोर्ड के। इसके अलावा वर्ष 1946 से लेकर 1977 तक वे बराबर विधान सभा के लिये चुनकर आते रहे और केवल चुनकर ही नहीं आते रहे बल्कि चौधरी साहब ने हमारे प्रदेश के अनेक मंत्रिमण्डलों को सुशोभित किया है। संसदीय कार्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, राजस्व मंत्री, कृषि मंत्री, कानून मंत्री रहे और वन मंत्री रहे। कोई भी ऐसा मंत्रिमण्डल नहीं रहा जिसमें वे न रहे हों और उनकी धाक न जमी रही हो। वे दो बार प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे और वर्ष 1977 में जीतने के बाद दिल्ली में पहुंच कर गृह मंत्री बने, वित्त मंत्री बने, भारत के प्रधान मंत्री बने। उसके बाद मान्यवर, वे भारत के प्रधान मंत्री का पद सुशोभित करते हुए कुछ दिनों के बाद अचानक वे बीमार पड़ गये। आज से डेढ़ वर्ष पहले उनको दौरा पड़ा। सारा हिन्दुस्तान जानता है कि किस मजबूती के साथ वे अपनी बीमारी को झेलते रहे। पहले तो थोड़ा चल पाते थे तो बात भी करते थे लेकिन आज उनके दुनिया से उठ जाने के बाद उनके अनुयायियों को, उनके प्रशंसकों को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है।

चौधरी चरण सिंह अपने राजनीतिक जीवन में अनेक पदों पर रहे लेकिन यदि आज उनके घर की स्थिति देखी जाय तो देख कर लोग कह सकते हैं वे कितने बड़े ईमानदारी के प्रतीक थे। कोई भी व्यक्ति हो चाहे विरोध पक्ष का हो या विरोध पक्ष का न भी हो सभी उनकी ईमानदारी से इत्तफाक करते हैं।

जब मैं पहली बार इस सदन का सदस्य चुन कर आया था तो उस समय चौधरी चरण सिंह विरोधी दल के नेता थे और मैं जनसंघ का सदस्य था। जब मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला तो मैं कहे बिना न रह सका कि सारे मुख्य मंत्री जितने भी इस प्रदेश में हुए हैं उन सबमें चौधरी साहेब सबसे ईमानदार हैं। उनके प्रशासन में इतना बड़ा डर था कि जो भी अधिकारी लूट-पाट करते तो हर अधिकारी व कर्मचारी को डर बना रहता था कि कहीं चौधरी चरण सिंह पीछे तो नहीं खड़े हैं ?

उनकी ईमानदारी का इतना असर था, वे कुशल प्रशासक के प्रतीक थे। हर कर्मचारी व अधिकारी के दिल में उनके प्रति डर की भावना व्याप्त थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में इस तरह के आदेश दिये थे कि जगह-जगह वे यह देखें कि जनता की लुटाई न हो सके। उनकी सादगी ही विशेष बात थी। मुझे याद है कि एक बार हम लोग उनके साथ मिश्रिख, जो कि सीतापुर जिले में है, वहां पर एक प्रशिक्षण का शिविर लगा था, उसमें जा रहे थे। उस समय बाबू बनारसी दास बलरामपुर अस्पताल में भर्ती थे। चौधरी साहब ने पहले उन्हें वहां जाकर देखा उसके बाद जब हम लोग नैमिषारण्य जा रहे थे तो आप जानते ही हैं कि उनके साथ काफी बड़ा

काफिला चला करता था। तो रास्ते में अमरूदों का बाग पड़ा तो चौधरी साहेब ने अमरूदों के पास गाड़ी रुकवा दी। पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि चौधरी साहब अमरूद खरीद रहे थे। यह उनकी सादगी का प्रतीक था। कभी भी उन्होंने अपने जीवन में आडम्बर को स्वीकार नहीं किया। उन्हें अपने जीवन में जो छोटे-मोटे शौक थे वह भी हिन्दुस्तान की सादगी से ही जुड़े हुए थे जैसे कि मट्ठा पीना, गुड़ खाना व ताश खेलना, बस यही उनके शौक थे जो ग्रामीण जीवन से मिले-जुले थे।

चौधरी साहेब कहा करते थे कि बरसात की नहाई हुई मिट्टी की महक उन्हें दुनिया में सबसे प्यारी लगती है। यह इस बात का प्रतीक है कि उन्हें भारत की माटी से कितना प्यार था ? उन्हें उसकी खुशबू प्रिय थी। जिस दिन उनका स्वर्वास हुआ और जब उनका जनाजा उठने वाला था, यह संयोग की ही बात थी कि उनका जनाजा उठने से पहले बारिश हुई और उन्हें भारत की माटी की गन्ध का आभास हो सका।

चौधरी साहेब ने किसानों के प्रति ऐसा कार्य किया है जिसके कारण से चौधरी साहेब हमेशा-हमेशा इतनी बड़ी दुनिया में जाने जायेंगे। यह चौधरी साहेब का गुण था कि चाहे वह कलकत्ता में बोले और चाहे बम्बई में बोलें, वह हमेशा किसानों की समस्याओं को उठाते थे, वह सदैव पूंजीपतियों के विरोध में रहते थे। पूंजीपति उनके विरोध में रहते थे, परन्तु वह उनकी परवाह नहीं करते थे, जिसको वह सही मानते थे उसको बड़ी मजबूती के साथ पकड़ते थे। चाहे दिल्ली की सभा हो या लखनऊ की सभा हो, वह किसानों की ही वकालत करते थे।

चौधरी साहेब गांधीवादी थे। उनका विचार था कि हिन्दुस्तान देहातों में रहता है और उसकी खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से निकलता है। हिन्दुस्तान में खुशहाली तब आयेगी, जब देहातों में खुशहाली आयेगी और इसीलिये वह कहा करते थे कि सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत का आरक्षण ग्रामवासियों का होना चाहिये। इस पर जवाहर लाल रोहतगी जी ने उनसे कहा था कि आप 50 प्रतिशत ग्रामवासियों के आरक्षण की बात करते हैं, अगर ऐसा हो जायेगा तो कौन होगा जो खेतों में काम करेगा, तो उनका उत्तर था कि अगर ऐसा नहीं किया गया और आरक्षण उनको नहीं दिया गया तो बड़ा बुरा परिणाम होगा और जो आजादी हिन्दुस्तान के लिये आयेगी, वह ग्रामवासियों के लिये बेकार होगी। जब तक ग्रामवासियों को समान सुविधायें नहीं मिलेंगी, शहर और ग्राम का अन्तर कम नहीं होता है, तब तक वह कहते थे कि हिन्दुस्तान खुशहाल नहीं होगा। तो मान्यवर, चौधरी साहेब के विषय में जितना कहा जाये वह कम है। उनके विषय में कोई एक चीज नहीं है, अनेकानेक चीजें हैं।

उनका हर क्षेत्र में ज्ञान था। वह अपना गांधी जी को प्रेरणा का स्रोत मानते थे। वह गांधी जी की नीतियों को लेकर सियासी धारा में उतरे थे। उनके जीवन में उथल पुतल और उत्थान व पतन बहुत आये परन्तु उनकी उन्होंने कभी परवाह नहीं। की। सत्ता की कुर्सी पर जब पहुंचे तो अपने सिद्धान्तों का आदर किया और उन सिद्धान्तों को स्वीकार किया और अपने सिद्धान्तों के सामने कभी झुकने

की कोशिश नहीं की। मान्यवर, उनके विषय में कहा जाता है कि आदमी दो ही तरह के होते थे या तो वह उनके आलोचक होते थे या उनके बहुत बड़े प्रशंसक होते थे। जो उनके खिलाफ होता था, वह पूंजीपति वर्ग होता था। उनका अपना सिद्धान्त था कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिये। मान्यवर, हम सभी ने चुनाव लड़ा, किसी को वह पैसा नहीं देते थे। उनका कहना था कि अगर पूंजीपति से पैसा लेकर चुनाव लड़ने के लिये देंगे तो असेम्बली और पार्लियामेंट में आप सभी उनकी ही वकालत करोगे। पूंजीपतियों से पैसा लेकर, अपने सिद्धान्त को लेकर, उनके हाथ में नहीं पेश हो जाना चाहिये। किसानों के पक्ष में बोलने से वह कभी पीछे नहीं हटते थे और वह किसानों को आकर्षित करते थे।

मान्यवर, नैमिषारण्य में मैंने उनके जीवन का अन्तिम भाषण सुना था, तो मैंने एहसास किया था कि उनका किसानों से कितना प्रेम था। भाषण देते-देते वह रो उठते थे। पूरे भाषण में वह गरीब किसानों और गरीब महिलाओं के लिये तीन बार रो पड़े थे। उन्होंने बताया था कि वह एक अध्यापिका के घर गये, वह काफी गरीब थी, वह अपनी आधी धोती पहने रहती थी और आधी धोती थी। मान्यवर, चौधरी साहब हलक से नहीं बल्कि दिल से ग्रामवासियों को चाहते थे। लोगों ने उनकी कथनी और करनी में समानता देखकर उन पर विश्वास किया। जनता को उन्होंने अपना मसीहा माना। उनकी गांव की परिभाषा के अन्दर किसी जाति का अन्तर नहीं था। गांव के अन्दर रहने वाला कोई भी किसान चाहे वह किसी जाति का होता था वह उनकी गांव की परिभाषा का प्रतीक था। खेती करने वाले किसानों के प्रति वे स्पष्ट मान्यता रखते थे। उसके अन्दर उन्होंने कारीगरों और छोटी-छोटी दस्तकारी करने वाले लोगों को भी रखा। वे एक साहसिक व्यक्ति थे। कोई बड़े से बड़ा आदमी क्यों न हो, चाहे वह बुरा मान जाय, अपनी बात स्पष्ट कह देते थे। सहकारी खेती के सम्बन्ध में उनका कहना था कि इससे उनका भला होने वाला नहीं है। वास्तविक रूप में सहकारी खेती किसी की नहीं होती है। उन्होंने कारखानों का अध्ययन करने के बाद यह विचार व्यक्त किया कि कारखानों के सिद्धान्त खेती के सिद्धान्तों से अलग नहीं हैं। नागपुर अधिवेशन में, जब वे प्रधान मंत्री थे तो किसानों की डटकर वकालत की थी। चकबन्दी कानून और जमींदारी एबोलिशन एक्ट के सम्बन्ध में उन्होंने किसानों को बड़ी राहत प्रदान की थी। उनका कहना था कि जो खेती करता है वही खेत का मालिक होगा न कि वह होगा जिसके नाम वह लिखा हो। इस तरह से उन्होंने किसानों की सेवा की।

उन्होंने बहुत सी पुस्तकें हिन्दुस्तान की गरीबी दूर करने के लिये लिखीं। उनमें इकोनोमिक लाइफ, मिरर आफ इंडिया, – जब वे सन् 42 में बरेली में जेल में थे उस समय यह लिखी थी–मदर लैंड, जमींदारी एबोलिशन एन्ड लैंड रिफार्म एक्ट, भारत की आर्थिक नीति, कोआपरेटिव फार्मिंग तथा इंडियाज पावर्टी एन्ड इट्स सोल्युशन आदि पुस्तकें प्रमुख हैं। यह सारी पुस्तकें उनके मनन और गहन चिन्तन के ही परिणाम हैं। खुद अध्ययन करने के बाद ही उन्होंने यह पुस्तकें लिखी हैं क्योंकि चौधरी साहब एक गांव में पैदा हुये थे एक झोपड़ी में पैदा हुये थे। गांवों की गलियों में जाकर उन्होंने वहां की गरीबी को देखा। भारत की आर्थिक

स्थिति के सम्बन्ध में उन्होंने किताबों में नहीं पढ़ा बल्कि खुद वहां जाकर समस्याओं को नजदीक से देखा। इसी का अन्जाम यह हुआ कि उन्होंने अपने जीवन में 85 फीसदी लोग जो गांवों में बसते थे खेती और दस्तकारी करते थे, जब तक इनकी प्रगति नहीं होती है तब तक कोई देश तरक्की नहीं कर सकता है, उन्होंने अपना सारा जीवन उन्हीं की बहबूदी में लगा दिया।

आज सारा देश चौधरी साहब के निधन से शोक संतप्त है और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज देश के हर नेता ने माना है कि चौधरी साहब के न रहने से एक गांधीवादी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, किसानों का मसीहा हमारे बीच से चला गया है। उन्हें हम किसी भी हालत में वर्षों-वर्षों तक नहीं भुला सकते हैं। ऐसे पुरुष इस धरती पर बहुत कम पैदा होते हैं। आज एक बड़ी भारी कमी का हमारे राजनीतिक क्षेत्र में अहसास हो रहा है। वे ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो कभी अपने सिद्धान्तों से झुका नहीं करते थे। उनके सामने जो भी ऐसा व्यक्ति आया तो उसको उन सिद्धान्तों को मानना पड़ा। वे हमेशा अपने सिद्धान्तों पर अडिग रहे। लोगों ने उनकी आलोचना भी की। लेकिन वे आलोचनायें ऐसी नहीं थीं जिनसे चौधरी साहब की गरिमा, इज्जत या उनके सम्मान में कोई कमी आयी हो। एक पत्रकार ने उनके विषय में सटीक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि चौधरी साहब अक्खड़ थे। वे किसी की सिफारिश नहीं मानते थे।

आर्यसमाजी थे, ईमानदार थे, कर्मवीर थे, और चरित्रवान थे। राजनीतिक उठापटक में इधर से उधर हो जाते थे मगर सत्ता पर बैठते ही सिद्धान्तों को सर्वोपरि मानते थे। इसीलिये वह गांधीवादी कहलाते थे। चौधरी साहब को अनेकानेक लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है किसानों का हित उनके लिये सर्वोपरि था। जो लोग गड़बड़ी करते थे उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने में वह पीछे नहीं रहते थे उन्होंने देखा कि पटवारी गड़बड़ी कर रहे हैं तो कठोर निर्णय उन्होंने लिया। वह कहते थे कि जल्दी में कोई निर्णय न लिया जाय लेकिन जो निर्णय ले लिया उसे बदला न जाय यही उनकी सबसे बड़ी मान्यता थी। पटवारियों के मामले में उन्होंने एक कलम से सब की सेवा समाप्त कर दी इस बात की परवाह किये बिना कि उसकी कितनी आलोचना होगी। वे राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन दोनों को वह साथ लेकर चलते थे। किसानों के वे मसीहा थे वह भारत के और भारत किसानों का मानते थे। महात्मा गांधी के बाद भारत को उन्होंने पहचाना है। चौधरी साहब के निधन से आज सारे देश के राजनीतिक क्षितिज में बहुत बड़ी रिक्तता आ गयी है और आने वाली पीढ़ियों में वर्षों तक उनकी इस रिक्तता को पूरा नहीं किया जा सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे और मेरे दल की तरफ से यह श्रद्धा सुमन उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने स्व0 चौधरी चरण सिंह साहब के सम्बन्ध में जो भावनायें व्यक्त की हैं मैं अपने दल को और स्वयं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं।

मान्यवर, इस देश का महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान देश भक्त हमारे बीच से उठ गया है। भारत की राजनीति में ऐसे बहुत कम नेता हैं जिनको आम जनता का इतना सम्मान और प्यार प्राप्त हुआ हो।

मान्यवर, स्व0 चौधरी साहब सन् 1937 से लेकर लगातार 1977 तक विधान सभा के सदस्य रहे और 1977 से लेकर अपनी अन्तिम सांस तक लोक सभा के सदस्य रहे। इस बीच विधान सभा के सदस्य से लेकर लोक सभा के सदस्य के रूप में जो भी उन्होंने काम किये वह भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है। चौधरी साहब ने इस देश और प्रदेश के किसानों के लिये जो भूमि सुधार के काम किये उससे उन्होंने अपनी योग्यता, अपनी क्षमता और दूरदर्शिता का परिचय दिया है और सबसे बड़ा परिचय अपने सिद्धान्तों को दृढ़ता से कहने का उन्होंने कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिया। जब इस देश में पं0 जवाहरलाल नेहरू की तूती बोलती थी उन्होंने पं0 नेहरू के प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की और कहा कि आपका यह जो सहकारिता और सहकारी खेती का प्रस्ताव है इससे उत्पादन घटेगा और देश के किसान और देश की जनता भुखमरी के कगार पर पहुंचेगी। यह उनके साहस और अपने सिद्धान्तों पर दृढ़ रहने की निष्ठा थी।

मुख्य मंत्री रहकर जो उन्होंने कुशल प्रशासक की धाक इस प्रदेश में जमा रखी थी वह किसी से छिपी नहीं है। मुझे याद है, मैं भी इस सदन का सदस्य था, इस प्रदेश के बेईमान अधिकारी थरथर कांपते थे और वह सिर उठाकर नहीं चलते थे लेकिन ईमानदार अधिकारी सर उठाकर चलते थे, यह उनके कुशल प्रशासन का ही कमाल था। वे देश और प्रदेश के गांवों में रहने वाले गरीब किसानों और मजदूरों के लिये अन्तिम समय तक वकालत करते रहे और आप देखेंगे कि उनकी सादगी का सबसे बड़ा सबूत है कि प्रधान मंत्री रहकर भी एक छोटे से कमरे में आम लोगों और अधिकारियों से जमीन पर बैठकर बातें करते थे। जो कहावत है—"सादा जीवन उच्च विचार"—वह उन पर पूरी तरह से लागू होती है। उन्होंने अपने जीवन भर जो संघर्ष इस देश और प्रदेश की गरीब जनता और समाज के लिये किया है उससे साफ हो गया है कि वह केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं थे बल्कि समाज सुधारक भी थे और समाज सुधारक के रूप में जब कोई बात कहते थे तो वह अपने वोटों की कोई परवाह नहीं करते थे। कई बार मौके आये, हमने समझाने की कोशिश की तो पाया कि जब वह समाज सुधारक का काम करने चलते थे तो वह अपने विचारों से नहीं डिगते थे।

मान्यवर, उन्होंने छोटे से किसान परिवार में पैदा होकर संसदीय सचिव, मंत्री, मुख्य मंत्री दो-दो बार, गृह मंत्री और देश के प्रधान मंत्री पद पर पहुंचकर यह साबित कर दिया है कि इस देश में केवल धन के बल पर या बड़े बाप का बेटा ही इतने उच्च पद पर नहीं पहुंच सकता बल्कि छोटे से किसान परिवार का बेटा भी अपने परिश्रम और योग्यता के बल पर देश का प्रधान मंत्री हो सकता है। उनके जीवन से इस देश और प्रदेश की जनता प्रेरणा लेगी। इसलिए सरकार से मेरी एक मांग है और प्रार्थना है कि स्वर्गीय चौधरी साहब ने अपने जीवन भर गांव के गरीब किसानों के लिये जो बातें कही हैं उनके सम्बन्ध में सरकार शानदार संस्था चौधरी चरण सिंह

के नाम से खोले जिनमें गांव के किसानों, गरीब मजदूरों के बेटों को मुफ्त शिक्षा दी जाये और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी का प्रशिक्षण भी मुफ्त दिया जाये । यह मेरी प्रार्थना है, यही सदन के लिये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

मान्यवर, उनके निधन से आज पूरे देश और समाज को बहुत बड़ी हानि हुई है। लेकिन मान्यवर, व्यक्तिगत रूप से सबसे बड़ी हानि हमें और हमारे दल को हुई है चूंकि लगातार 13-14 सालों तक हम उनसे सम्बद्ध रहे । मान्यवर, दूसरी तरफ आज जब सामाजिक और राजनीतिक गिरावट होती जा रही है तो ऐसे अवसर पर उनका निधन होना हमारे देश और प्रदेश के लिये बड़े दुख की बात है। मान्यवर, मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी और हमारे दल की ओर से उनके परिवार, सम्बन्धियों और अनुयायियों तक हमारी संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, चौधरी चरण सिंह आज हमारे बीच में नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया और गाजियाबाद से अपनी जीवन लीला शुरू करके, जिला परिषद् के उपाध्यक्ष के लिये कार्य करके, लखनऊ में विभिन्न पदों पर वह सुशोभित रहे। उन्होंने अपने कुशल प्रशासक की छवि पूरे प्रदेश में ईमानदारी के रूप में ख्याति अर्जित की थी, लेकिन जब वह मुख्य मंत्री बने तो उनकी ख्याति में चार चांद लग गये और पूरे प्रदेश में एक भय का वातावरण था । कर्मचारी घूस लेने में डरता था कि कहीं चौधरी साहब मौजूद तो नहीं हैं। हालांकि यह सम्भव नहीं था कि वह सब जगह मौजूद रहें। किन्तु उनका दबदबा था, प्रशासनिक क्षमता थी और कर्मठता थी कि पूरे प्रदेश में कर्मचारी घूस नहीं के बराबर लेते थे और एक डर का वातावरण उसके मन में व्याप्त था। चौधरी साहब को इस प्रदेश के लोग कई महत्वपूर्ण देनों के लिए याद करेंगे । चौधरी साहब ने जहां जमींदारी उन्मूलन का बिल इस सदन में पेश किया था, जिस बिल को न केवल इस प्रदेश में बलिक इस देश के तमाम प्रान्तों में और केन्द्र में भी ख्याति मिली थी और बहुत से प्रान्तों ने इस बिल की नकल करके अपने यहां लागू करने की कोशिश की। यह चौधरी साहब की सबसे बड़ी देनों में से एक देन मानी जाएगी, वहां उन्होंने अपने एक कलम से पटवारियों की नौकरी समाप्त करके सरकारी कर्मचारियों में अनुशासन की भावना को प्रज्जवलित किया था और उन्होंने यह साबित कर दिया था कि अगर सरकारी कर्मचारी ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे तो उनको सरकारी नौकरी से निकाला जा सकता है–एक दो की संख्या में नहीं हजारों की संख्या में।

मान्यवर, नागपुर का कांग्रेस का जब सेशन था, उस समय पंडित जी का दल में दबदबा इतना था कि उनकी बात के खिलाफ बोलने को कोई तैयार नहीं था । लोग सहकारी खेती से सहमत नहीं थे लेकिन फिर भी लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इस विषय पर पंडित जी का विरोध कर सकते । उस सहकारी खेती का विरोध अकेले चौधरी साहब ने किया था, और जिस निर्भयता और निडरता से किया था, उससे उनकी छवि न केवल इस प्रदेश में बल्कि पूरे देश में, न केवल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कांग्रेस में बल्कि आम जनमानस में एक निडर और कर्मठ व्यक्ति के रूप में उभरी थी। चौधरी साहब इस प्रदेश के दो बार मुख्य मंत्री रहे और भारत सरकार में गृह मंत्री रहे और प्रधान मंत्री भी रहे थोड़े काल के लिये। वह आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी कमी, उनकी रिक्तता आसानी से नहीं भरी जा सकती है। मुझे उम्मीद है नई पीढ़ी के लिए वह प्रेरणा स्रोत रहेंगे और उन्होंने जो कार्य किये हैं गांवों के लिए, किसानों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए, उसे हमेशा लोग याद करेंगे। इस सदन में मंत्री के रूप में, मुख्य मंत्री के रूप में और लीडर आफ अपोजीशन के रूप में उन्होंने वो कीर्तिमान बनाए हैं, वे भी हमेशा संसदीय प्रणाली में लोगों को आगे बढ़ने के लिये हिम्मत देते रहेंगे। मान्यवर, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनके संतप्त परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

*श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के सम्बन्ध में जो भावनाएं माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य माननीय नेताओं ने व्यक्त की हैं, उनके साथ मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, चौधरी साहब के जाने के बाद गांवों में ऐसी अनुभूति थी कि उनका नेता उठ गया, गरीबों ने यह एहसास किया कि उनके हितों की लड़ाई लड़ने वाला उठ गया, किसानों ने यह महसूस किया कि उनकी बात को कहने वाला आज संसार से उठ गया। जहां वह कुशल प्रशासक थे, सूझ-बूझ के प्रशासक थे, वह अपने विचार में बड़े भारी क्रान्तिकारी भी थे। जमींदारी उन्मूलन उनके विचारों में से एक है। विधि विशेषज्ञों की राय यह है कि उत्तर प्रदेश में माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने जो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम बनाया वह अपने में पूर्ण है, ऐसा अधिनियम किसी राज्य में नहीं बन सका है। उनमें इस बात की अनुभूति थी कि यदि देश को उठाना है तो गांव को उठाना पड़ेगा, यदि देश का विकास करना है तो खेती का विकास करना पड़ेगा और इसके लिए वह जीवन भर जूझते रहे। उन्होंने सिद्धान्तों के साथ समझौता नहीं किया।

मान्यवर, हर महापुरुष के जीवन में कभी-कभी अनुकूल और प्रतिकूल टिप्पणियां की जाती हैं माननीय चौधरी चरण सिंह भी महान पुरुष थे उनके जीवनकाल में भी ऐसी टिप्पणियां होती रहीं। मान्यवर, उनके प्रति दो बातें कही गईं। एक तो यह कि वह कुर्सी के बड़े भूखे थे। दूसरी बात कही गई कि वह जातिवादी थे। यह दोनों बातें नितान्त असत्य और निराधार हैं। चौधरी चरण सिंह जी कभी कुर्सी के भूखे नहीं रहे और न ही जातिवादी रहे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जितनी बार कुर्सी को ठोकर इन्होंने मारी होगी, जितनी बार इन्होंने त्याग पत्र दिया होगा उतनी बार किसी ने नहीं दिया होगा। जब भी इन्होंने इस बात को महसूस किया कि इनके सिद्धान्तों से मेल नहीं हो रहा है इनके विचारों से मेल नहीं हो रहा है, तो इन्होंने सिद्धान्तों से कभी समझौता नहीं किया इन्होंने कुर्सी को छोड़ना अधिक बेहतर समझा। इनके लिए यह कहना कि यह कुर्सी के भूखे थे यह निराधार और असत्य है। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धान्तों से समझौता नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया उनका कहना था कि कुर्सी तो आती जाती रहती है लेकिन आदमी के सिद्धान्त रह जाते हैं।

वह जातिवादी रहे यह कहा जाता रहा। यह बहुत बड़ा झूठ है। उन्होंने अन्तर्जातीय विवाह पर जोर दिया मुझे याद है उस समय रामप्रकाश जी शिक्षा मंत्री थे उनसे कहा था कि रामप्रकाश जी जो संस्थायें जातिगत आधार पर चल रही हैं, जो जाति के नाम पर चल रही हैं उनको मान्यता न दी जाए। उन्होंने कहा ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाए जो अन्तर्जातीय विवाह करते हैं जिन्होंने अन्तर्जातीय विवाह को प्राथमिकता दी है एक ऐसा व्यक्ति जो राजकीय सेवा में अन्तर्जातीय विवाह करने वालों को प्राथमिकता देता हो, उन लोगों को प्राथमिकता देने की बात करता हो जो अन्तर्जातीय विवाह में विश्वास रखता हो, ऐसे व्यक्ति के लिये यह कहना कि वह जातिवादी हैं निराधार और असत्य है। मान्यवर, वह बड़े क्रान्तिकारी व्यक्ति थे आज उनके न रहने से बड़ा खोखलापन महसूस हो रहा है। अब कौन कहेगा किसानों की बात, कौन कहेगा गरीबों की। मान्यवर, प्रत्येक दल को मजबूर कर दिया चौधरी साहब ने कि वह गांव की बात कहें, गरीबों की बात कहें, किसानों की बात कहें। पहले इतने जोरों से किसान की बात नहीं कही जाती थी कुछ लोग थे जो किसानों की बात करते थे गरीबों की बात करते थे। मान्यवर, उन्होंने धरती से जुड़े हुए लोगों की बात, धरती पर पसीना बहाने वालों की बात उठाई।

एक ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आज हमारे बीच में नहीं है। प्रभु से प्रार्थना है कि इस पीढ़ी को सामूहिक रूप से ऐसी कुछ शक्ति दे, क्योंकि कोई एक तो इस क्षति की पूर्ति कर ही नहीं सकता, हम सब मिलकर उनके दिखाए मार्ग पर चलें ताकि उनके अभाव की कुछ अंशों में पूर्ति कर सकें। यही चौधरी साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि गांव के गरीबों और किसानों, झोपड़ियों में रहने वाले इंसानों, बेरोजगार नौजवानों के उत्थान के कार्यक्रम चलायें, ईमानदारी के साथ चलायें, निष्पक्षता के साथ चलायें तो चौधरी साहब की आत्मा को उससे शांति मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से चौधरी साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि हमारा शोक संदेश और हमारी भावनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, स्वर्गीय चौधरी साहब के प्रति माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य माननीय नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, चौधरी साहब आजादी के आंदोलन के एक एक महान योद्धा थे। वह ईमानदार, कर्मठ राजनीतिज्ञ और कुशल प्रशासक और किसान वर्ग के महान नेता थे। उनके निधन से देश की अपूर्णनीय क्षति हुई है। मान्यवर, मुझे और मेरे दल को उनके निधन से हार्दिक शोक है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपसे मान्यवर, अनुरोध है कि हमारी संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, चौधरी साहब के चले जाने से सचमुच एक धरतीपुत्र और हमको छोड़कर चला गया। मान्यवर, सन् 1967 से उनके नजदीक, उनके चरणों में बैठकर राजनीति सीखने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। मान्यवर मैंने पाया कि उनके जीवन में उनके सोचने विचारने में एक माटी की गंध थी यही कारण है कि शायद चुनावी राजनीति करने वालों में बिना सक्षम संगठन के और बिना शक्तिशाली संगठन के जितना व्यक्तिगत रूप से चौधरी साहब भारत की जनता से जुड़े रहे उतना शायद किसी भी अन्य चुनावी राजनीति करने वाले नेता के साथ देश के लोग नहीं जुड़े। बिना किसी सक्षम संगठन के चौधरी चरण सिंह देश की राजनीति में छाये रहे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की राजनीति करने वाले लोग जो सर्वहारा की राजनीति करने का दावा करते हैं, जो लोकतंत्र में आस्था का दावा करते हैं वह इस बात के लिये गर्व महसूस करते हैं कि हिन्दुस्तान में मात्र उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा सूबा है जहां हम कह सकते हैं कि हाथ से मेहनत करने वाले काश्तकार के हक की रक्षा हुयी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उस हक को दिलाने में चौधरी चरण सिंह जी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा रहा है। उनके चले जाने से जो रिक्तता पैदा हुयी है उसका भरा जाना मुश्किल है। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी और मेरे दल की संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री और लोकदल के अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह के निधन पर मैं और मेरा दल शोक व्यक्त करता है। देश में बहुत लम्बे और घटनापूर्ण राजनीतिक जीवन में चौधरी चरण सिंह ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति अर्जित की थी और आगे चलकर स्वतंत्र भारत में उन्होंने विभिन्न सार्वजनिक पदों पर रहकर देश की सेवा की थी। चौधरी चरण सिंह, ग्रामीण भारत और देश के विकास के लिए जो चर्चाएं चलती थीं, जो बहस होती थी इसमें उनका जो योगदान था वह उनके जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय था। चौधरी चरण सिंह से राजनीतिक मामलों में भले ही मतभेद रहे हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी और सादगी भरा हुआ जीवन सबके लिए आदर का स्रोत था, सब लोग आदर करते थे। चौधरी चरण सिंह एक बहुत ही कुशल प्रशासक भी थे।

वह उत्तर प्रदेश के दो बार मुख्य मंत्री रह चुके थे। वे जब राजस्व मंत्री थे तो उन्होंने जमीन के बारे में जो कल्पना की, जमीन के बारे में जो उनका सोचना था कि जमीन की किसी तरह से सही व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इससे कृषि उत्पादन बढ़े। इसलिए वह चाहते थे कि जो छोटे-छोटे टुकड़ों में जमीन बटी हुई है उसको एक जगह किया जाय। उन्होंने जमींदारी उन्मूलन से लेकर सीरदारी कानून तक जो भूमिका अदा की, शायद ही प्रदेश के इतिहास में किसी मंत्री की रही हो भले ही सीरदारी कानून से बहुत ज्यादा गरीब किसान का फायदा न रहा हो। उसका कारण यह था कि देश के अन्दर उसको लागू करने की जो मशीनरी थी वह जमींदारों के पक्ष की थी इसलिए गरीब किसानों को उतना लाभ नहीं हो पाया। चौधरी चरण सिंह प्रारम्भ में आन्दोलन के विरुद्ध थे और कुछ ऐसी बात कह दिया करते थे जो लोगों को अच्छी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नही लगती थीं । जैसे औरतों के बारे में कि वह कुशल प्रशासक नहीं हो सकती । लेकिन बाद में उनका विचार कुछ बदला और आन्दोलन के प्रति उनकी श्रद्धा फिर से जाग उठी । मुझे याद है कि जिस समय पटवारियों ने आन्दोलन किया, उन्होंने उनके खिलाफ बहुत ही कड़ा रूख अपनाया और 28,000 पटवारियों को बरखास्त कर दिया था । उसके बाद से अब तक का समय हो गया, प्रदेश के अन्दर जो एक विशेष जाति की इजारेदारी थी पटवारीगीरी के पद पर, अब विभिन्न जाति के लोग आने लगे । इस तरह से चौधरी चरण सिंह की बहुत सी ऐसी याददाश्तें हैं जिसको गिनाने में बहुत वक्त लग सकता है । चौधरी चरण सिंह ने जो कुछ भी देश के लिए किया है, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए । चौधरी चरण सिंह आर्य समाजी थे । उनका विचार था कि जो दकियानूसी ख्याल लोगों के अन्दर है उसको वह दूर करें।

मान्यवर, चौधरी चरण सिंह के निधन से हमारे देश के अन्दर जो रिक्तता हुई है उसे पूरी करना सम्भव नहीं है । उससे जो अपूर्णनीय क्षति हुई है उसके लिए हम सब लोग आज दुखी हैं । मान्यवर, मैं चौधरी चरण सिंह के प्रति अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । श्रीमती गायत्री देवी और उनके अन्य परिवारजनों के प्रति अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं । कृपया हमारी शोक संवेदनाएं उनके यहां तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, चौधरी साहब के निधन से आज देश का एक महान स्वाधीनता सेनानी, कुशल प्रशासक, किसानों की प्रेरणा, मूक लोगों की आवाज के रूप में एक महान व्यक्तित्व चला गया । आज उनके निधन से सारा सदन ही नही सारा देश और विशेष रूप से गांव के किसान, गरीब मजदूर और हर वर्ग के लोग जिस तरह से दुखी है उस तरह से शायद ही कोई ऐसी मिसाल इस देश में मिले जिसके निधन से इतना शोक लोगों में फैला हो । लगभग 50 वर्षों के राजनीतिक जीवन में जिस प्रकार से उन्होंने.... प्रदेश की राजनीति और देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने और देश को आगे बढ़ाने का काम और गांधीवादी रीति से चलाने का काम चौधरी साहब ने किया । वे बराबर कहा करते थे कि देश की प्रगति का रास्ता गांव से चलता है क्योंकि वे जानते थे कि गांव और किसानों के कारण ही देश की प्रगति हो सकती है इसलिए उन्होंने सबसे पहले इस देश से जो भूमिहीन लोग थे, जो सर्वहारा लोग थे और जिनको अपनी जमीन पर कोई हक नहीं मिल रहा था, पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों को अधिकार देकर, उनको सम्मान देकर एक ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा करने का काम किया जो आज इतिहास की एक अमूल्य वस्तु बन चुकी है ।

मान्यवर, मुझे याद है कि जब लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे थे और एक बार गलत इन्दराज किये गये थे तो उसका सर्वे कराया गया सुल्तानपुर में मुसाफिर-खाना तहसील में और उसके बाद चौधरी साहब ने यह निर्देश दिया कि मौके पर जाकर जांच की जायेगी और जिसका जो हक होगा, उसे दिया जायेगा जिससे इस प्रदेश के लाखों परिवार जिनके पास जमीन नहीं थी और जो दूसरों पर आश्रित थे, उनको जिन्दा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रहने लायक बनाने का काम पहली बार चौधरी चरण सिंह की कलम से हुआ था। साथ ही साथ उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि गांव के किसान, गांव के लोग गांव की झोपड़ी से निकलकर अपनी प्रतिभा के बल पर कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंच सकते हैं। यह उन्होंने देश के सामने एक बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने गांधीवादी दर्शन और गांव के किसानों और गरीबी के सम्बन्ध में जो पुस्तकें लिखी हैं उनसे एक बात यह स्पष्ट हो जाती है कि देश की आत्मा गांव में बसती है, जिसकी चर्चा वे हमेशा किया करते थे। चौधरी साहब ने अपनी पुस्तकों में गांवों की जिस स्थिति का उल्लेख किया है वैसा लेख जल्दी नहीं उपलब्ध हो सकता और उन्होंने जो अपनी पुस्तकों में लिखा है उसे आज सोचने और समझने की आवश्यकता है जब कि वे हमारे बीच में नहीं हैं। मुझे भी सन् 74 में उनके नजदीक आने का मौका मिला और सन् 1977 में उत्तर प्रदेश में जो एक नई अंगड़ाई प्रदेश की जनता ने ली थी और नई सरकार चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी थी। जिसकी लोग कामना करते हैं, जबकि मैंने सोचा भी नहीं था। इससे एक बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है कि चौधरी साहब किस प्रकार से गरीबों, किसानों, और पिछड़े वर्गों तथा ईमानदार लोगों के बारे में सोचा करते थे और यही कारण था कि उनकी कर्त्तव्य-परायणता में, उनकी गांधीवादी दर्शन में और कथनी और करनी के अन्तर को मिटा कर एकरूपता लाने के परिणाम स्वरूप ही वह गांव की झोपड़ी से सत्ता के सर्वोच्च पद तक पहुंचे थे, उसके कारण गांव के लोगों में, किसानों में आत्म विश्वास जगा और स्वाभिमान बढ़ा। उन्होंने भूमिहीनों को अधिकार देकर एक बहुत बड़ा काम किया। उनके निधन से देश की अपूर्ण क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से और समता पार्टी की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारी संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, चौधरी साहब का 29 मई, 1987 को निधन हो गया। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि मानों एक युग ही समाप्त हो गया हो। चौधरी साहब दृढ़ता, ईमानदारी एवं समर्पण के प्रतीक थे। एक बार चौधरी साहब से मेरी मुलाकात हुई और पूरी बातचीत के दौर में उन्होंने दो शब्द ही कहे। जब मैंने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं निर्दलीय हूं, तो उन्होंने कहा कि कहीं भी हों, कुछ भी हो, लेकिन गांव की सोचो और किसानों की सोचो। उनकी बात से ऐसा लग रहा था कि गांव का दर्द और किसान का दर्द उनके चेहरे से झलकता हो। जहां तक राजनीति की बात है, उसकी छाप जिस किसी के भी ऊपर पड़ेगी, वह निःसंकोच कह देगा कि अगर गांव की ओर किसी ने राजनीति को मोड़ा, तो चौधरी साहब ने। अगर किसी ने किसान के दर्द के साथ राजनीति को जोड़ा, तो सिर्फ चौधरी चरण सिंह ने। मान्यवर, प्रायः यह देखा गया है कि एक दल दूसरे दल के खिलाफ विदेशी धन एवं विदेशी प्रेरणा के आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब का व्यक्तित्व और उनकी राजनीति इससे मुक्त रही है। उनके ऊपर विदेशी धन अथवा विदेशी प्रेरणा का आरोप लगाने का साहस न कोई कर पाया है और न कोई कर पायेगा। मान्यवर, चौधरी साहब के चले जाने से जो रिक्तता हुई है, उसे पूरा हो सकना सम्भव नहीं है। ऐसे व्यक्तित्व एवं ऐसी प्रतिभा के उठ जाने से सारा राष्ट्र दुःखी है। मान्यवर, नेता

सदन, नेता विरोधीदल एवं अन्य नेताओं द्वारा व्यक्त भावनाओं से मैं अपने को एवं निर्दलीय विधायक समुदाय को सम्बद्ध करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी ओर से श्रद्धा के पुष्प उनके शोक संतप्त परिवार एवं इष्ट जनों तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, माननीय चौधरी चरण सिंह के इन्तकाल से जो नुकशान हुआ है, वह बहुत बड़ा है। उनके सिलसिले में जो अन्य नेताओं ने एहसास का इजहार किया है, उनसे अपने को जोड़ते हुए मैं आगे कहना चाहता हूं कि मुझको भी चौधरी साहब के साथ अक्सर काम करने का मौका मिला है। यों तो बहुत सी खसूसियत चौधरी साहब के करेक्टर में मिलती है, लेकिन एक खसूसियत ऐसी है जो दूसरों के यहां ढूढ़ने से भी नहीं मिलती। यही वजह है कि आज देश की राजनीति बरबाद हो रही है। चौधरी साहब की खास बात यह थी कि जो उनके दिल में होता था, वही उनकी जबान पर होता था, जो वह कमरे में कहते थे, जो वह अपनी मीटिंग में कहते थे, वही बात पब्लिक के सामने भी करते थे। यह बात जो उनमें थी, वह किसी नेता में नहीं मिलती है। सिर्फ फारमेलटी के तौर पर उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित न करें, बल्कि अपने दिल में एक क्षण सोच लिया करें कि जो बात कहना है, वह हर जगह कहेंगे। नेता आये, नेता गये। हम तो सोचते हैं कि देश को बनाने के लिए चौधरी साहब ने किसी बात की परवाह न की और वह कंट्रोवर्सियल फीगर भी बने रहे। एक कहावत है मुंह में राम-राम और बगल में छुरी। यह बात चौधरी साहब की जिंदगी में नजर नहीं आयी। उनके इंतकाल से देश और प्रदेश में एक बहुत बड़ा खला पड़ गया है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके दुखी खानदान के लोगों तक मान्यवर हमारी ओर से भी संवेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, चौधरी साहब के प्रति जो विचार नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के मा0 नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं भी इन विचारों से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, चौधरी साहब उस युग के प्रतीक थे जिसे गांधी युग कहा जाता है, जो आज धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है और वह जिन मूल्यों और आदर्शों के प्रति वह हमेशा प्रयत्नशील रहे हैं उन मूल्यों और आदर्शों के प्रति आज हम सब को सोचना पड़ेगा और यदि वास्तव में हम यह चाहते हैं कि हमारा देश और प्रदेश तरक्की करे और हमारी एकता और आजादी मजबूत बनी रहे तो इन मूल्यों और आदर्शों को अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करना होगा।

मान्यवर, चौधरी साहब गांधी जैसे महान व्यक्तित्व वाले एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने सदैव ग्रामीण जीवन के लिए, काश्तकार और हलवाहों के लिए चिन्तन किया है कि कैसे इनके जीवन का उत्थान हो। इस ओर मान्यवर, इनके जैसा चिन्तन देश के किसी भी नेता में नहीं पाया गया। इनके उठने के बाद हमारे देश में खासतौर से ग्रामीण जीवन के एक बहुत बड़े विचारक का अन्त हो गया। यह बात सही है कि इनकी क्षतिपूर्ति करना आसान नहीं है क्योंकि वह एक ऐसे महान पुरुष, राजनीतिज्ञ और देश व प्रदेश को आगे ले जाने में जद्दो-जेहद करने वाले व्यक्तित्व थे, इनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विचारों से देश को सदैव रोशनी मिलती रहेगी । मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से संवेदना प्रकट करता हूं और मेरी यह संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मान्यवर, माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल व अन्य माननीय नेताओं ने जो विचार व्यक्त किए हैं, मैं भी अपने आप को उनसे सम्बद्ध करता हूं । श्रीमन् 1967 में मैं चौधरी साहब के साथ वकालत छोड़कर उनकी प्रेरणा से राजनीति में आया था और बहुत दिन उनके चरणों में बैठकर कुछ सीखने को मिला । वह एक आदर्श एवं महान पुरुष थे, एक कुशल प्रशासक एवं स्वच्छ राजनेता थे और एक ऐसे व्यक्तित्व थे अपने आप में और उनके अंदर जो देश व प्रदेश के उत्थान की जो भावना थी, वह जल्दी कहीं दिखाई नहीं देती । ऐसे महान नेता के जाने से, ऐसे महान पुरुषों के जाने से जो देश को क्षति होती है उसकी पूर्ति जल्दी नहीं हुआ करती है और लाखों में एक ऐसे महान पुरुष पैदा होते हैं ।

मेज पर रखे स्पीकरों से गाने की आवाज आ रही थी ।

उनके जाने से क्षति का एहसास होता है जो स्वाभाविक है । चौधरी चरण सिंह उन महान पुरुषों में से हैं, जिनके जाने के बाद जो उनके द्वारा ग्रामीणों के प्रति, मजदूरों के प्रति, किसानों के प्रति, भले लोगों के प्रति, चाहे शहरी जीवन हो या गांव का जीवन हो, सबके प्रति उनकी जो भावनाएं थीं और उनका जो आन्दोलन था, जो उन्होंने इस देश और प्रदेश में गरीबों और मजदूरों के लिए छेड़ा था, वह जारी रहेगा और इसी के साथ मैं अपनी श्रद्धा संवेदना उनके चरणों में अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी भावनाएं और श्रद्धा संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

चौधरी साहब ने अपनी जिन्दगी सबसे नीची सीढ़ी से शुरू की और चलते-चलते, बढ़ते-बढ़ते, तरक्की करते-करते सबसे ऊंची सीढ़ी पर पहुंचे । उनकी जिन्दगी हमारे लिए एक मार्गदर्शन है । वे किसानों के मसीहा थे । उसी का नतीजा है कि उनके मरने के बाद किसान स्थल पर उनको यह जगह मिली । मैं आप सबकी संवेदनाएं उनके परिवार को पहुंचाऊंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि हम लोग दो मिनट मौन खड़े होकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

(श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सदस्यगण दो मिनट मौन खड़े हुए)

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्रीमती कैलाशवती, श्री गंगाधर मैठाणी, श्री राज नारायण सिंह, श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" श्री बंशीदास धनगर, श्री झारखण्डे राय, श्री गोपीकृष्ण आजाद के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है . . .

श्री विजय सिंह राणा –

मान्यवर, यहां गाने की आवाज आ रही है, यह सही बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

इसको देख लिया जायेगा ।

*श्री वीर बहादुर सिंह –

मान्यवर, श्रीमती कैलाशवती, गोरखपुर, श्री गंगाधर मैठाणी, चमोली, श्री राज नारायण सिंह, मिर्जापुर, श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, "राकेश" मिर्जापुर, श्री बंशीदास धनगर, मैनपुरी, श्री झारखण्डे राय, आजमगढ़ और श्री गोपीकृष्ण आजाद बांदा का निधन हो गया है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्या श्रीमती कैलाशवती का निधन दिनांक 25/26 फरवरी, 1987 को हो गया । वह 72 वर्ष की थीं । उनका जन्म बिहार के आरा स्थान पर 1915 में हुआ था । मान्यवर, वर्ष 1952 के सामान्य निर्वाचन में श्रीमती कैलाशवती जी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित हुई थीं। उन्होंने जिला एवं प्रदेश कांग्रेस सदस्या के रूप में काम किया और महिलाओं में ज्यादा काम किया । मान्यवर, आज उनके निधन से गोरखपुर और उत्तर प्रदेश को जो क्षति पहुंची है उसकी हम पूर्ति नहीं कर सकते हैं । मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी, मेरे दल की और इस सदन की संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार को भेजने का कष्ट करें ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गंगाधर मैठाणी का निधन 22 फरवरी, 1987 को हो गया । श्री मैठाणी का जन्म 19 नवम्बर, 1919 को चमोली में हुआ था । उन्होंने एम0 ए0 तथा एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी ।

(रिपोर्टर्स टेबुल पर रखे स्पीकर्स में संगीत की ध्वनि आ रही थी)

वर्ष 1952 एवं 1962 के निर्वाचनों में वह जिला चमोली से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विजयी हुए थे और इस सदन के सदस्य रहे । वर्ष 1967 में पुनः जिला चमोली से कांग्रेस के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । उन्होंने जनपद चमोली और प्रदेश की जो सेवा की है, उसे हम भुला नहीं सकते। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी, मेरे दल की और इस सदन की संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

मान्यवर, श्री राज नारायण सिंह जी उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य थे । श्री राज नारायण सिंह जी का निधन 5 मई, 1987 को हो गया । वह लगभग 85 वर्ष के थे । श्री राज नारायण सिंह जी का जन्म 1902 में हुआ था । उन्होंने बी0ए0, एल0एल0बी0 तक की शिक्षा ग्रहण की थी । सर्व प्रथम श्री राज नारायण सिंह जी वर्ष 1952 में मिर्जापुर से कांग्रेस के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । तत्पश्चात् 1957, 1962 तथा 1967 के निर्वाचनों में भी वह कांग्रेस के टिकट से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । 1977 में वह जनता पार्टी के टिकट से निर्वाचित हुए ।

मान्यवर, लगभग 20 वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने प्रदेश की सेवा की । वर्ष 1929 से 1948 तक जिला परिषद् के सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया है । मान्यवर, उन्होंने जनपद मिर्जापुर और प्रदेश की जो सेवा की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है, उसे हम भुला नहीं सकते हैं । मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी, मेरे दल की तथा इस सदन की संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" का निधन दिनांक 11 अप्रैल, 1987 को हृदय गति रुक जाने से हो गया । वह लगभग 47 वर्ष के थे । श्री अश्वनी कुमार जी का जन्म 2 जुलाई, 1940 को जनपद कानपुर में हुआ था । उन्होंने भाषा विज्ञान एवं हिन्दी में एम0ए0, पी0एच0डी0 तथा डी0 लिट् की उच्च उपाधियां प्राप्त की थी ।

वर्ष 1967 के सामान्य निर्वाचन में मिर्जापुर से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर निर्वाचित होकर उन्होंने इस सम्मानित सदन पदार्पण किया था । वर्ष 1977 में पुनः कानपुर से जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए ।

मान्यवर, श्री अश्वनी कुमार जी ने विभिन्न आन्दोलनों के अन्तर्गत 16 बार जेल यात्रायें एवं 4 बार भूख हड़तालें की । उन्होंने मजदूर यूनियनों में विभिन्न पदों पर रहकर, मजदूरों के बीच में बहुत बड़ा काम किया है ।

श्री अश्वनी कुमार जी आज हमारे बीच नहीं हैं, उनके न रहने से जो क्षति पहुंची है, उसे हम पूरा नहीं कर सकते हैं । मान्यवर मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी, मेरे दल की तथा इस सदन की संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बंशीदास धनगर का निधन दिनांक 18 अप्रैल, 1987 को रात्रि में हो गया । वह लगभग 81 वर्ष के थे । श्री बंशीदास धनगर जी का जन्म वर्ष 1906 में हुआ था उन्होंने बी0ए0 तथा बी0टी0 तक की शिक्षा ग्रहण की थी । वर्ष 1952 में करहल जिला मैनपुरी से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । वर्ष 1957 से 1962 तक की अवधि में वह लोक सभा के सदस्य रहे । श्री बंशीदास जी ने पुलिस, रेलवे आदि विभागों में कार्य करने के उपरान्त शिक्षा विभाग में अध्यापन का कार्य किया । राजनीति में भी श्री धनगर जी का विशेष योगदान रहा । उनके न रहने से मैनपुरी जिले को और इस प्रदेश को जो क्षति पहुंची है, उसे हम पूरा नहीं कर सकते । मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी, मेरे दल की तथा इस सदन की संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री झारखण्डे राय का निधम दिनांक 18 मार्च, 1987 को हो गया । वह लगभग 72 वर्ष के थे । मान्यवर, श्री राय का जन्म जनपद आजमगढ़ के अमिला नामक ग्राम में 1915 में हुआ था, उन्होंने बी0ए0 तक की शिक्षा ग्रहण की थी । वर्ष 1952 से 1968 तक वह लगातार जिला आजमगढ़ से उत्तर प्रदेश विधान सभा के कम्युनिस्ट दलीय सदस्य रहे । लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हो जाने के फलस्वरूप 17 मार्च, 1968 को विधान सभा से त्याग पत्र दे दिया । तदुपरान्त 1971 एवं 1980 के निर्वाचनों में भी वह लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । श्री राय जी प्रारम्भ से ही उग्र विचारधारा के व्यक्ति थे । उन्होंने युवावस्था में ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेकर बहुत बड़ा योगदान किया है ।

हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य एवं क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे । 1952 में भारतीय साम्यवादी दल में सम्मिलित हुए । उ0 प्र0 विधान सभा में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, लोक लेखा समिति के सभापति तथा संयुक्त

विधायक दल की सरकार में खाद्य मंत्री, उ0 प्र0 किसान सभा के सभापति, केन्द्रीय किसान परिषद् के सदस्य, राष्ट्रीय परिषद् भारतीय साम्यवादी दल के सदस्य रहे । अनेकों शिक्षा संस्थाओं के सभापति एवं संरक्षक पदों को सुशोभित किया।

ब्रिटिश शासन में 7 वर्ष तक जेल में रखे गये । पिपरिडीह षडयंत्र, गाजीपुर शस्त्र षडयंत्र और लखनऊ षडयंत्र में भाग लेने के लिए उन्हें 21 वर्ष का कारावास मिला और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रिहा किये गये । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी विभिन्न आन्दोलन में भाग लिया और बहुत बार जेल गये । उनकी अध्ययन तथा बागवानी में विशेष रुचि थी।

श्री झारखण्डे राय जी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया । उनके न रहने से आजमगढ़, उत्तर प्रदेश और देश को जो क्षति पहुंची है, उसको पूरा नहीं कर सकते हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी तथा इस सदन की संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार को पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री गोपीकृष्ण आजाद का निधन 4 जून, 1987 को हो गया । वे लगभग 76 वर्ष के थे । उनका जन्म 11 सितम्बर, 1911 को जनपद बांदा के ग्राम पारा में हुआ था । श्री गोपीकृष्ण आजाद कांग्रेस के टिकट पर 1957 के सामान्य निर्वाचन में नरैनी क्षेत्र जनपद बांदा से उ0 प्र0 विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे और 1962 तक उ0 प्र0 विधान सभा के सदस्य रहे ।

श्री आजाद का राजनीति में विशेष योगदान रहा । वह कांग्रेस पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता थे । जिला कांग्रेस कमेटी बांदा के प्रधान, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, मण्डल कांग्रेस कमेटी के प्रधान तथा प्रान्तीय कांग्रेस सम्मेलन के स्वागत मंत्री रहे । आपकी गाने, पर्यटन तथा व्यायाम में विशेष रुचि थी ।

वे आज हमारे बीच नहीं हैं । उनके न रहने से प्रदेश को जो क्षति पहुंची है, उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि इस दल की और सदन की संवेदना उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

***नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–**

मान्यवर, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा स्वर्गीय श्रीमती कैलाशवती (गोरखपुर), स्वर्गीय श्री गंगाधर मैठानी (चमोली), स्वर्गीय श्री राजनारायण सिंह (मिर्जापुर), स्वर्गीय श्री अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (मिर्जापुर), स्वर्गीय श्री बंशीदास (मैनपुरी), स्वर्गीय श्री झारखण्डे राय (आजमगढ़) और स्वर्गीय श्री गोपीकृष्ण आजाद (बांदा) के निधन के संबंध में जो संवेदनायें मा0 नेता, सदन ने प्रस्तुत की हैं, उनसे मैं स्वयं को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं ।

ये जितने भी स्वर्गीय भूतपूर्व माननीय सदस्य हैं, ये सभी राजनीतिक क्षेत्र के अन्दर जाने जाते हैं और इनके निधन से उनके जनपदों में उनके क्षेत्रों में एक रिक्तता पैदा हो गयी है ।

स्वर्गीय अश्वनी कुमार के साथ मुझे भी इस सदन में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ था । वह मात्र 47 वर्ष की आयु में ही काल कवलित हो गये । वह एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे, उन्होंने एम0 ए0, पी0 एच0 डी0, डी0 लिट0 तक शिक्षा प्राप्त की थी और कानपुर तथा प्रदेश की समस्याओं को वह सदन में उठाया करते थे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जहां तक श्री झारखण्डे राय का संबंध है, वे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे । अपने जीवन में वे अनेकानेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे । वर्ष 1962 से लेकर काफी वर्षों तक वे सदस्य, विधान सभा रहे। दो बार ये लोक सभा के भी सदस्य रहे। स्वर्गीय झारखण्डे राय जी को मैं समझता हूं कि संविद सरकार में भी मंत्री रहे तथा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी रहे । अनेकानेक पदों पर वे रहे और उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष जेल में व्यतीत किये । गाजीपुर षडयन्त्र में उन्हें 21 वर्ष की सजा दी गयी थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त उनको जेल से रिहा कर दिया गया था ।

स्वर्गीय झारखण्डे राय जी किसानों, गरीबों और मजदूरों की लड़ाई में अग्रणी रहे। उनका जुझारू व्यक्तित्व था। उनके न रहने से लोगों ने अपने जुझारू नेता को खो दिया है। मैं समझता हूं कि उनकी रिक्तता को भरने में कठिनाई होगी ।

मैं सभी भू0पू0 सदस्यों के प्रति अपनी सम्वेदना व्यक्त करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से इन सभी भू0 पू0 सदस्यों के परिवारों तक हमारी सम्वेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, जो स्वर्गीय कई महानुभाव इस सदन के सदस्य रह चुके हैं उनके संबंध में नेता सदन ने जो अपनी सम्वेदना व्यक्त की है उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं ।

मान्यवर, स्वर्गीय श्रीमती कैलाश वती जिन्होंने समाज की और इस प्रदेश की और इस सदन में रह कर आम लोगों की जो सेवा की है, सदन में उन्होंने जो भी अपने विचार रखे हैं, वह हमेशा याद रहेंगे। मैं उनके प्रति अपनी तथा अपने दल की सम्वेदना व्यक्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी सम्वेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

स्वर्गीय गंगाधर मैठाणी यह भी सदन के सम्मानित सदस्य रह चुके हैं इन्होंने भी समाज की और प्रदेश की सेवा की है । शिक्षा संस्थाओं से इनका अटूट संबंध रहा है । इनके प्रति भी मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से सम्वेदना व्यक्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि इनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी सम्वेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

स्वर्गीय राज नारायण सिंह से मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा है । 1977 में ये जनता पार्टी के टिकट पर चुन कर आये थे। यह बहुत ही सादगी पसन्द और निष्ठावान व्यक्तियों में से थे । इन्होंने भी सदन की सेवा की है, समाज की सेवा की है । इनके प्रति भी मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से सम्वेदना व्यक्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी सम्वेदना को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

स्वर्गीय अश्वनी कुमार चतुर्वेदी जो कि 'राकेश' के नाम से भी पुकारे जाते थे, 1967 से हमारे साथ रहे । मिर्जापुर से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से ये जीत कर आये थे । 1977 में हमारे जिले के पड़ोसी क्षेत्र, राजपुर से ये विधायक हुए थे । वैसे मूल निवासी भर्थना के ही थे और वहीं के रहने वाले थे । इसलिए इनके संबंध में मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से सम्वेदना व्यक्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी सम्वेदना इनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

स्वर्गीय बंशीदास धनगर भी हमारे ही क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये विधान सभा, लोक सभा के सदस्य रहे और मैनपुरी से चुनाव लड़े जरूर लेकिन ये मूल निवासी इटावा जिले के ही थे। हमारे ही क्षेत्र और हमारे ही ब्लाक के ये रहने वाले थे। इन्होंने किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी जीवन पर्यन्त। अभी 14 अप्रैल को जब बाबा साहेब अम्बेदकर की जयन्ती मनायी जा रही थी तो हम और वे एक ही मंच पर थे और हमने उनके साथ-साथ जलसे में हिस्सा लिया और उसके 4 दिन बाद ही वह इस दुनिया से चल बसे। मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे और मेरे दल की ओर से शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

झारखण्डे राय जी इस प्रदेश के ही नहीं बल्कि सारे देश के इने गिने नेताओं में से एक थे। उनकी निष्ठा, उनकी सादगी और ईमानदारी आज प्रदेश में तमाम लोगों पर छाप डाल गयी है। मान्यवर, वह 1967 में खाद्य मंत्री के पद पर थे, तो मान्यवर, भूल से किसी बात पर मेरा उनसे झगड़ा हो गया, मुझे याद है कि उनको गुस्सा नहीं आयी और वह मुझको समझाने लगे कि आप नवजवान हैं और हम आपकी भावना का आदर करते हैं, हम आपकी भावना को समझते हैं, परन्तु किसी मंत्री से झगड़ा नहीं करना चाहिये और उसको अपमानित नहीं करना चाहिये। उन्होंने राजनैतिक जीवन और सामाजिक जीवन के लिये जो शिक्षायें दी थीं, वह आज तक याद हैं। मान्यवर, वह जीवन भर गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी और मेरे दल की ओर से शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, श्री गोपी कृष्ण जी इस सदन के सदस्य थे। इन्होंने समाज की बड़ी सेवा की है। राजनीति में हिस्सा लेकर इन्होंने गरीबों, मजदूरों और कमजोरों की बड़ी सेवा की है। आपसे प्रार्थना है कि हमारी सम्वेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, कई माननीय सदस्य आज हमारे बीच में नहीं हैं, मेरी प्रार्थना है कि मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार को श्रद्धांजलि भेजने की कृपा करें। श्री राज नारायण सिंह जी इस सदन के कई बार माननीय सदस्य रहे हैं। उनके निधन से मिर्जापुर जनपद को काफी नुकसान हुआ है। राजनैतिक जीवन में काफी कमी आ गयी है। उनके परिवार को मेरे तथा मेरे दल की ओर से श्रद्धान्जलि भेजने की कृपा करें। श्री अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' जी इस सदन के दो बार सदस्य रह चुके हैं। 1977 में जब वह हमारी पार्टी से चुनकर यहां पर आये, तो इस सदन में मेरा उनसे परिचय हुआ। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, परन्तु उनकी 47 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गयी। इनके निधन से राजनैतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में कमी आ गयी है। श्री राकेश जी का निधन सदैव खटकता रहेगा। मेरी श्रद्धान्जलि उनके परिवार तक भेजने की कृपा करें। श्री वंशीधर धनगर, आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके निधन से हमें भारी धक्का लगा है। मेरी ओर से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तथा मेरे दल की ओर से उनके परिवार तक श्रद्धांजलि भेजने की कृपा करें। मान्यवर, श्री झारखण्डे राय जी कई बार इस सदन में काम किया है । वह एक जुझारु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उन्होंने निरन्तर गरीबों की आवाज बन कर काम किया और उनकी समस्याओं के लिये हमेशा जूझते रहे ।

श्रीमती विमला राकेश–

मान्यवर, यह बड़े अफसोस की बात है कि एक तरफ तो सदन में शोक प्रस्ताव चल रहा है और दूसरी तरफ माइक पर गाने चल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

लखनऊ रेडियो स्टेशन से टच हो रहा है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह उचित नहीं है । बगैर माइक के सदन चलवा लें लेकिन यह उचित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

माइक को बन्द कर दिया जाय ।

(माइक बन्द होने पर आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ी)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

सन् 71 में विरोध पक्ष के सदस्य की हैसियत से वे लोक सभा में चुनकर गये थे । उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा परिचय यही था । ये यहां पर खाद्य मंत्री के रूप में भी रहे । आने वाले दिनों में इन स्वर्गीय आत्माओं के कार्यों का मूल्यांकन आने वाली पीढ़ी करेगी और उनसे प्रेरणा लेगी । मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि आप इन सभी स्वर्गीय आत्माओं के प्रति हमारी और हमारे दल की सम्वेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक भेजने की कृपा करें ।

*श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं ने स्वर्गीय श्रीमती कैलाशवती, श्री गंगाधर मैठानी, श्री राज नारायण सिंह, श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', श्री बंशीदास धनगर, श्री गोपी कृष्ण आजाद तथा श्री झारखण्डे राय के प्रति जो शोक संवेदनायें व्यक्त की हैं उनके साथ मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, श्री झारखण्डे राय का ऐसा व्यक्तित्व था, जिन्होंने जीवन भर गरीबों के लिये लड़ाई लड़ी और समाजवादी विचारधारा के अगुवा बनकर रहे । उनको यहां पर कार्य करते हुये भी हमने देखा है जब वे यहां पर खाद्य मंत्री थे । उस समय उन्होंने अपना मंत्रालय जिस सुदृढ़ता के साथ चलाया, गरीब आदमी को किस तरह से जीवनोपयोगी वस्तुयें उपलब्ध कराईं, यह उनके व्यवहार और कार्य-कुशलता का ही द्योतक है। मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि आप इन सभी स्वर्गीय आत्माओं के शोक-संतप्त परिवारों को हमारी और हमारे दल की ओर से शोक संवेदनायें भेजने का कष्ट करें ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, श्रीमती कैलाशवती, श्री गंगाधर मैठाणी, श्री राज नारायण सिंह, श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री बंशीदास धनगर, श्री गोपी कृष्ण आजाद तथा श्री झारखण्डे राय के निधन से इस देश को अपार क्षति हुई है । ये सब लोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारे बीच में नहीं रहे । इन सभी लोगों ने देश की स्वतंत्रता के संग्राम में भाग लिया। श्री झारखण्डे राय का पूरा जीवन मेहनतकश जनता को समर्पित रहा। वह मजदूरों व किसान के आन्दोलनों की अगुवाई करते रहे। वह उत्तर प्रदेश कम्युनिस्ट आन्दोलन के भी प्रमुख स्तम्भ थे। वे जीवन भर जनता की सेवा के लिए संघर्षरत रहे । आजादी के पहले और उसके बाद भी जब वे चुनकर आए अनेकों बार जेल गए। मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि आप शोक संतप्त परिवारों को हमारी और हमारे दल की ये संवेदनायें भेज दें ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, श्रीमती कैलाशवती, श्री गंगाधर मैठाणी, श्री राज नारायण सिंह, श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री बंशीदास धनगर, श्री गोपी कृष्ण आजाद तथा श्री झारखण्डे राय के निधन पर जो शोकोद्गार तथा भावनाएं व्यक्त की गई हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप शोक संतप्त परिवारों तक हमारी ये शोक संवेदना भेजने का कष्ट करें ।

श्री राज किशोर सिंह–

अध्यक्ष महोदय, स्व0 श्रीमती कैलाशवती, श्री गंगाधर मैठाणी, श्री राज नारायण सिंह, श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री बंशीदास धनगर, श्री झारखण्डे राय एवं श्री गोपीकृष्ण आजाद के निधन पर जो माननीय नेता सदन तथा अन्य माननीय नेताओं ने विचार प्रकट किए हैं मैं उनसे अपने को तथा अपनी पार्टी को सम्बद्ध करता हूं । इन लोगों के निधन से प्रदेश की राजनीति में जो रिक्तता आई है उसका पूरा होना सम्भव नहीं है ।

माननीय झारखण्डे राय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे और उनसे मेरा निकट का संबंध था हम दोनों एक साथ ही पार्टी में काम करते थे । उन्होंने अंग्रेजों के शासन में आजादी की लड़ाई में वर्षों तक जेल की सजा काटी और यातनाएं सही आजादी के बाद भी गरीबों की लड़ाई लड़ते हुए भी उन्होंने जेल की यातनाएं सही हैं वे उत्तर प्रदेश सरकार में खाद्य मंत्री भी रहे जिसमें उन्होंने सराहनीय कार्य किया है । उनके निधन से कम्युनिस्ट पार्टी को अपूरणीय क्षति पहुंची है । इन शब्दों के साथ उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी भावनाएं पहुंचाने का कष्ट करेंगे ।

*श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, स्व0 श्रीमती कैलाशवती, श्री गंगाधर मैठाणी, श्री राज नारायण सिंह, श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री बंशीदास धनगर, श्री झारखण्डे राय और श्री गोपीकृष्ण आजाद के निधन पर जो माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो विचार व्यक्त किए हैं मैं उनसे अपने को तथा अपनी समता पार्टी को सम्बद्ध करता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जहां तक माननीय झारखण्डे राय जी का प्रश्न है उन्होंने आजादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया और 21 वर्ष जेल में रहे । वे हमेशा मजदूरों को साथ लेकर चलते थे । आजादी के बाद भी उन्होंने उनके लिए काम किया और कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। वे मेरे जनपद से आते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनको राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था क्योंकि वे प्रदेश के मंत्रिपरिषद् के सदस्य रह चुके थे । मुझे खेद है कि उनको राजकीय सम्मान नहीं मिला । उन्होंने अपने मंत्रीकाल में बहुत ईमानदारी से काम किया जो हमेशा याद रहेगा । मैं अपनी तरफ से और अपनी समता पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी भावनाएं पहुंचाने का कष्ट करेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल एवं अन्य नेताओं ने जो भावनाएं स्व0 श्रीमती कैलाशवती, श्री गंगाधर मैठाणी, श्री राज नारायण सिंह, श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री बंशीदास धनगर, श्री झारखण्डे राय और श्री गोपीकृष्ण आजाद के निधन पर व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को तथा निर्दलीय विधायक समुदाय को संबद्ध करता हूं और इन स्वर्गीय आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । आपसे अनुरोध करता हूं कि इनके शोक संतप्त परिवारों तक हमारी भावनायें पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, हमारे बीच से इस सदन के 7 भूतपूर्व माननीय सदस्य उठ गए हैं । माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो भावनाएं इनके प्रति व्यक्त की हैं मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं।

जहां तक मान्यवर, माननीय स्व0 झारखण्डे राय जी का प्रश्न है वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और मजदूरों के लिए वे हमेशा लड़ते रहे । उनके निधन से इस देश और प्रदेश ने एक बहुत बड़ा समाजवादी व्यक्ति खो दिया है । मान्यवर, स्वर्गीय गोपी कृष्ण आजाद हमारे जनपद के निवासी थे । वह गांधीवादी युग के जीवन्त प्रतीक थे । उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता एवं इस मा0 सदन के सदस्य के रूप में तथा सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जो सेवाएं की हैं उनके लिए प्रदेश और हमारा जनपद ऋणी रहेगा । इन शब्दों के साथ मैं मान्यवर, आपसे प्रार्थना करता हूं कि इन सभी विभूतियों के शोक संतप्त परिवारों तक हमारी सम्वेदनायें भेजने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

मुझे खेद है कि माइक्रोफोन न चलने के कारण आप सभी को कष्ट हुआ जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्वर्गीय कैलाशवती, स्व0 गंगाधर मैठाणी, स्वर्गीय राज नारायण सिंह, स्वर्गीय अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"। स्वर्गीय बंशीदास धनगर, स्वर्गीय झारखण्डे राय और स्वर्गीय गोपी कृष्ण आजाद हमारे बीच में नहीं रहे। माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल एवं अन्य नेताओं ने जो भावनाएं अभी यहां व्यक्त की हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप सभी की श्रद्धांजलि इनके परिवारों तक पहुंचाई जायेंगी। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम सभी खड़े होकर दो मिनट तक इन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट मौन खड़े हुए)

अब हम उठते हैं और दिनांक 22 जून, 1987 दिन सोमवार को 11 बजे (पूर्वाह्न) फिर बैठेंगे।

इसके बाद सदन 12 बजकर 47 मिनट पर सोमवार, 22 जून, 1987 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
18 जून, 1987

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0सं0 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 19 पर)

विकास खण्ड रुधौली में वर्ष 1982–83, 83–84 एवं 84–85 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत परियोजनावार व्यय विवरण उप इकाई रुधौली इकाई बस्ती ।

क्रम-सं0	परियोजना का नाम	परियोजना का व्यय लेखा	स्वीकृति प्राप्त धनराशि आवंटन	कार्य की स्थिति	वर्षवार व्यय का विवरण 1982–83	1983–84	1984–85	योग कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अठदमा वनीकरण ।	87440.00	87440.00	पूर्ण	61902.50	19588.00	1862.50	83353.00
2	अठदमा तालाब ।	60000.00	60000.00	अपूर्ण	..	15407.50	1200.00	16607.50
3	भटपुरवा चेक डेम ।	105000.00	105000.00	पूर्ण	103315.87	..	..	103315.57
4	मसीना वनीकरण ।	75000.00	75000.00	पूर्ण	12135.50	35060.87	12025.50	59221.87
5	घौरहरा। भटपुरवा ।	53424.00	53424.00	पूर्ण	..	406459.00	8041.00	48700.00
6	कड़सरा तालाब	40160.00	40160.00	पूर्ण	..	25072.00	1400.00	26472.00
7	घनुषी तालाब	37260.00	37260.00	पूर्ण	..	29450.00	1200.00	30650.00
8	अठदमा नाली	26764.00	26764.00	पूर्ण	..	26720.39	..	26720.39
9	कड़सरा सम्पर्क मार्ग	30000.00	30000.00	पूर्ण	..	16879.79	..	16879.79
10	रुधौलीकलां तालाब ।	29090.00	29090.00	पूर्ण	..	27336.00	480.00	27816.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

11	कुसौना वनीकरण ।	21808.00	21808.00	पूर्ण	..	2808.00	13964.00	16772.00
12	सुरवार खुर्द जल निकास ।	35000.00	35000.00	पूर्ण	..	33016.62	..	33046.62
13	सुरवार खुर्द सम्पर्क मार्ग ।	12342.50	12342.50	अपूर्ण		1000.00.	1368.00	2368.00
14	रूघौली कलां बारीजोत ।	3804.00	3804.00	पूर्ण	.	1217.00	..	1216.00
15	कुसौना तालाब।	26104.00	26104.00	अपूर्ण	..	6128.00	776.50	6904.50
16	अठदमा सम्पर्क मार्ग ।	8807.00	8807.00	पूर्ण	..	2348.00	..	2348.00
17	घनुखी सम्पर्क मार्ग ।	10000.00	10000.00	पूर्ण	..	..	38988.00	3808.00
18	अठदमा जल निकास ।	52000.00	52000.00	अपूर्ण	..	..	12080.00	12080.00
19	रुद्रनगर सम्पर्क मार्ग	20000.00	20000.00	अपूर्ण	..	..	960.00	960.00
	सम्पूर्ण योग	734003.50	734003.50		177353.57	282721.17	659165.50	519240.24

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विकास खण्ड खेसरहा में वर्ष 1982–83, 83–84 एवं 84–85 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत परियोजनावार व्यय विवरण उप इकाई बेलौहा इकाई, बस्ती ।

क्रम-सं0	परियोजना का नाम	परियोजना का व्यय लेखा	स्वीकृति धनराशि	प्राप्त कार्य की आवंटन स्थिति	वर्षवार व्यय विवरण 1982–83	1983–84	1984–85	योग कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	साहूखिरिया नाली ।	21368.00	21368.00	पूर्ण	16516.50	..	..	16516.50
2	दोरिहार नाली	24008.00	24008.00	पूर्ण	21014.00	..	..	21014.00
3	बेलउख बनीकरण ।	18569.00	18569.00	पूर्ण	8105.50	2968.25	..	11073.75
4	सहाखिरिया बेलवा लघनही नाली ।	8652.00	8652.00	पूर्ण	7761.00	..	..	7761.00
5	पसनारे सम्पर्क मार्ग।	20107.00	20107.00	पूर्ण	..	13478.50	..	13478.50
6	बतसा तालाब	39400.00	39400.00	पूर्ण	..	8552.00	25786.00	34288.00
7	खेसरही सम्पर्क मार्ग ।	14254.00	14254.00	पूर्ण	..	7728.00	2600.00	10328.00
8	बनूहिया सम्पर्क मार्ग ।	23035.00	23035.00	पूर्ण	..	820.00	21572.00	22392.00
9	साहखिरिया तालाब ।	29313.00	29313.00	पूर्ण	..	4856.00	19960.00	24816.00
10	मदरहना सम्पर्क मार्ग ।	36096.00	36096.00	पूर्ण	..	14216.00	5696.00	19912.00

अनंत विधान सभा

11	तिसरी तालाब	26384 00	26384 00	पूर्ण		3328 00	14612 00	17940 00
12	बलउख तालाब ।	38871.00	38871.00	अपूर्ण	..	7996.00	..	7996.00
13	नेतारी तालाब ।	16894.00	16894.00	पूर्ण	..	14200.00	..	14200.00
14	कडजाटेन	18232.00	18232.00	पूर्ण	..	11808.00	..	1 1808.00
15	पंगार बतसा सम्पर्क मार्ग ।	9940.00	9940.00	पूर्ण	..	3712.00	..	3712.00
16	गोबरौली सम्पर्क मार्ग ।	5241.00	5241.00	पूर्ण	..	3472 00	..	3472.00
17	जोगीबीर सम्पर्क मार्ग ।	16436.00	16436.00	पूर्ण	..	8160.00	..	8160.00
18	केसेहरा बेलउख सम्पर्क मार्ग ।	34100.00	34100.00	पूर्ण	..	3056.00	21084.00	24140.00
19	मंझरिया सम्पर्क मार्ग ।	7728.00	7728.00	पूर्ण	..	..	4904.00	4904.00
20	पिपरा तालाब	16894.00	16894.00	पूर्ण	..	...	8760.00	8760.00
21	जोगी वीरजो-लहपुरवा सम्पर्क मार्ग जल निकास संचय एवं संरचना ।	83079.00	83079.00	अपूर्ण	..	..	4520.00	4520.00
	योग	508601.00	508601.00		53397.00	108350.75	129444.00	291191.75

अनंत विधान सभा

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1984–85 तक व्यय की गयी धनराशि विधान सभा सम्बन्धी प्रश्न विकास खण्ड साथा इकाई बस्ती ।

क्रम-स0	परियोजना का नाम /कार्य का नाम	परियोजना का व्यय लेखा	स्वीकृत प्राप्त धनराशि अवंटन	कार्य की स्थिति पूर्ण-अपूर्ण	व्यय की गयी धनराशि			कुल योग
					1982–83	1983–84	1984–85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डिहुआ तालाब ।	81565.00	81565.00	अपूर्ण	..	..	6208.00	6208.00
2	तेनुडाड सम्पर्क मार्ग ।	31520.00	31520.00	पूर्ण	..	..	27952.00	27952.00
3	तेनूडाड जल निकास ।	9333.00	9333.00	पूर्ण	..	..	2144.00	2144.00
	योग	162418.00	162418.00		..	..	36304.00	36304.00
	विकास खण्ड खेसरहा ।	508601.00	508601.00		3397.00	108350.75	129444.00	291191.75
	विकास खण्ड रुधौली ।	734003.50	734003.50		177353.57	282721.17	59165.50	519240.24
	योग	1405022.50	1405022.50		230750.57	391071.92	224913.50	846735.99

अनंत विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 24 पर)

मोहल्ले का नाम	व्यय की गयी धनराशि	तारकोल सड़क वर्ग मीटर	खड़ंजा वर्ग मीटर
1	2	3	4
1—चन्दनियां में सड़क तथा नाली निर्माण	56714.87	1834.01	..
2—सुरेन्द्र नगर (संकेत कालोनी) में सड़क खड़ंजा व नाली निर्माण।	170486.80		2704.82
3—औरंगबाद में खड़ंजा व नाली का निर्माण	79322.24	..	3480.83
4—गांधी नगर में सड़क व नाली का निर्माण	74997.71	484.27	794.49
5—महेन्द्र नगर में नाली निर्माण (खड़ंजा	11178.00	..	..
व नाली निर्माण)	14154.42	..	262.73
6—कृष्णपुरी में सड़क व खड़ंजा का निर्माण	91790.81	1317.35	1387.57
7—बेगमबाग 8—शास्त्रीनगर 9—बिहारी नगर।	इन मोहल्लों में सन्दर्भित अनुदान से कोई निर्माण-कार्य नहीं कराया गया।		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 56 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

विकास खण्डवार मृदा परीक्षण प्रगति जनपद आगरा

क्रम-सं0	विकास खण्ड का नाम	वर्ष में कुल प्राप्त नमूनों की संख्या		
		1984–85	1985–86	1986–87
1	2	3	4	5
	अभिकरण			
1	अकोला	1675	1850	1588
2	फतेहपुर सीकरी	1502	1400	1457
3	किरावली	1158	567	1274
4	खेरागढ़	1275	1493	1114
5	जगनेर	440	990	714
6	सेंडा	1501	1800	1250
7	खादौली	1482	515	1220
8	एत्मादपुर	1802	1800	1150
9	टूण्डला	1800	1800	1790
10	फिरोजाबाद	1200	900	1007
11	कोटला (नारखी)	742	..	1387
12	बरौली अहीर	1805	1510	1000
13	शमशाबाद	1510	1500	1580
14	फतेहाबाद ..	1400	1050	1400
15	पिनाहट	800	500	740
16	जैतागुरकलां	1200	750	855
17	बाह	900	921	1205
18	पिचपुरी	760	701	1000
19	भू0 सं0 अ0 आगरा	925	2192	1671
20	भू0 सं0 अ0 बीहट, टूण्डला, टूण्डला, आगरा ..	1375	1464	1498
21	भू0 सं0 अ0 फिरोजाबाद	998	1435	1433
22	भू0 सं0 अ0 अछनेरा	898	1064	785
23	अन्य श्रोत	275	5517	181
	योग ..	21423	26629	27309

नरेन्द्र सिंह,
कृषि मन्त्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0 157 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72 पर)

सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति प्राप्त अवर अभियन्ताओं की सूची

सर्वश्री

1— टी0सी0 पाण्डेय
2— भूप सिंह
3— राधेलाल शर्मा
4— रमाकान्त अग्रवाल
5— दिनेश कुमार त्यागी
6— ओम प्रकाश
7— शैलेन्द्र कुमार
8— विनोद कुमार अग्रवाल
9— वीरेन्द्र सिंह चौहान
10— नवाब सिंह यादव
11— जय सिंह
12— हंसराज यादव
13— बी0पी0 भाटिया
14— बी0के0 शुक्ला
15— डी0सी0 यादव
16— राधे श्याम
17— लव उपाध्याय
18— एस0पी0 श्रीवास्तव
19— एस0एस0 वर्मा
20— आर0के0 असरानी
21— बी0एल0 शर्मा
22— नरेश सिंह तोमर
23— एस0के0 मयंक
24— एस0एस0 शुक्ला
25— डी0के0 मौर्या
26— सतीश चन्द्र मिश्रा
27— लल्लन प्रसाद सिंह
28— महमूद हसन खां
29— राजेन्द्र प्रसाद सिंह
30— महेन्द्र बहादुर सिंह
31— राम लाल सरोज
32— ओम चन्द्र

सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति प्राप्त न करने वाले अवर अभियन्ताओं की सूची

सर्वश्री

1— एस0एस0 यादव
2— एम0जेड0 अन्सारी
3— अकील अहमद
4— जी0सी0 उप्रेती
5— गोविन्द मोहन श्रीवास्तव
6— मानिक चन्द्र
7— राम औतार गुप्ता
8— नन्द लाल मौर्या
9— राजेश शर्मा
10— सुरेन्द्र कुमार जैन
11— के0एन0 सिंह
12— पी0के0 जायसवाल
13— जे0पी0 सिंह
14— विंध्याचल सिंह
15— एस0के0 अवस्थी
16— महमूद आलम
17— राम बाबू सचान
18— प्रदीप कुमार नन्दा
19— फुल्लन राय
20— पी0एन0 साहू
21— प्रमोद कुमार पाण्डे
22— अनूप शर्मा
23— हरगोविन्द स्वर्णकार
24— डी0के0 मिश्रा
25— सतनाम सिंह
26— अमर सिंह
27— आर0के0 श्रीवास्तव
28— एस0के0 श्रीवास्तव
29— जगराम
30— आर0एस0 वर्मा
31— बी0के0 पाण्डे
32— एन0के0 भाटिया
33— आर0डी0 राय
34— राम चन्द्र गुप्ता
35— गिरीश चन्द्र शर्मा
36— रशीद बेग

37— राकेश शर्मा
38— पवन कुमार गर्ग
39— आर0के0 सिंहल
40— अखिलेश भटनागर
41— राधा कृष्ण राजपूत
43— चन्द्र पाल सिंह तालियान
43— रणवीर सिंह शर्मा
44— दीपक कुमार दास
45— ओम प्रकाश
46— बी0के0 पाण्डे
47— वकील अहमद
48— आर0के0 माखीजा
49— उदय राज सिंह
50— अमरजीत सिंह रावत
51— अवधेश कुमार
52— प्रदीप सिंहल
53— विनय कुमार जैन
54— धर्म प्रकाश
55— पी0के0 अग्रवाल
56— इन्द्रपाल वार्ष्णेय
57— सुर्वेश मित्तल
58— रजनीश कुमार श्रीवास्तव
59— अजीत कुमार त्यागी
60— जयपाल सिंह
61— नजर मोहम्मद
62— राम चन्द्र
63— रामवीर सिंह
64— दिनेश जैन
65— उदय सिंह सिकरवार
66— जयपाल सिंह सिकरवार
67— श्री सोनी
68— प्रदीप कुमार

पी0एस0यू0पी0—एल0 90 वि0 सभा (177)— 1987—813 ।